मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 56 | अंक : 11-12 | मई-जून, 2016 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹10

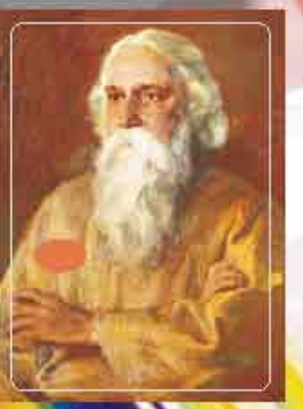

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

> "प्रवेशोत्सव को शिक्षा का आधारभूत साधन कहा जा सकता है। शिक्षा के इस आधारभूत साधन को प्रभावशाली बनाने के लिए सहयोग करना हमारा धर्म है। आइये, प्रवेशोत्सव रूपी रथ के सारथी बनकर सबको पढ़ाने और आगे बढ़ाने के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के संकल्प को पूरा करते हुए हम अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन करें।"

प्रवेशोत्सव

चलो पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ, राष्ट्रधर्म निभाएँ।

इन दिनों समूचे प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक बालक-बालिकाओं के प्रवेश के लिए प्रवेशोत्सव एक अभियान के रूप में चल रहा है। 26 अप्रैल से शुरू हुआ यह उत्सव 10 मई तक चलेगा। शिक्षा तो सर्वव्यापक एवं सर्वहितैषी होती है। ऐसे में यह उत्सव गाँव-गाँव और गली-गली में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। प्रत्येक माता-पिता और प्रत्येक बच्चे से संबंधित है यह उत्सव। अत: इसे उत्सव नहीं, महोत्सव कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वस्तुत: प्रवेशोत्सव का यह प्रथम चरण है। ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुलने पर ऐसा ही अभियान 21 जून से 30 जून तक पुन: संचालित होगा।

राज्य के विभिन्न भागों से मिल रही सूचनाएँ शुभ संकेत है कि शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी, जन प्रतिनिधि एवं शिक्षाप्रेमी महानुभाव राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए संकल्पित होकर जनसम्पर्क कर रहे हैं। बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, पीले चावल बाँटे जा रहे हैं, गली-मौहल्लों में बैठकें आयोजित हो रही हैं। माल्यार्पण कर नव प्रवेशित बालक-बालिकाओं का स्वागत किया जा रहा है। उनके माता-पिता का भी अभिवादन-आभार किया जा रहा है। विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को निखारने तथा उनमें अधिकाधिक साधन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए दानदाता खुले हाथों से सहयोग कर रहे हैं। समाज में जहाँ देखो वहाँ शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा में कोई क्रान्ति आ गई है। यह सब जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है।

मुझे विश्वास है कि हम गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक नामांकन उपलब्धि इस वर्ष हासिल करेंगे। इस पावन यज्ञ में आहुति देने को तत्पर हर व्यक्ति के प्रति मैं शुभकामनाएँ प्रकट करता हुआ अग्रिम आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा के बल पर हम जीवन का अर्थ समझ कर उसे सुरभिमय, अर्थपूर्ण एवं आनन्ददायक बनाते हैं और उस शिक्षा की शुभ शुरूआत प्रवेशोत्सव के माध्यम से इन दिनों हो रही है। ऐसे में प्रवेशोत्सव को शिक्षा का आधारभूत साधन कहा जा सकता है। शिक्षा के इस आधारभूत साधन को प्रभावशाली बनाने के लिए सहयोग करना हमारा धर्म है। आइये, प्रवेशोत्सव रूपी रथ के सारथी बनकर सबको पढ़ाने और आगे बढ़ाने के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के संकल्प को पूरा करते हुए हम अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन करें।

शिविरा पत्रिका में 'अपनों से अपनी बात' का यह कॉलम एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से मैं शिक्षकों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलता हूँ, मेरे मन की बात कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनों से अपनी बात एकलमार्गी न रहकर द्विमार्गी/बहुमार्गी बने। आप भी मुझे अपने विचार लिखकर भिजवाएँ। आपके पत्रों से मुझे नए विचार मिलेंगे जो अन्तत: शैक्षिक नियोजन एवं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के हमारे संकल्प की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे।

इस ग्रीष्मावकाश में मेरी अपील है कि हम जलसंरक्षण के प्रति सचेष्ट रहें एवं अपने घरों पर बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कर प्रकृति के इन अनुपम उपहारों की रक्षा करने में सहभागी बनें।

ग्रीष्मावकाश 2016 शुरु होने को है। विद्यार्थियों और शिक्षकों से मैं चाहूँगा कि वे इस अवधि में स्वाध्याय, चिन्तन-मनन एवं देशाटन करते हुए देश के विभिन्न स्थानों की कला एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करें ताकि ग्रीष्मावकाश के पश्चात नवीन ऊर्जा एवं नए जोश के साथ विद्यालयों में उपस्थित होकर प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण एवं विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण-अधिगम के पुरोधा बन सके। ग्रीष्मावकाश आप सभी के लिए सुमंगलकारी एवं प्रसन्नतादायक सिद्ध हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ-

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 66 | अंक : 11-12 | वैशाख-ज्येष्ठ-आषाढ़ २०७३ | मई-जून, 2016

प्रधान सम्पादक
बी.एल. स्वर्णकार

वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द्र जाडोलिया

सम्पादक
जोमाराम जीनगर

सह सम्पादक
मुकेश व्यास

प्रकाशन सहायक
नारायण दास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 10

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 60
- संस्थाओं/विद्यालयों/अन्य व्यक्तियों के लिए ₹ 100
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 001
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

शिक्षाकल्प : मेरा पृष्ठ

- दायित्वों का निर्वहन ही सच्चा धर्म 5

आलेख

- योग : अभ्यास का इतिहास 6
  डॉ. के.के. पाठक
- प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह 8
  विजय सिंह माली
- टैगोर का शिक्षा-दर्शन एवं रचना संसार 11
  डॉ. श्याम मनोहर व्यास
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी : 12
  शिक्षिका प्रीतिलता वाद्देदार
  पूर्णिमा मित्रा
- अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहठ 13
  राजेन्द्र प्रसाद सिंह डांगी
- प्रातृत्व भावना की प्रतीक : 37
  रेडक्रॉस सोसायटी
  जसपाल कौर
- मातृभूमि के सौंदर्य का चितेरा : 38
  वीर सावरकर
  रमेश कुमार शर्मा

मासिक गीत

- नामांकन वृद्धि कैसे हो 10
- योग-महिमा 40

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

- भक्ति, शक्ति व प्रकृति की सुरम्य स्थली सवाईमाधोपुर 41
  रामावतार मेघवाल

स्पॉट

- आर.टी.ई. : निःशुल्क सीटों हेतु लॉटरी आवंटन 47
  मुकेश व्यास

उत्सव

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 15-36
- शाला प्रांगण 48
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50

पुस्तक समीक्षा 44-47

- भक्तवर नागरीदास : डॉ. फैयाज अली खाँ
  समीक्षक-शिवराज डंगाणी
- प्लेटोनिक लव : डॉ. मनमोहन सिंह यादव
  समीक्षक-डॉ. मदन सैनी

आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर
मो. 9414142641

पाठकों की बात

- अप्रेल 2016 की शिविरा में 'अपनों से अपनी बात' के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्री ने 'विदाई और अगुवाई' के आँखों के आँसुओं की बात और उसका फर्क बताकर हृदय स्थल की वीणा के तारों को हिलाकर उसमें अपूर्व करुणा और रुदन की झंकार झंकृत कर दी थी। दिशाकल्प में श्रीमान् शिक्षा निदेशक महोदय ने नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अभिलाषा प्रकट की है, उसे शिक्षक बंधु अवश्य संकल्पित होकर पूर्ण करेंगे। श्री राम की गुरु भक्ति और विनम्रता के आलेख में श्री टेकचन्द्र शर्मा ने उदाहरण देकर जो प्रेरणा दी है वह सराहनीय है। ई. ज्येष्ठानंद जीनगर का आलेख भी इस शृंखला में प्रेरणास्पद रहा। इस माह का गीत के अन्तर्गत पुनः मौलिक रचना के अभाव ने 'पाठकों की बात' पर अमल न किए जाने का संकेत दिया है। डॉ. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर प्रकाशित आलेख की उपादेयता श्रेष्ठ रही। 'राजस्थान की गणगौर' ने गागर में सागर भर कर अच्छी सामग्री दी। इसी तरह आंचलिक गणगौर के आलेख भी प्रकाशित किए जाए तो श्रेयस्कर रहेगा।

  –मनमोहन अभिलाषी, भरतपुर

- हर पत्रिका का आवरण पृष्ठ अहम् होता है। इस दृष्टि से शिविरा के हर अंक का आवरण पृष्ठ उस माह में जन्में महापुरुषों के छाया चित्रों से सुसज्जित होता है। इस अंक में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, डा. अम्बेडकर, पृथ्वी पुस्तक दिवस आदि के चित्र प्रस्तुत है। नव संवत्सर 2073, संत पीपाजी, भक्त धन्नाजी, राजस्थान की गणगौर से सम्बद्ध पाठ्यसामग्री भी प्रचुर मात्रा में पाठकों को परोसी गई है। यह अच्छी परम्परा है। डॉ. रेणुका व्यास का आलेख मनोवैज्ञानिक जीवनोपयोगी है। पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर आभानेरी श्री मुकेश व्यास की प्रस्तुति अलग ही छटा बिखेर रही है। अंक को सुन्दर स्वरूप प्रदान करने के लिए शिविरा सम्पादक मंडल को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत–बहुत बधाई।

  –टेकचन्द्र शर्मा, झुंझनूं

- शिक्षा के क्षेत्र में अप्रेल माह कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस माह में भक्ति और शक्ति, महापुरुषों के अवतरण दिवस, सामाजिक समरसता के वाहक का स्मरण करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक मानव को कर्त्तव्य बोध–आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करने वाला महीना है। शक्ति की पूजा नवरात्रा, मातृशक्ति के सिन्दूर की रक्षा हेतु गणगौर का व्रत, इससे जुड़ी कथाओं का गीतों में सस्वर गा कर सुखानुभूति का अवसर प्रदान करता है। गुरुभक्ति, आज्ञापालन, कर्त्तव्य एवं आदर्शों के अधिष्ठाता राम की कार्यप्रणाली की सद्प्रेरणा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को स्मरण कराती है। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश वर्तमान की आवश्यकता एवं संविधान सम्मत प्रेरणा प्रदान करता है। इस दृष्टि से महापुरुषों के प्रेरक जीवनवृत्त का पुनरावलोकन करते हुए माननीय शिक्षा राज्य मंत्री की 'अपनों से अपनी बात' के अनुसार समीक्षा और नियोजन की वेला में शिक्षकों को भावी योजना का निर्माण कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के संकल्प के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ध्येय हेतु प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। शिविरा में प्रकाशित लेखों के सार में संदेश को आत्मसात करने से निश्चित ही गुरु सम्मान सुरक्षित रह सकेगा। अंक की सामग्री पठनीय एवं प्रेरणादायक, मनन करने योग्य है। सम्पादक मण्डल, बधाई का पात्र है।

  –बजरंग प्रसाद मजेजी, अजमेर

- मैं किशोरावस्था से ही शिक्षा जगत की प्रखर पत्रिका शिविरा का पाठक हूँ। पत्रिका का सदस्य बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शिविरा का अप्रैल 2016 अंक मुझे थोड़ा देरी से मिला। जैसे ही पत्रिका मिली शिक्षा मंत्रीजी और निदेशक महोदय से परोक्ष रूबरू होकर सभी रोचक, प्रेरक और उत्साहवर्द्धक लेख पढ़ डाले... मधु सोनी जी के 'शिक्षण अनुभव' ने हृदय को छू लिया। आज प्रदेश के शैक्षिक वातावरण की उज्ज्वलता के लिए शिक्षक समाज को शिविरा की महती आवश्यकता है।

  –सुखदेव प्रसाद गुर्जर 'देव सरस', अजमेर

- शिविरा पत्रिका का अप्रैल 2016 का अंक प्राप्त हुआ। पूरी पत्रिका को शुरू से आखिर तक पढ़ा। हर आलेख से कुछ नया सीखने को मिला। विशेष तौर से 'कैसे हो व्यक्तित्व का विकास'– डॉ. रेणुका व्यास द्वारा लिखित आलेख ने मुझे कुछ नई जानकारी से रू–ब–रू कराया। मैंने कुछ वर्षों पहले विद्यार्थियों के अनुशासन, कुंठाग्रस्त सोच व हिंसक प्रवृति पर काफी कुछ लिखा है। लेखक ने जो विचार इस आलेख में लिखे हैं वे काफी सटीक लगे। यह बात पूर्णतः सही है कि व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है बदला नहीं जा सकता। आज यही समस्या स्कूल व यहां तक कि घरों में भी व्याप्त है। हम सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं यहीं से विरोध, अवहेलना शुरू हो जाती है फिर कहते हैं कि अमुक बालक या रिश्तेदार हमारा कहना नहीं मानता। पारिवारिक मतभेद, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों की आज्ञा की अवहेलना इसी कारण होती है। लेखक के विचार काफी सराहनीय है। आशा करता हूँ इसी प्रकार के प्रेरणादायी लेख फिर पढ़ने को मिलेंगे।

  –शंकरलाल जोशी, बीकानेर

▼ **चिन्तन**

प्रियवाक्यं प्रदानेन,
सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
तस्मात्तदेव वक्तव्यं,
वचने का दरिद्रता।
–चाणक्य नीतिः

अर्थः सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए, बोलने में गरीबी कैसी ?

बी.एल. स्वर्णकार
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

दायित्वों का निर्वहन ही सच्चा धर्म

वर्तमान शिक्षा-सत्र में शाला प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण (26 अप्रैल से 10 मई) उत्कृष्टता के साथ सम्पन्नता की ओर है। नामांकन वृद्धि का यह अभियान केवल संख्यात्मक दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं अपितु प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सुनिश्चितता की कार्य योजना का आधार है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 16000 संस्था प्रधान/शिक्षकों की नियुक्ति/पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन की कार्यवाही की गई। निदेशालय, उपनिदेशक कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तरों पर पनामर्श विधि आयोजित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की मेरिट/वरिष्ठता एवं प्राथमिकता के आधार पर उनके स्वयं के इच्छित विद्यालय में ही पदस्थापित करने का प्रयास किया गया। पनामर्श प्रक्रिया में संवेदनशीलता बरतते हुए दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, विधवा/परित्यक्ता व अन्य महिला शिक्षकों को विकल्प चयन में प्राथमिकता प्रदान की गई। इस प्रक्रिया में अधिकतम नामांकन एवं अधिकतम रिक्त पदों वाले विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन का प्रयास किया गया है। अधिकतम आवश्यकता वाले विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के पदस्थापन से विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में इस कदम से जन सामान्य में सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। इस विश्वास को और दृढ़ करने में संस्था-प्रधान और शिक्षक अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निभायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दायित्वों का निर्वहन ही सच्चा धर्म है-

"जो दृढ़ राखे धर्म को,
ताहि राखे करतार।"

हमारा लक्ष्य है हमारे विद्यार्थी वैश्विक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट व संस्कारवान हो राष्ट्रधर्म निभाते हुए राष्ट्र का गौरव बनें।

महाराणा प्रताप की आन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का ज्ञान हमारा पाथेय बनें।

शुभकामनाओं के साथ।

(बी.एल. स्वर्णकार)

"अधिकतम आवश्यकता वाले विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के पदस्थापन से विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में इस कदम से जन सामान्य में सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। इस विश्वास को और दृढ़ करने में संस्था-प्रधान और शिक्षक अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निभायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।"

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

योग : अभ्यास का इतिहास

❒ डॉ. के.के. पाठक

डॉ. के.के. पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यन्त ऊर्जस्वी व गतिमान युवा अधिकारी हैं। आप उच्च कोटि के चिन्तक, लेखक एवं उद्भट विद्वान हैं। आपने दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें धर्म की विज्ञान यात्रा (दो भाग), प्रेम : एक वैज्ञानिक अध्ययन, धनात्मक सोच : सहजता का सूत्र, गाँधीगिरी का मैनेजमेंट, गाँधीवाद और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ, मृत्युपथ : अमृत की तलाश आदि प्रमुख हैं। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की मान्यता अद्भुत एवं विलक्षण हैं। अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए विख्यात डॉ. पाठक माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शिविरा पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं। वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के सोशल सेक्रेट्री हैं।

21 जून, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन है,
लंबे जीवन के लिए बने योग का वैश्विक दिवस बना है.
परंपरा अनुसार पतंजलियोग के प्रतिष्ठाता हैं.
किंवदन्ती के अनुसार
पतंजलि का जन्म गोनारद्य में हुआ
और
निवास नाग कूप, काशी में रहा.
वे योग के साथ व्याकरण व आयुर्वेद के भी ज्ञाता रहे,
किंतु मूल प्रतिष्ठा योगी के रूप में रही.
उनके लघु सूत्रग्रंथ योग सूत्र पर कालांतर में
व्यास, वाचस्पति, विज्ञान भिक्षु, धरेश्वर भोज के प्रसिद्ध भाष्य लिखे गए.
कहते हैं,
योग का प्रवर्तन आदिगुरु शिव ने किया,
तदुपरांत शिव से सप्तर्षिगण तक पहुँचा.
उसी परंपरा में बहुत बाद में पतंजलि ने योग सूत्र का प्रणयन किया.
कालांतर में गोरक्षनाथ के साथ योग-तंत्र का परिष्कृत मिश्रण लिए परंपरा शुरू हुई.
बाद में जो हठ योग प्रधान ग्रंथ लिखे गये,
उनमें घेरण्ड संहिता, शिव संहिता व स्वात्मा राम की हठ योग प्रदीपिका प्रमुख हैं.
योग सूत्र चार भागों में विभक्त है-
समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद.
विभूतियाँ कैवल्य के पूर्व आती हैं,
तप से पूर्व अप्सराओं की तरह,
राह से भटकाने के लिए.
योग कहता है,
ऐहिकशक्ति अंततः आध्यात्मिक शांति के लिए अनुकूल नहीं है.
योग तंत्र की पृष्ठ भूमि से जन्मा है,
आसन के साथ मुद्रा व बंध,
ध्यान के साथ त्राटक,
कुंडलिनी व चक्र या कमल रूप समाधि-चरणों की मान्यता,
मूलतः तंत्र से आई मानी जाती है.
परंतु
योग मूलतः आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर गया,
जब कि तंत्र आधिदैविक लक्ष्य की ओर.
इस क्रम में योग की दैहिकता बस स्वास्थ्य तक थी,
यहीं तंत्र की दैहिकता संसर्ग की सांसारिकता तक पहुँच जाती थी.
योग निवृत्ति मार्गी है,
उस का स्वास्थ्य आयुर्वेद का स्वास्थ्य नहीं,
वह स्वास्थ्य दार्शनिक है-
स्वयं के स्वरूप में अवस्थिति
(तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्---योगसूत्र)
योग सर्व दर्शनोपकारी माना जाता रहा है.
गौतम बुद्ध को शंकराचार्य ने चक्रवर्ती योगी कहा है,
जैन आदिनाथ तो शिव के रूप ही माने जाते हैं,
महावीर का पूरा जीवन हठ योग साधना व सामयिक ध्यान का दृष्टांत है,
सूफी निजामुद्दीन औलिया सिद्धयोगी के नाम से जाने जाते थे,
गुरुनानक की साधना का एक हिस्सा श्मशान तक गया था.
वस्तुतः जनसामान्य के लिए योग का बाह्य पक्ष आसन तक सीमित है,
परंतु पतंजलि का बल इस पर नगण्य है.
उनके लिए स्थिरता पूर्वक व सुखपूर्वक बैठना ही आसन है.
(स्थिरसुखमासनम्---योगसूत्र)
योग का एक चरण व सबसे महत्वपूर्ण चरण ध्यान है,
आध्यात्मिकता की तलाश में निकले मानव ने अपने विकास के किसी कालखण्ड में पाया -
ध्यान एक चेतना है.
यह अपने जीवन और जगत के प्रति जागृति है.
यह किसी परमात्मा की तलाश से पूर्व

आत्मज्ञान की प्यास है
और
उसके लिए किया जाने वाला अभ्यास है.
पर
कैसे हो ये ध्यान?
यदि कारण प्रीति होती,
तो वह सहज सुरति बनकर छा जाता.
पर
यह तो विरक्ति से आया था.
ध्यान हार्दिकता प्रधान लोगों के लिए नहीं,
मानसिकता प्रधान लोगों के लिए था
और
इसमें नया संकट था –
मन की चीज मन से परे जाने ही न देती.
पतंजलि संभवतः उन लोगों में प्रथम या फिर चरम थे,
जो मानव मनोविज्ञान के रास्ते
ध्यान को विज्ञान बनाना चाहते थे.
उन्होंने साँसों पर खोज की, तो पाया–
ये तो तन–मन को जोड़ने वाला अद्भुत सेतु है.
अगर साँसें नियमित और व्यवस्थित हो जाएँ,
तो शरीर को नीरोग व मन को स्वस्थ रखा जा सकता है.
उन्होंने शरीर के व्यायाम की बजाय
सांसों का प्राणायाम खोजा.
यह ध्यान जगत की प्रथम वैज्ञानिक क्रांति थी.
कालांतर में योग की तीन धाराएँ फलीं –
–जो तन पर रह गए, वे हठ योग के रास्ते चले गए.
–जो मन पर रह गए, वे राजयोग के साधक बन गए.
–जो साँसों से बंध गए, वे स्वर योग में रम गए.
बाद में कुछ और मिश्रण आए–
–क्रियायोग, जो पतंजलि के समय में तप (कर्ममार्ग), स्वाध्याय (ज्ञानमार्ग), व ईश्वर प्रणिधान (भक्तिमार्ग) के समन्वय के रूप में था,
–लययोग, जो प्रकृति पुरुष के लय या स्त्री पुरुष पक्ष के लय पर आधारित था,
–मंत्रयोग, जो तमाम शक्ति साधना का महत्त्वपूर्ण साधन बना.
आज भी,
जब योग योगा बनकर वैश्विक हो गया है,
पॉवर योगा, हॉट योगा, डॉइनामिक योगा जैसे फ्यूज़न
अपने अपने ढंग से इसे लोकप्रिय बना रहे हैं.
पतंजलि का मार्ग शैव था.
कृष्ण ने योग में दूसरी बड़ी क्रांति की.
उन्होंने पहली बार योग को ज्ञान योग, भक्ति योग व कर्म योग में बाँट कर समन्वित किया.
साथ ही उन्होंने इनकी नई परिभाषा दी,
जो गीता में उपलब्ध है.
जो हो,
पतंजलि व कृष्ण का मार्ग
ध्यान करने का मार्ग है,
मगर
बुद्ध ने ध्यान रखने का मार्ग तलाशा.
उन्होंने कहा –
सांसों के व्यायाम की भी जरूरत नहीं,
जरूरत है बस हर साँस पर ध्यान रखने की.
उन्होंने इसका नाम विपश्यना रखा.
यह ध्यान की द्वितीय किंतु अद्वितीय क्रांति थी.
ध्यान का दर्शन वस्तुतः द्रष्टा बनने का दर्शन है.
यहाँ चेतना साक्षी बनती है,
प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ बनती है,
भावना ऋतंभरा बनती है.
योग का ध्यान
माला लेकर
'धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्'
जपने से ज्यादा
बुद्ध की तरह
'एहिपस्सिको'
अपनाने से चुड़ा है.
वह विचारों का
Concentration नहीं,
चित्त वृत्तियों के परे जाने का
Meditation है.
योगियों तांत्रिकों में अनाहतनाद लोक प्रिय शब्द रहा है,
वह स्वर, जो बिना किसी चीज़ के टकराये निकले.
कहते हैं,
ज्ञानी अनाहतनाद से पहुँचता है,
प्रेमी हृदय के अनुनाद से पहुँचता है.
योगी व वियोगी बहुत भिन्न हैं.
कहते हैं–
योगी चोड़ता है
और
जुड़ता है हर कण में
और
प्रेमी बिखरता है,
कण–कण में, हर क्षण में.
सिद्धांत और व्यवहार के अपने भेद हैं,
कई बार शब्द के अर्थ उसके यथार्थ से भिन्न होते हैं.
योगी होना ही वस्तुतः वैरागी होना है.
संसार न उसकी साधना का अंग रह जाता है,
नहीं सिद्धिका.
वह न साधना के लिए किसी अन्य पर निर्भरता रखता है,
न संसार के लिए किसी सत्संग की अपेक्षा रखता है.
योग आत्म शोधन से आत्म सिद्धि का मार्ग है,
वह चिरजीवन से अधिक नवजीवन के लिए मृत्यु का मार्ग है.
योगी वैरागी है, जो ऐक्य के लिए एकांत का मार्ग चुनता है और
जब संसार में लौटता है, तब भी सबको यही बता रहा होता है–
मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा,
पर
ऐसी मरनी मरो, जैसे मोरल मर दीठा.

महाराणा प्रताप जयंती

प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह

❑ विजय सिंह माली

स्वतंत्रता के पांचजन्य का तुमुल नाद करने वाले
आजादी की अलख जगाकर देश जगाने वाले
त्यागी बलिदानी वीर तुमने धर्म बचाया
मातृभूमि हित मृत्युवरण तुमने सिखलाया
आजीवन त्याग-तपस्या के स्वरूप अभिराम!
मातृभूमि की रक्षार्थ सतत् संघर्ष अविराम
अरावली के उत्तुंग शृंग तुम्हें प्रणाम
हे शिखर पुरुष, हे युग पुरुष तुम्हेंप्रणाम!!
पुरुषार्थ हुआ मूर्तीभूत, तुम पुरुषोत्तम साकार
पुरुषोत्तम के वंशज तुम, हे मेवाड़ी आधार
हे कर्मवीर, हे धर्मवीर प्रताप तुम्हें प्रणाम ।
हे शूरवीर, हे प्रणवीर प्रताप तुम्हें प्रणाम।।

प्रात:स्मरणीय महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला 3 विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई1540 ई. को ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग (राजसमंद जिला) में हुआ। कतिपय इतिहासकार प्रताप का जन्म उनके ननिहाल पाली में होना बताते है। प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदयसिंह था। उनकी माता जयवन्ता बाई पाली मारवाड़ के सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री थी। प्रताप का लालन पालन कुंभलगढ़ में हुआ। युवावस्था प्राप्त होते होते वह कुशल नीतिज्ञ व प्रवीण योद्धा बन चुका था प्रताप ने अपने सरल और सहृदय व्यवहार से वनवासी भीलों का दिल जीता और उनमें 'कीका' नाम से प्रिय हुए। कुँवरपदे काल में ही प्रताप ने मारवाड़ -मेवाड़ के बीच स्थित गोड़वाड़(वर्तमान पाली जिले का दक्षिणी भाग) जीता। अकबर के चितौड़ आक्रमण का अपने सहयोगी के साथ बखूबी प्रतिरोध किया। गोगूंदा में राणा उदय सिंह की मृत्यु होने पर वहीं महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी1572 को प्रताप का राजतिलक हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने का निश्चय किया तथा अपनी कुटनीति का परिचय क्रमशः जलाल खाँ कोरची,मानसिंह,भगवन्तदास और टोडरमल से हुई वार्ता में दिया तथा अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत बनाया।

18 जून 1576 ई. को हल्दीघाटी के समरांगण में महाराणा प्रताप और अकबर की

सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। महान् योद्धा प्रताप ने अपने आपको तलवार का धनी सिद्ध किया। अपने अप्रतिम शौर्य प्रदर्शन से शत्रु तक को दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ी। चेतक घोड़े पर सवार प्रताप और उसके वीर सैनिकों ने शत्रु दल में हाहाकार मचा दिया। चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ। रामशाह तंवर और हकीम खाँ सूरी जैसे सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुए। अपने साथी सरदारों के परामर्श पर वे रणभूमि से निकल गए और मुगलों से संघर्ष जारी रखा।

हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात भामाशाह व उनके अनुज ठा.ताराचंद कावेडिया के आर्थिक सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना का पुर्नगठन किया तथा विजयादशमी 1582 ई.को दिवेर के युद्ध में जीत हासिल कर मुगलों से मेवाड खाली कराना शुरू किया ।महाराणा प्रताप ने अब चावण्ड को अपनी राजधानी बनाया तथा मेवाड की चहुँमुखी उन्नति के प्रयास किए। 19 जनवरी 1597 ई. को महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। चावण्ड से ढाई किलोमीटर दूर बन्डोली गाँव के निकट बहने वाले नाले के किनारे उनका दाह संस्कार किया, जहाँ उनका स्मारक छत्री विद्यमान है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका घोर विरोधी अकबर भी उदास और स्तब्ध रह गया ।

महाराणा प्रताप महान थे,महान है और महान रहेंगे। वे आज्ञाकारी पुत्र थे ।उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। वे महान योद्धा थे। वे महान रणधीर,तलवार के धनी और वीरता के पर्याय थे। सैनिक कुशलता के बल पर ही वे मुगलों का प्रतिरोध लम्बे समय तक जारी रख पाये। वे महान सेनानायक और युद्धनीति विशेषज्ञ थे। उन्होंने वनवासी भीलों के युद्ध कौशल को विकसित कर उन्हें मेवाड़ी सेना का अभिन्न अंग बनाया जिसका फायदा मेवाड़ को कालान्तर में भी मिला। प्रताप ने गुप्तचर व्यवस्था को प्रभावी बनाया, आरक्षित सेना रखी, छापामार पद्धति से संघर्ष किया, शत्रु को खाद्य-रसद प्राप्त नहीं होने देकर मेवाड़ छोड़ने पर बाध्य किया। प्रताप ने कूटनीति द्वारा ही भारतीय मुसलमानों का दिल जीता व अपने पक्ष में हकीम खाँ सूरी जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं को बनाए रखा। अकबर के विरुद्ध उसके शत्रुओं का मोर्चा तैयार किया। प्रताप महान अर्थशास्त्री व अर्थप्रबन्धक भी थे। उन्होंने राजस्व का सुप्रबन्ध किया तथा राजस्व छीजत को रोका। युद्ध के समय भी व्यापार का निर्बाध चलना, बाहर से शिल्पियों, चितेरो व किसानों का आकर बसना उनके उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन का परिचायक है। प्रताप महान मानव संसाधन प्रबंधक थे। उन्होंने लोक सम्पर्क, लोकसंग्रह, लोक परिष्कार और लोक नियोजन के सूत्रों को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की छत्तीस कोमों का विश्वास जीता व मेवाड़ का अभिन्न अंग बनाया। यही कारण था कि हल्दीघाटी व दिवेर के युद्ध में प्रताप के पक्ष में सभी जाति-बिरादरी के लोग लड़े। प्रताप नैतिकता के पालन में भी महान थे। उन्होंने प्रलोभनों में भी नैतिक आदर्श नहीं छोड़े। उनके नैतिक गुण प्रशंसनीय, अभिनंदनीय व अनुकरणीय थे तभी तो कहा गया -

माायड़ ऐड़ा पूत जण, जेड़ा राणा प्रताप

प्रताप महान शासक थे। राजधानी बदलती रही लेकिन उनका शासन प्रबन्ध सदैव जनोन्मुखी बना रहा। वे स्वतंत्रता प्रिय थे। स्वदेश प्रेम उनका आदर्श था। मातृभूमि के अनन्य

उपासक थे। मातृभूमि के इस सच्चे सपूत ने मातृभूमि के लिए महलों के मोह को छोड़ा, पत्तों के पात्र में कन्दमूल खाकर तथा घास का बिछौना बनाकर प्रकृति के साथ रहना ही उचित समझा। प्रताप की यह अप्रतिम प्रतिज्ञा व त्याग शीलयुक्त अनुपम व्यक्तित्व विश्व में अनूठा उदाहरण है। प्रताप मानवीयता के आदर्श थे।वह मानवीय मूल्यों के संवाहक थे। प्रताप के मानवोचित व्यवहार का अब्दुल रहीम खानखाना भी कायल हो गया। प्रताप धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव के आदर्श थे। प्रताप ने प्रशासन, सेना, दरबार, संरक्षण में सभी जाति धर्म सम्प्रदायों के लोगों को उचित दायित्व दिए। पठान हकीम खांसूरी, निसारद चित्रकार और भामाशाह इसी के परिचायक थे। प्रताप भारतीय संस्कृति के रक्षक व पोषक थे। वे सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। वे त्यागी, तपस्वी, बलिदानी, कर्मवीर, धर्मवीर, शूरवीर, दानवीर, प्रणवीर थे। वे कलाकारों तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। निसारद चित्रकार व चक्रपाणि मिश्र जैसे लेखक उनके दरबार की शोभा थे। सचमुच प्रताप महान थे महान है और महान रहेंगे। उनकी महानता पर प्रश्नचिन्ह लगाना सूर्य को दीपक दिखाना है। श्यामनारायण पाण्डे ने ठीक ही लिखा है –

''तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है
सच कोई मुझसे पूछे, तो तू ही भारत है।''

प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और आदर्श के अनुरूप ही उनके सहयोगी थे। प्रताप के बाल सखा विश्वासपात्र अनन्य सहयोगी और प्रधान भामाशाह स्वदेश समर्पित, त्याग और तलवार के धनी थे। उनका स्वदेश हित किया गया समर्पण और त्याग आज भी विश्व इतिहास में बेजोड़ है अभिनंदनीय है अनुकरणीय है, प्रेरक है।

'सर्वस्व स्वस्नेहनसो कर पातल को।
भामे प्रज्वलित कियो भारत के प्रदीप को।।

मेवाड़ के यशस्वी महाराणा सांगा द्वारा 1523 ई.में रणथम्भौर के किलेदार नियुक्त कावेड़िया गौत्र के ओसवाल जैन भारमल को उसकी कर्तव्यनिष्ठा, वफादारी,कूटनीतिज्ञता व प्रशासनिक कौशल्य से प्रभावित होकर महाराणा उदयसिंह ने एक लाख का पट्टा देकर अपना सामन्त बनाया और चितोड़ में हवेली व हस्तीशाला बनवाई। भारमल की पत्नी कर्पूर देवी की कोख से आषाढ़ शुक्ला 10 विक्रम संवत् 1604 तद्नुसार 28 जून 1547 ई. को रणथम्भौर में भामाशाह का जन्म हुआ। ये प्रताप से 7 साल छोटे थे। इनका बाल्यकाल चितौड़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। प्रताप के बाल सखा भामाशाह ने घुड़सवारी,अस्त्रशस्त्र संचालन में निपुणता प्राप्त की। भामाशाह का विवाह भोमा नाहटा की पुत्री से हुआ, इस विवाह के अवसर पर भोमा नाहटा ने भामाशाह को दक्षिणावर्त शंख व विपुल धनराशि भेंट की। 1567 ई. में अकबर के चितौड़ आक्रमण के समय सभी सामन्तों की सलाह पर महाराणा उदयसिंह चितौड़ छोड़कर सुरक्षित स्थल पर चले गए तो भामाशाह व उसका छोटा भाई ताराचंद कावेड़िया भी महाराणा के परिवार के साथ थे। 1572में महाराणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद जब प्रताप को गद्दी पर बिठाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो भामाशाह ने प्रताप का पक्ष लिया तथा उन्हें मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाकर अपनी मित्रता व स्वामिभक्ति का परिचय दिया राजा मानसिंह के साथ वार्ता के समय भी भामाशाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 जून 1576 ई.को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा प्रताप के निर्देशानुशार सैन्य व्यूह रचना में हरावल के दाहिने भाग की जिम्मेदारी ग्वालियर के रामशाह तंवर के साथ भामाशाह व उनके छोटे भाई ताराचंद कावेड़िया को दी गई। युद्ध प्रांरभ होने पर ये महाराणा प्रताप के सहयोगार्थ सेना के मध्य भाग में प्रताप के पास चले आए और प्रताप के साथ रहते हुए अप्रतिमशौर्य का प्रदर्शन किया । डॉ. गोपीनाथ शर्मा ने भी 'मेवाड़ मुगल सम्बंध' ग्रंथ में भामाशाह को केन्द्र में माना है। सर जदुनाथ सरकार ने भी हल्दीघाटी युद्ध में भामाशाह की भूमिका को रेखांकित किया है। युद्ध के प्रथम चरण में राणा की सेना को जो विजय मिली उसका श्रेय रामशाह तंवर के साथ भामाशाह व ताराचंद कावेड़िया को मिलता है, इसका उल्लेख फारसी इतिहासकार अल बदायूनी व अबुलफजल ने भी किया है। रक्त तलाई में जब युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था तब भामाशाह और ताराचंद राणाप्रताप के इर्द गिर्द रहे और उनकी रक्षा में सहायक बने। इस युद्ध में प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में भी इन दोनों भाइयों ने मदद की । हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात् महाराणा प्रताप ने भामाशाह की योग्यता को पहचान-परख कर रामाशाह महासहाणी को प्रधान पद से हटाकर भामाशाह को अपना प्रधान बनाया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी प्रताप ने अकबर से संघर्ष जारी रखा।1578 ई. में शाहबाज खाँ के कुंभलगढ़ आक्रमण के समय प्रताप कुंभलगढ से निकलकर रणकपुर होते हुए चूलिया (ईडर) चले गए। भामाशाह कुंभलगढ की प्रजा को लेकर मालवा स्थित रामपुरा गए और वहाँ के राव दुर्गा चन्द्रावत के सानिध्य में उन्हें सुरक्षा प्रदान की तत्पश्चात् भामाशाह व ताराचंद ने मालवा अभियान कर चूलिया (ईडर) जाकर प्रताप को 20 हजार अशर्फिया और 25 लाख रुपये समर्पित किए। इस धन से 25000 सैनिको का 12 वर्ष तक जीवन-निर्वाह किया जा सकता था। भामाशाह व ताराचंद का स्वदेश के लिए इससे बड़ा क्या समर्पण हो सकता था। भामाशाह के इस समर्पण ने प्रताप को मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने को प्रेरित किया जिससे वे सेना का पुनर्गठन कर मुगलों से संघर्ष जारी रख पाए व स्वतंत्रता की ज्योत को जलाए रखा। सचमुच भामाशाह मेवाड़ के उद्धारक सिद्ध हुए। भामाशाह की स्वामिभक्ति व त्याग की गाथाएँ सदैव गाई जाती रहेगी।

अक्टूबर 1580 में बैराम खाँ के पुत्र अर्ब्दुल रहीम खानखाना को अकबर ने अजमेर के सूबेदार पद पर नियुक्त किया तथा भामाशाह को साम दाम दण्ड भेद पूर्वक अपने पक्ष में लाने की जिम्मेदारी दी। खानखाना ने भामाशाह – ताराचंद कावेड़िया को कई प्रलोभन दिए पर उन्होंने वैभवशाली जीवन के प्रलोभन को ठुकराकर परम देशभक्ति व स्वामिभक्ति का परिचय दिया। खानखाना भी भामाशाह – ताराचंद की देशभक्ति से मन ही मन प्रभावित हो गया। विजयादशमी 1582 ई. को दिवेर के युद्ध में प्रताप ने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह के साथ भामाशाह व ताराचंद को रखा। दिवेर के युद्ध में भामाशाह ताराचंद ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपने आपको तलवार का धनी सिद्ध किया। स्वयं प्रताप ने भामाशाह की वीरता को सराहा। भामाशाह की हिम्मत व प्रेरणा से

कालान्तर में प्रताप ने चित्तौड़ व माण्डलगढ़ को छोड़ शेष समूचे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। बाँसवाड़ा- डूंगरपुर के सैन्य अभियान में भी भामाशाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महाराणा प्रताप द्वारा चावण्ड को राजधानी बनाकर भामाशाह के नेतृत्व में मेवाड़ को पुनर्गठित व पुनः व्यवस्थित किया गया। मेवाड़ की उजड़ी हुई बस्तियाँ पुनः बसाई गई खेती की व्यवस्था की गई, व्यापार को ठीक किया गया, मार्गो की सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया। भामाशाह मुक्तहस्त से चारणों, कवियों,जरूरतमंदों को धन दिया करता था। एक बार भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को उदयपुर में प्रीतिभोज पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कवि शंकर बारहठ को अमूल्य नग भेंट किया। भामाशाह ने कई बार बावनी (52 गाँव) व चौरासिया (84 गाँव) जिमामी। भामाशाह ने चित्तौड़ दुर्ग में भामाशाह की हवेली व हस्तीशाला बनवाई। बावर में 1593 ई. में देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया व अपनी हवेली बनवाई। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह महाराणा बने। महाराणा अमर सिंह ने भी भामाशाह को प्रधान बनाए रखा व मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। महाराणा अमर सिंह के निर्देश पर भामाशाह ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर वहाँ से दो करोड़ रुपये व बहुत सा सामान प्राप्त कर महाराणा को भेंट किया। जैन मुनि दौलत विजय द्वारा रचित खुमाण रासो में इसका वर्णन किया गया है।

माघ शुक्ल 11 संवत्1656 तदनुसार 11 जनवरी 1600ई. को उदयपुर में भामाशाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भामाशाह की आयु 53 वर्ष थी। कविराज श्यामलदास के अनुसार भामाशाह ने मरने से एक दिन पहले अपनी पत्नी को एक हस्तलिखित बही जिसमें मेवाड़ के कुल खजाने का हाल लिखा हुआ था, महाराणा को नजर करने की बात कही जो भामाशाह के देशप्रेम व स्वामिभक्ति को दर्शाती है। इस बही के आधार पर महाराणा अमर सिंह 1615ई. तक मुगल प्रतिरोध कर पाए। भामाशाह ने व्यवहार में 'कम्मे सुरा सो धम्मे सुरा'। (जो कर्म में वीर है,वही धर्म में वीर है) के आदर्श को चरितार्थ कर दिखाया। भामाशाह ने मेवाड़ के गौरव प्रतिष्ठा व शान को अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया जो अविस्मरणीय रहेगा। आहड़(उदयपुर) स्थित महासतियों में गंगोद्भव कुण्ड के ठीक सामने महाराणा अमर सिंह नें भामाशाह की छत्री बनवाई तथा भामाशाह के पुत्र जीवाशाह को अपना प्रधान बनाया। इस प्रकार भामाशाह ने स्वदेश भक्ति का अनूठा आदर्श दुनिया के सामने रखा आज भी भामाशाह की प्रासंगिकता बनी हुई है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और भामाशाह हमारे प्रेरणा स्रोत है।

वह धन क्या अवसर आने पर
जो त्याग भाव दिखला न सके
वह जीवन भी क्या जीवन है
जो काम देश के आ न सके।

प्रधानाचार्य
राज. आ. उच्च माध्य. विद्यालय
मगरतलाव (पाली)
मो. 9829285914

मासिक गीत

नामांकन वृद्धि कैसे हो

नामांकन वृद्धि कैसे हो आओ अब विचार करें
आशातीत सफलता हेतु रणनीति तैयार करें।
स्वच्छ छवि वाला हर विद्यालय अधिक प्रवेश दे पायेगा
अपने श्रेष्ठ पालन से चहुँओर सन्देश पहुँचायेगा।
घर-घर जाकर प्रवास द्वारा शिक्षा का प्रचार करें।।1।।

पावन विद्या मन्दिर में अनुशासन का पाठ पढ़ायें
शारीरिक दण्ड वर्जित है, स्नेह से आत्मानुशासन बतायें।
रिक्त कालांश न रहने पाये, व्यवस्था में सुधार करें।।2।।

सामान्य ज्ञान से वंचित बच्चे किताबी कीड़े कहलायेंगे।
भावी चुनौतियों से पराजित होकर सफल नहीं हो पायेंगे।
खेल जीवन का अभिन्न अंग है, उन्हें शिक्षा में शामिल करें।।3।।

चरित्रवान, समर्पित शिक्षक सुशिक्षा का आधार है।
जो परिश्रम से अध्यापन करते उनकी क्षमता अपार है।
कठिनाई आने पर भी स्वविवेक से समस्या का निस्तार करें।।4।।

ध्यान रहे कोई भी छात्र, न कभी भी पलायन करने पाये।
यदि सुविधायें उपलब्ध रहें, तो ऐसी समस्या न आये।
सभी शिष्यों के मात-पिता से मिलकर सद् व्यवहार करें।।5।।

निर्धन छात्रों की सहायता करना भी अति जरूरी है।
भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ो हर आशा होती पूरी है।
नहीं असम्भव जग में कुछ भी सपना अपना साकार करें।।6।।

शेरसिंह बारहठ, पूर्व व्याख्याता
रा.उ.मा. विद्यालय, साँभरलेक (जयपुर)
मो. 9460601741

जयंती विशेष

टैगोर का शिक्षा-दर्शन एवं रचना संसार

❑ डॉ. श्याम मनोहर व्यास

नोबल पुरस्कार विजेता एवं महाकवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर बहुप्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक दशा का वर्णन किया। वे दलगत राजनीति पर विश्वास नहीं करते थे। वे व्यक्ति की समग्र स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे। टैगोर के व्यक्तित्व में संत एवं विद्रोही दोनों का एक समन्वय रूप था। वे तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे। बन्द कमरे में शिक्षा देना वे पसन्द नहीं करते थे। वे खुले वातावरण में शिक्षाध्ययन के समर्थक थे। वे शिक्षा के माध्यम से बालक में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते थे जो उसे सभ्य, ललित कला प्रेमी, स्वावलम्बी, भयमुक्त एवं समाजसेवी बना सके।

टैगोर सच्ची शिक्षा उसे ही मानते थे जो व्यक्ति के अज्ञान एवं अन्धविश्वास को दूर कर सके। वे मातृ भाषा में शिक्षा देने के समर्थक थे।

शिक्षा के सम्बन्ध में उनके उद्‌गार हृदयंगम करने योग्य एवं अनुकरणीय है–

1. हे विश्वजनों! हे अमृतपुत्रों, हे दिव्य-धामवासी देवगण! सुनो! मैं उस महान् पुरुष को जानता हूँ, जो अन्धकार से सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय है। उसे जानो। उसे जान कर ही मृत्यु के पार हम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी राह नहीं है। हे परतंत्र भारत! तेरे लिये भी यही एक मात्र पथ है, अन्य नहीं।
2. शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उच्चतम साधना है। अतः यह उद्देश्यात्मक होनी चाहिए। जीवन का वास्तविक विकास अविद्या से मुक्त होने पर ही होगा।
3. शिक्षा का सम्बन्ध संस्कृति, ललित कला तथा आर्थिक विकास से होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती।
4. प्रकृति के सान्निध्य में ही सच्चे सुख की अनुभूति होगी।
5. शक्तिशाली बनो तथा अपनी रक्षा आप बनो।
6. आप बन्द मन्दिर के गहरे अन्धेरे कोने के एकान्त में किसकी पूजा करते हो। आँखों पर पड़ा हल्का आवरण हटा कर देखो कि क्या ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है।
7. आनंद का झरना अपने भीतर है और उसे अपने अन्दर में ही खोजना होगा।
8. कठिन परिस्थिति में धैर्य रखो और निराशा को कभी मन में स्थान न दो।
9. लेखक को उसके जीवनकाल में जो सम्मान मिलता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
10. पुष्प चुनने के लिए ठहरो मत, आगे बढ़े चलो, तुम्हारी राह पर फूल खिलते रहेंगे।
11. हमें इस संसार में सत्य या श्रेष्ठ को ग्रहण करने का ईश्वर प्रदत्त वरदान प्राप्त है परन्तु ऐसी श्रेष्ठतापूर्ण गतिविधि, एक ऐसी शक्ति के द्वारा जो अनुशासन कहलाती है प्रतिबन्धित कर दी गई है। अनुशासन बच्चों के मस्तिष्क में जो सदैव जागरूक अनवरत तथा जन्मजात ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक होता है, उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा को कम करता है अतः शिक्षाध्ययन के लिये उन्मुक्त वातावरण जरूरी है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'शांति निकेतन' की कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर दूर बेलपुर के पास स्थापना की। यहाँ उन्होंने वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित शिक्षा-पद्धति को अपनाया। धीरे-धीरे यह विद्याश्रम 'विश्व भारती' जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसकी प्रसिद्धि सुन कर दूर-दूर से छात्र-छात्राएँ विद्यार्जन हेतु यहाँ आने लगे। कई विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारों, वैज्ञानिकों एवं कलाधर्मियों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कि मनुष्य विधाता की बनाई गई वस्तुओं में सर्वोत्तम है। वह सृष्टि का शृंगार है। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था।

टैगोर का रचना संसार

कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गीत, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि साहित्य की विविध विधाओं के क्षेत्र में साहित्य-सृजन किया। टैगोर ने प्रारंभ में बंगला में ही साहित्य सृजन किया। तदनन्तर इनका अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। 'भुवन मोहिनी' उपन्यास, 'वनफूल' पद्य संग्रह ये टैगोर की प्रारंभिक रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त 'कालमृगया', 'वाल्मीकि-प्रतिभा', 'सन्ध्या संगीत', 'छवि ओगान', 'प्राकृतिक-प्रतिशोध', 'ठकुरानी हाट', 'कवि-काहिनी' आदि कवि टैगोर की प्रभृति रचनाएँ काफी प्रसिद्ध हुई।

कालान्तर में महाकवि टैगोर ने 'प्रायश्चित', 'राजा', 'गोरा', 'जीवन-स्मृति', 'डाकघर', 'अचलायतन', जैसी उत्कृष्ट कृतियों का सृजन किया। 'गीतांजलि' पर विश्व विख्यात 'नोबल पुरस्कार' प्राप्त हुआ। गुरुदेव जब नोबल पुरस्कार लेकर भारत लौटे तो इनका कलकत्ता में भव्य स्वागत हुआ। 'रवेया' भी टैगोर की उच्च कृति है जिसमें कवि की रहस्य-भावना का उच्चतम रूप प्रस्फुटित हुआ है। 'जन-गण-मन' राष्ट्रगान के रचयिता भी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। महाकवि के लेख व कहानियाँ देश-विदेश की कई हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए।

पूर्व शिक्षा उपनिदेशक
15, पंचवटी, उदयपुर (राज.)-313004
मो. 9352103162

जन्म दिवस विशेष

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी : शिक्षिका प्रीतिलता वाद्देदार

❐ पूर्णिमा मित्रा

हमारे देश में प्रतिवर्ष सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छात्रों द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में देशभक्ति पर आधारित गीत, नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य अतिथि, प्रधानाध्यापक और कुछ छात्र स्वतंत्रता दिवस के महत्व को उजागर करने वाले भाषण देते हैं। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि ऐसे उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का उल्लेख अक्सर किया नहीं जाता। यह भी सच है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी प्राणों की आहूति देने वाली शिक्षिकाओं की संख्या नगण्य प्रायः है। लेकिन एक अकेली वीरांगना सुश्री प्रीतिलता वाद्देदार का व्यक्तित्व और कृतित्व पराधीन भारत की शिक्षिकाओं में सिरमौर है। स्वनाम धन्य प्रीतिलता वाद्देदार की गणना भले ही आज भूले-बिसरे क्रांतिकारियों में होती है। लेकिन ऐसी शिक्षिकाओं से स्वयं अंग्रेजी हुक्मरान भी डरते थे।

प्रीतिलता का जन्म 5 मई 1911 को माँ प्रतिभामयी की कोख से हुआ था। उनके पिता जगबंधु वाद्देदार चिट्टागाँव नगर निगम में लिपिक का कार्य करते थे। जगबंधु वाद्देदार स्त्रीशिक्षा और समाजोद्धार के प्रबल समर्थक थे। आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होने पर वे अपनी समस्त पुत्रियों को पुत्रों के समान उच्च शिक्षित करना चाहते थे। प्रीतिलता की प्रारंभिक शिक्षा डॉ. खास्तगीर गर्ल्स स्कूल में हुई। इसी विद्यालय में ऊषा दीदी जैसी देशभक्त शिक्षिका, अपनी छात्राओं को देशभक्त की वीरांगनाओं और सपूतों के बारे में बताया करती थी। इसी विद्यालय में उनकी मित्रता कल्पना दत्त से हुई। जिसने आगे चलकर, प्रीतिलता के साथ मिलकर अंग्रेज हुक्मरानों की नींद उड़ा दी।

उन दिनों पूरा भारत ही अंग्रेजों और उनके चंद चापलूस भारतीयों के अमानुषिक अत्याचारों से पीड़ित था। साधारण जनता पर ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा अमानुषिक अत्याचार किए जा रहे थे। जिसके विरोध स्वरूप, देशप्रेमियों द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। असहयोग आंदोलन के द्वारा अहिंसावादी क्रांतिकारी अपना विरोध जता रहे थे। सोनार बांग्ला भी अंग्रेजों के अत्याचारों के तले दबकर भयावह भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार बन चुका था। साहित्य-संगीत प्रेमी भावुक-नाजुक समझे जाने वाले बंगाली समुदाय में से, ऐसी विकट परिस्थितियों में ऐसे शूरवीरों का जन्म हुआ। जिन्होंने भारत माँ को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्य होम कर दिया।

अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसे क्रांतिकारी दल के सदस्यों के कारनामों से चिट्टागाँव के अनेक किशोरों ने प्रेरणा ली। प्रीतिलता भी कल्पना दत्त के साथ जाकर क्रांतिकारी सूर्यसेन से मिली। लेकिन दल के एक क्रांतिकारी के प्रबल विरोध के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। उस क्रांतिकारी का विचार था कि नाजुक दिखने वाली ये मेधावी किशोरियाँ, पुरुषों के समान, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बाद के वर्षों में प्रीतिलता और कल्पना दत्त ने उस क्रांतिकारी की इस धारणा को पूरी तरह झुठला दिया। देशभक्ति की लौ मन में जलाये प्रीतिलता ने अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया। इन्टरमीडियट परीक्षा में उस साल, ढाका बोर्ड में प्रीतिलता ने सर्वोच्च अंक हासिल करके अपने शिक्षकों और माता-पिता का नाम उज्ज्वल कर दिया।

तत्कालीन सामाजिक रुढ़ियों को धता बताकर प्रीतिलता ने कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस समय मास्टर सूर्यसेन ने अपने सशस्त्र क्रांतिकारी दल 'इण्डियन रिपब्लिक आर्मी में कॉलेज की छात्राओं को संदेश व शस्त्र लाने हेतु चुनने का विचार किया। प्रीतिलता और कल्पना दत्त को जब इस बात का पता चला तो वे मनोरंजन के माध्यम से मास्टर दा (सूर्य सेन) से मिली। मास्टर सूर्यसेन, स्वयं नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रीतिलता और कल्पना दत्त को अपनी शिक्षा जारी रखकर ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने की आज्ञा दी। प्रीतिलता ने बंदूक व रिवॉल्वर चलाने की भी ट्रेनिंग ली। इस दौरान वे चिट्टागाँव जेल में बंदी रामकृष्ण विश्वास से, उनकी छोटी बहिन बनकर 40 बार मिली।

बैथुन कॉलेज से विशेष योग्यता के साथ उन्होंने बी.ए. की उपाधि हासिल की। मास्टर सूर्यसेन की सलाह पर उन्होंने चिट्टागाँव के नंदनकानन गर्ल्स हाई स्कूल में प्रधानाध्यापिका का पद संभाल लिया। इस दौरान उनके माता-पिता उन्हें पारिवारिक जीवन का आनंद लेने हेतु प्रेरित करने लगे। लेकिन प्रीतिलता वाद्देदार विद्यालय में कार्य करने के साथ-साथ अपना बाकी का समय क्रांतिकारी गतिविधियों में बिताने लगी। उनकी माँ और उनकी बीच हुए पत्रालाप से पता चलता है कि प्रीतिलता एक कट्टर देशभक्त होने के साथ-साथ एक प्रखर राजनैतिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थी। मास्टर सूर्यसेन का सम्पर्क चन्द्रशेखर आजाद से भी था। आजाद ने सूर्यसेन के साथियों को उत्तम गुणवत्ता वाली दो पिस्तौलें देकर उन्हें हर संभव सहायता करने का वादा किया। 18 अप्रैल, 1930 से चिट्टागाँव मुक्ति की योजना का कार्यान्वयन किया गया।

मास्टर दा के साथियों ने विभिन्न सरकारी संचार सेवाओं व इमारतों पर आक्रमण कर दिया। प्रीतिलता ने अपने लम्बे केश कटा दिए। पुरुष वेश अपना लिया। 13 जून, 1932 को क्रूर केप्टन कैमरॉन ने प्रीतिलता के गुप्त अड्डे पर छापा मारा। प्रीतिलता सिपाहियों से घिर गई। प्रीतिलता ने कैप्टन कैमरॉन को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और वहाँ से सकुशल निकल गई। इस धावे के दौरान उनके दो साथी निर्मल सेन और अपूर्व सेन शहीद हो गए। प्रीतिलता पहले की तरह प्रधानाध्यापिका का कार्य करती रही। लेकिन कुछ समय बाद गुप्तचरों की मुखबिरी के कारण वे भूमिगत हो गई। प्रीतिलता

की नेतृत्व क्षमता व निशानेबाजी से प्रभावित होकर, सूर्यसेन ने उन्हें पहाड़ताली स्थित यूरोपियन क्लब में धावा बोलने को कहा। दरअसल, इस क्लब के मुख्य द्वार में इण्डियन्स एण्ड डॉग्स ऑर नाट अलाउड की लटकती तख्ती देशभक्तों के सीने में शूल की तरह चुभ रही थी। मास्टर सूर्यसेन और उनके साथी चिट्टागाँव बन्दरगाह की समस्त संचार व्यवस्था, रेल यातायात व टेलीफोन व्यवस्था को ठप्प करने में लगे हुए थे। छापामार युद्ध प्रणाली अपनाने से सूर्यसेन के दल को लगातार सफलता हासिल हो रही थी।

24 सितंबर 1932 को रात्रि के दस बजे प्रीतिलता ने अपने साथियों के साथ क्लब पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर गोलाबारी होती रही। अचानक प्रीतिलता के पाँव में गोली लग गई। प्रीतिलता ने अपने साथियों से वहाँ से निकल जाने को कहा। लेकिन पाँव में गोली लगने से वे स्वयं ज्यादा दूर भाग न सकी। अंग्रेज सिपाहियों के पास पहुँचने से पहले ही उन्होंने, अपने गले में बंधा पोटेशियम साइनाइड का केप्सूल खा लिया। पुरुष देश में प्रीतिलता का मृत शरीर ही अँग्रेज सिपाहियों के हाथ लगा।

प्रीतिलता की शहादत से प्रेरणा पाकर भारत के अनेक किशोर-किशोरियाँ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बेशक आज चिट्टागाँव हमारे देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन मास्टर सूर्यसेन, उषादीदी, प्रीतिलता और असंख्य छात्र छात्राओं का निःस्वार्थ बलिदान हमारे इतिहास की अनमोल कीर्ति है।

राष्ट्रीय पर्वों पर बालसभाओं में ऐसे विस्मृत मगर प्रेरणास्पद वीरांगनाओं की चर्चा नाटकों, स्वरचित गीतों व भाषणों के माध्यम से अवश्य की जानी चाहिए। इससे छात्रों में बाल्यावस्था से ही देश के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने की भावना जागृत होगी।

ए-59, करणीनगर,
नागणेची जी रोड़, बीकानेर-334003
मो. 896386490

मनुष्य को हमेशा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए।

जन्म दिवस विशेष

अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहठ

❐ राजेन्द्र प्रसाद सिंह डांगी

"मेरी माँ को रोने दो, जिससे किसी अन्य माँ को नहीं रोना पड़े, अपनी माँ को हँसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता।" यह उत्तर क्रांतिकारी युवक कुंवर प्रताप सिंह बारहठ का था, जो उन्होंने सर चार्ल्स क्लीवलैण्ड को दिया था।

देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह का जन्म 24 मई सन् 1893 को उदयपुर में उस वीर परिवार में हुआ, जिनकी तीन पीढ़ियों ने आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक कुर्बानियाँ दी। वे बारहठ परिवार के गौरव ठाकुर केसरी सिंह के पुत्र थे, जिसे देशभक्ति का पाठ माँ के गर्भ में ही पढ़ने को मिल गया था।

अभी वे पूरे वयस्क भी नहीं हुए थे कि उन्हें क्रांतिकारी दल में कार्य करने के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त मास्टर अमीचंद के पास भेज दिया गया। उन्होंने महान् विप्लवी रासबिहारी बोस से युवा प्रताप सिंह का परिचय करवाते हुए बताया कि इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। इस पर भी बोस ने कुछ दिनों इन्हें प्रशिक्षण के लिए अपने पास रखा और फिर राजपूताना की सैनिक छावनियों से भारतीय सैनिकों तथा अन्य युवकों को मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रान्ति के लिए तैयार करने हेतु भिजवा दिया।

श्री बोस ने जब अंग्रेज वायसराय लार्ड हार्डिंग्ज पर बम फेंकने की योजना बनाई तो कुंवर प्रताप सिंह ने अपने चाचा जोरावर सिंह द्वारा दिल्ली के चाँदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के भवन के ऊपर से हाथी पर आ रहे लार्ड हार्डिंग्ज पर बुर्के से हाथ निकालकर बम फेंका और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना 23 दिसम्बर सन् 1912 की थी। जोरावर सिंह तो उसके बाद ताउम्र फरार रहे और अंग्रेजी सरकार के हाथ न आये। प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया गया। प्रताप सिंह कोटा आ गये लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवार के समस्त पुरुषों पर वारन्ट निकले। चाचा, भतीजे ढूंढ़े जा रहे थे। इसलिए वे कोटा छोड़कर सिंध हैदराबाद चले गये। वहाँ एक डिस्पेंसरी में कम्पाउण्डर बनकर छद्म रूप में काम करते रहे व शेष समय युवकों में देशभक्ति और क्रान्ति की भावना जागृत करते थे। वहाँ से निकाल कर बीकानेर ले जाने के लिए उनके दल का एक सदस्य रामनारायण चौधरी हैदराबाद पहुँचा। तब प्रताप हैदराबाद के कार्यों को दूसरे के हाथों सौंपकर गर्मी, धूप और 4-5 दिन जागने के बाद वे रेल से जोधपुर होकर निकले। जोधपुर से आगे एक छोटे से रेल्वे स्टेशन आसानाड़ा पर रेल्वे मास्टर परिचित था। वहाँ ठहरकर कुछ आराम कर लेने, कोई नई बात हो तो जान लेने के विचार से प्रताप वहाँ उतर गए। उन्हें क्या मालुम था कि वे विश्वासघाती के चंगुल में जा रहे है। स्टेशन मास्टर को इस बीच पुलिस ने फोड़ लिया था। स्टेशन मास्टर ने प्रताप को देखते ही कहा- "पुलिस तुम्हारी खोज में चक्कर लगा रही है, कोई देख लेगा, मेरी कोठरी में जा बैठो, कुछ खाओ, पीओ और विश्राम करो।" वह प्रताप को कोठरी में ले गया। प्रताप ने कहा- "निद्रा सता रही है, सोऊंगा।" विश्वासघाती ने कहा- "निःशंक सो जाओ, मैं बाहर ताला मार देता हूँ, ताकि किसी को शक न हो। गहरी निद्रा में होने पर स्टेशन मास्टर ने कोठरी में से प्रताप का शस्त्र व दूसरी सब चीजे बाहर निकाल ली, ताकि मुकाबले के लिए प्रताप के हाथ कुछ न रहे। फिर उसने जोधपुर पुलिस को टेलीफोन कर दिया। पुलिस फौजी दल बल के साथ आ पहुँचा। आसानाड़ा घेर लिया गया, कोठरी के द्वार और खिड़कियों पर बर्छे और संगीनें अड़ा दी गई। चुपके से ताला खोलकर सोते हुए प्रताप पर पुलिस टूट पड़ी, गिरफ्तार कर लिया और बनारस षड़यंत्र केस में पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दे दी गई।

वे बरेली जेल में बन्दी बनाकर रखे गये। यहाँ भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैण्ड बरेली सेण्ट्रल जेल पहुँचे।

वे जानते थे कि प्रतापसिंह रासबिहारी के अत्यन्त विश्वासपात्र है। उन्हें क्रान्तिकारी दल के सारे गुप्त रहस्य मालूम है। प्रताप सिंह को ऊँचा पद देने, परिवार की शाहपुरा में जब्त जागीर को वापस कर देने, पिता केसरी सिंह और चाचा जोरावर सिंह को दोषमुक्त कर देने के लालच दिये गये। पर प्रताप पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर चार्ल्स ने हृदय को और अधिक छूता हुआ भारी प्रलोभन दिया गया, उनकी कोमल भावनाओं को छुआ गया और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दिन रात रोती है, यदि तुमने सरकार को क्रान्तिकारी दल का भेद नहीं बतलाया तो वह प्राण त्याग देगी। क्लीवलैण्ड नहीं जानता था कि वीर प्रतापसिंह उस गौरवशाली वंश का युवक था जो प्राणों को बचाने के लिए कभी विश्वासघात नहीं करता। प्रतापसिंह ने सर चार्ल्स क्लीवलैण्ड जो उत्तर दिया वह उसके महान् उज्ज्वल चरित्र का प्रतीक है। 24 घण्टे तक सोचने का समय देने के बाद जब सर चार्ल्स क्लीवलैण्ड वापस आये तो प्रताप ने तुरंत उत्तर दिया–

''तुम कहते हो मेरी माता मेरे लिए रात दिन रोती है। मेरी माँ को रोने दो, जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हँसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यदि मैं अपने साथी क्रान्तिकारी की माताओं को रुलाने का कारण बना तो वह मेरी मृत्यु होगी और मेरी माँ के लिए घोर कलंक होगा।''

सर चार्ल्स क्लीवलैण्ड ने प्रतापसिंह के बारे में लिखा, ''मैंने आज तक ऐसा वीर और विलक्षण बुद्धि का युवक नहीं देखा। उसे सताने में कोई कसर नहीं रखी, परन्तु वह धीर-वीर टस से मस नहीं हुआ। गजब का कष्ट सहने वाला था, हमारी सब युक्तियाँ बेकार हुई, हम सब हार गये, उसी की बात अटल रही, वह विजयी हुआ।''

उसके पश्चात् जब अंग्रेज सरकार सब तरह के प्रलोभन देकर हार गई और प्रताप से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रही, तो जितने भी दमन चक्र उनके पास थे, प्रताप पर चलाये गये। बैंतों की मार, बिजली के झटके, भोजन में विष इत्यादि सब कुछ प्रताप के साथ किया गया, लेकिन सारी यातनाएँ वे सहन करते रहे। 22 वर्ष का वह युवा प्रताप और यह भीषण अग्नि परीक्षा।

उसके बाद अंग्रेज सरकार ने एक और चाल चली। प्रताप को बेस्ली जेल से रेल में बिठाकर बिहार के हजारी बाग जेल में लाया गया, वहाँ दिल्ली षड्यंत्र और कोटा षड्यंत्र में फँसाये गये उनके पिता ठाकुर केसरी सिंह के केदी वेश में पिता प्रताप को यहाँ दर्शन कराये गये। देखते ही प्रताप की आँखें श्रद्धा से झुक गई और पितृ चरणों में प्रणाम किया। पुलिस अधिकारियों ने काराबद्ध केसरी सिंह से कहा– ''ठाकुर साहब, प्रताप को आपसे मिलाने के लिए लाए हैं। उनसे आप कह दीजिये कि वह सच्ची बात बतलादे, प्रताप और आप तुरंत छोड़ दिए जायेंगे।''

प्रताप की ओर कटुदृष्टि से देखते हुए कठोर स्वर में पिता ने कहा– ''प्रताप तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर उद्देश्य से फिर सकते हो, साथियों के साथ विश्वासघात कर भण्डा फोड़ सकते हो और कैद से छूट सकते हो, लेकिन याद रखना अपने पिता की गोली का निशाना नहीं चुका सकोगे। यदि तुम विचलित होकर फूट गये तो केसरी सिंह की गोली तुम्हारे सीने में होगी। यहाँ से छूटते ही सबसे पहले मैं तुम्हे जान से मारूँगा।''

प्रताप ने कहा– ''दाता मैं आपका पुत्र हूँ, मुझसे स्वप्न में भी देशद्रोह नहीं होगा। ये लोग नाहक ही मुझे यहाँ घसीट लाये थे।'' यह था पिता और पुत्र का अन्तिम मिलन। बनारस षड्यंत्र केस में जब प्रताप पुलिस हिरासत में थे तो पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा कैसे-कैसे प्रलोभन दिये गये, इसका विवरण शचीन्द्र नाथ सान्याल ने 'बन्दी जीवन' में विस्तार से दिया है।

प्रताप को पाँच वर्ष की सजा हुई और उसे बरेली सैण्ट्रल जेल में काल कोठरी में रखा गया। मुख्य अभियुक्त रासबिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गये थे। शचीन्द्र सान्याल को आजन्म कालापानी (अण्डमान) की सजा हुई। जोरावर सिंह आजन्म फरार हो गये। क्रान्तिकारी प्रताप भी नारकीय यातनाओं को झेलते-झेलते अमर शहीद बन गये। प्रताप को बरेली जेल में बिना मौत मार डाला गया। विक्रमी संवत 1975 की बैसाखी पूर्णिमा दिनांक 24 मई 1918 को 25 वर्ष की समाप्ति पर सदा के लिए गुलामी के बंधन तोड़कर चले गये। बंदिनी माँ के पीत कपोलों पर उस दिन तप्त आँसू लुढ़क रहे थे। बरेली के लोगों को इसका किसी प्रकार पता लग गया तो उन्होंने लाश का अन्तिम संस्कार करने के लिए मांग की। लेकिन सरकार ने लाश देने से मना कर दिया। यदि हिन्दू-रीति से प्रताप की लाश का जेल में अग्नि संस्कार किया जाता तो जेल से उठते हुए धुंए को देखकर स्थानीय लोगों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश फूट कर बलवा होने की आशंका थी। अतः जेल अधिकारियों ने प्रताप की लाश को हिन्दू होते हुए भी जेल परिसर में खड्डा खोद कर कब्र में दफना दिया। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद राजपूताना की यह प्रथम आहूति थी और वह भी ऐसी कि विधाता उस मिट्टी का पात्र कभी-कभी ही अपने हाथों से घड़ता है। क्या आश्चर्य कि राव गोपाल सिंह खरवा जैसे क्रान्तिकारी के मन में प्रताप के लिए ऐसी ही भावना हो कि ''विधाता ने सौ रंघड़ (वीर क्षत्रिय) भांग कर प्रताप को बनाया था।'' धन्य हो वीर। तुम जैसे वीर पुत्रों के बलिदान से ही भारत माता स्वतंत्र हुई। ऐसे देशभक्त वीर प्रताप सिंह बारहठ पर गर्व किसे न होगा?

ऐसे अनूठे वीर आजादी के दिवानों का स्मारक बनाने को कुछ शाहपुरावासियों ने 45 वर्ष पूर्व संकल्प लिया और 'श्री केसरी सिंह बारहठ स्मारक समिति' की स्थापना हुई। दिनांक 21 नवम्बर 1972 को त्रिमूर्ति स्मारक लगाने हेतु शिलान्यास हुआ और 25 अप्रेल 1976 को त्रिमूर्ति का अनावरण हुआ, जो आज भी शाहपुरा में कुण्डगेट के बाहर गर्व से झांकती हुई दर्शन देती है। समिति के प्रयास से स्थानीय महाविद्यालय का नाम प्रताप के नाम पर 'श्री प्रताप सिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय' तथा स्थानीय बालिका विद्यालय का नाम प्रताप की वीर जननी माणिक कंवर के नाम पर 'वीर माता माणिक कंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय' रखा गया। अमर शहीद बारहठ जी की हवेली में स्वतंत्रता सैनानियों का संग्रहालय बनाया जा रहा है। त्रिमूर्ति स्मारक पर प्रतिवर्ष 23 दिसम्बर को 'शहीद मेला' लगता है।

संयोजक, श्री केसरी सिंह बारहठ
स्मारक समिति, शाहपुरा जिला,
भीलवाड़ा (राज.)

बालक रूपी पुष्प संस्कारित बगिया (विद्यालय) में ही खिलता है।

आदेश-परिपत्र : मई-जून, 2016

1. शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।
2. माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत।
3. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में।
4. प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016-17 से 2018-19) संशोधित सूची ब्लॉकवार
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा-2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश।
6. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना: 2016-17
7. परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण।
8. माध्यमिक शिक्षा सैट अप के छात्रनिधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी आदेश।
9. विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु योजना।
10. अजा./अजजा छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति।
11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012

1. शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22444/विविध/2015-16/ दिनांक : 31.03.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में। ● विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2005 एवं 24.03.2009

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा-कक्ष में मोबाइल फोन के उपयोग की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में शिकायतें आमतौर पर होती रहती है। उक्त बाबत विभाग के अधीनस्थ समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एतद् द्वारा पुनः निर्देश जारी किए जाते है :-

1. राज्य के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों के समस्त छात्र-छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को कक्षा-कक्ष एवं शाला परिसर में वार्ता करने पर पाबंदी लगाई जाकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।
2. शाला स्टाफ सदस्यों व छात्र/छात्राओं द्वारा एक बार हिदायत देते हुए पुनरावृत्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही 'राजस्थान असैनिक सेवाएँ आचरण नियम-1971' के अनुरूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करें।

उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु सूचना पट्ट एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में मोबाइल फोन के उपयोग पर समुचित प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करें।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

2. माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2016-17/ दिनांक : 31.03.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय ● माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत। ● शासन का पत्रांक-प.32(01) शिक्षा-1/2002 पार्ट-I, जयपुर, दिनांक 10.03.2016

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2016 द्वारा इस वर्ष कक्षा-8 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हुए समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् राजकीय विद्यालयों में अस्थाई प्रवेश देते हुए 01 अप्रेल से आगामी कक्षाओं में विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए है।

विद्यालय परिक्षेत्र की गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी अस्थाई प्रवेश दिया जाकर विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षक-अभिभावक संघ एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में विस्तृत विमर्श उपरान्त ठोस एवं व्यावहारिक कार्य योजना निर्मित करें।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु माह अप्रेल में आवश्यकतानुसार समय प्रबंधन करते हुए विद्यार्थियों की कक्षा एवं अधिगम स्तर के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। शेष सत्र हेतु आपके क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों का संचालन शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

3. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में।

● कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4166/प्र.उ./2016-17 दिनांक : 29.3.2016 ● 1. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● 2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में। ● राज्य सरकार का पत्रांक-प.32(1) शिक्षा-1/2000 पार्ट दिनांक 21.03.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में सत्र 2016-17 से विद्यालयों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दो चरणों में मनाया जायेगा। प्रवेशोत्सव

का प्रथम चरण 26 अप्रेल 2016 से 10 मई 2016 तक तथा द्वितीय चरण 21 जून 2016 से 30 जून 2016 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यक्रम संलग्न है। संलग्न प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करें:-

1. नामांकन के संबंध में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्ति के लिये इस वर्ष विशेष रूप से यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1.4.2016 से ऐसे बच्चे जो पूर्व में अनामांकित है उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जावे। साथ ही जैसे-जैसे कक्षा 1 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययनरत बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होती जावे तो उन्हें परीक्षा समाप्ति के दिवस से ही अपने विद्यालय में प्रवेश दे दिया जावे।
2. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक : प्रथम चरण 26 अप्रेल 2016 से 10 मई 2016 तक तथा द्वितीय चरण 21 जून 2016 से 30 जून 2016 तक मनाया जाना है जिसका कार्यक्रम संलग्न है। कार्यक्रमानुसार गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें।
3. प्रवेशोत्सव के दौरान अभिभावकों से सम्पर्क/जनसम्पर्क करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के जिन अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना है, उनकी सूची विद्यालय स्तर तक प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध हो। चारों प्रकार के VER/WER (Village Education Register/ward Education register) की समस्त विद्यालय स्तर तक पहुँच के पश्चात् संबंधित संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर VER/WER में बालक-बालिकाओं का आनुपातिक रूप से विभाजन कर उनके अभिभावकों से संपर्क करने तथा बालक-बालिकाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने का दायित्व दिया जावे।
4. प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय परिसीमन क्षेत्र में आने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के उन सभी बच्चों को, जो शिक्षा से वंचित रहे है, विद्यालय में चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (सी.टी.एस.) के आधार पर नामित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि विद्यालयी शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रहे। चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम को काम में लेने की पूर्ण तैयारी भी कर ली जावे।
5. कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें नोडल केन्द्रों से विद्यालयों तक निर्धारित समय सीमा में पहुँचाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रवेशोत्सव के दौरान निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित हो सके।
6. वर्ष 2016-17 में भी विद्यार्थियों हेतु पूर्व की भाँति पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था बुक बैंक एवं जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में जाते हैं उनसे पुस्तकें प्राप्त कर आगामी कक्षा में आने वाले छात्रों को वितरित की जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. प्रवेशोत्सव के दौरान आगामी 3 वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत प्रवेश में बढ़ातेरी के प्रयास सुनिश्चित करें। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ब्लॉकवार नामांकन की स्थिति विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
8. पंचायत समिति व जिला परिषद की साधारण सभाओं के संबंध में संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से समन्वय कर प्रवेशोत्सव कार्ययोजना के अनुसार जिला परिषद व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा एवं मनोनीत अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की साधारण सभा में उपस्थित रहकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार समस्त वांछित कार्यवाही समय पर पूरी कर लेवें जिससे नामांकन के उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किये जा सके। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक की व संलग्न प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के गतिविधियों के आयोजन की सुनिश्चित व्यवस्था करते हुए संलग्न प्रपत्र 1 से 5 में नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं की प्रथम व द्वितीय चरण की समाप्ति पर (प्रपत्र 1 व 2 प्रथम चरण में नवप्रवेशित, प्रपत्र 3 व 4 में द्वितीय चरण में नव प्रवेशित की संख्या) तथा प्रपत्र 5 में प्रथम व द्वितीय चरण की समाप्ति के पश्चात समेकित सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई-डी shakshikcelledu@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं प्रपत्र 1 से 5

● (जगदीश चन्द्र पुरोहित) आई.ए.एस. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम (प्रथम चरण) माह अप्रेल, मई 2016
(26.04.2016 से 10.5.2016 तक)

क्र. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	26 अप्रेल 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा छात्रवृत्ति, निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना, शैक्षिक भ्रमण एवं पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करना। स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना, बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से संपर्क स्थापित करना जिनके बच्चे एसएसए. द्वारा किये गये सीटीएस. सर्वे/अनामांकित बच्चो के तैयार किए गए गोश्वारा के अनुसार विद्यालय जाने योग्य हैं तथा विद्यालय में अनामांकित हैं उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना, साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु

		विशेष ध्यान देना।
2	27 अप्रैल 2016	स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना जिसमें शिक्षा की महत्ता से संबंधित बेनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज सज्जा, वृक्षारोपण, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रवेशोत्सव आदि पर प्रकाश डालते हुए समारोह का आयोजन करना।
3	28 अप्रैल 2016	प्रार्थना सभा के आयोजन में ही विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का परम्परागत तरीके से स्वागत एवं पारस्परिक परिचय के साथ-साथ मोली-तिलक लगाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना/पूजा आयोजित की जाना। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
4	29 अप्रैल 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच वार्ड पंच एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का सम्बोधन।
5	30 अप्रैल 2016	बाल सभा एवं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण रुचिकर बनाना।
6	02 मई 2016	बच्चों हेतु ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं, बालमेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन। पुनः ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ रैली, प्रभात फेरी का आयोजन। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करना जो विद्यालय में प्रवेश लेने से छूटे हुए है।
7	03 मई 2016	स्थानीय दर्शनीय स्थलों पर बच्चों को ले जाना। शाला में पंचवटी लगाने हेतु जगह तैयार करना, विचार विमर्श आदि करना।
8	04 मई 2016	प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों का स्वागत।
9	05 मई 2016	विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी। पाँच संकल्प शिक्षकों एवं छात्रों को दिलाना।
10	06 मई 2016	अध्यापकों की टोलियों के द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्या का पता लगाना।
11	07 मई 2016	शाला/ग्राम स्तर पर प्राप्त समस्याओं का निराकरण कर, प्रवेश की शत प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
12	09 मई 2016	चिह्नित बालकों के अभिभावकों से मिलना जो अभी तक प्रवेश के लिये शाला प्रधान से मिलने नहीं आये।
13	10 मई 2016	पखवाड़े के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत किये गये कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-(द्वितीय चरण) माह जून 2016

(21.06.2016 से 30.06.2016 तक)

क्र. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	21 जून 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना, बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से संपर्क स्थापित करना जिनके बच्चे एसएसए. द्वारा किये गये सीटीएस. सर्वे अनुसार विद्यालय जाने योग्य हैं तथा विद्यालय में अभी भी अनामांकित है। अनामांकित बच्चों का गोश्वारा तैयार कर, उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु विशेष ध्यान देना।
2	22 जून 2016	स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना जिसमें शिक्षा की महत्ता से संबंधित बेनर, स्टीकर,नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज सज्जा, वृक्षारोपण, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रवेशोत्सव आदि पर प्रकाश डालते हुए समारोह का आयोजन करना।
3	23 जून 2016	प्रार्थना सभा के आयोजन में ही विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक एवं बालिकाओं का परम्परागत तरीके से स्वागत एवं पारस्परिक परिचय कराने के साथ-साथ

		प्रत्येक नये एवं पुराने विद्यार्थियों का मोली/तिलक लगाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे प्रार्थना/पूजन आयोजित किया जाना। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक का आयोजन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का सम्बोधन।
4	24 जून 2016	बाल सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर वातावरण बच्चों के लिए रुचिकर बनाना, जो बच्चों को प्रवेश देने में प्रेरक बने। चित्रकला एवं सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन। बच्चों हेतु ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएँ, बालमेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि का प्रदर्शन।
5	25 जून 2016	पुनः ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ रैली, प्रभात फेरी का आयोजन। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करना जो विद्यालय में प्रवेश लेने से छूटे हुए हैं। स्थानीय दर्शनीय स्थलों पर बच्चों को ले जाना। शाला में पंचवटी लगाने हेतु जगह तैयार करना, विचार विमर्श आदि करना।
6	27 जून 2016	प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों का स्वागत। विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी। पाँच संकल्प शिक्षकों एवं छात्रों को दिलाना।
7	28 जून 2016	अध्यापकों की टोलियों के द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्या का पता लगाना।
8	29 जून 2016	शाला/ग्राम स्तर पर जिन बच्चों के द्वारा विद्यालय में नामांकन हेतु कतिपय शंका-समस्या प्रस्तुत की गई हो तो प्राप्त समस्याओं का विद्यालय प्रबन्धन समिति/स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निराकरण कर प्रवेश की शत प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9	30 जून 2016	प्रथम एवं द्वितीय पखवाड़े के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रपत्र संख्या-1

नव प्रवेशित बच्चों हेतु प्रगति विवरण

जिले का नाम ब्लॉक का नाम विद्यालय का नाम (दैनिक प्रगति रिपोर्ट नव प्रवेशित बच्चों की दिनांक वार)

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 2 में प्रवेश			कक्षा 3 में प्रवेश			कक्षा 4 में प्रवेश			कक्षा 5 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 7 में प्रवेश			कक्षा 8 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
26.4.2016																											
27.4.2016																											
28.4.2016																											
29.4.2016																											
30.4.2016																											
2.5.2016																											
3.5.2016																											
4.5.2016																											
5.5.2016																											
6.5.2016																											
7.5.2016																											
9.5.2016																											
10.5.2016																											
योग-																											

ह. संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण की समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित बच्चों का कुल जिलेवार नामांकन

प्रपत्र संख्या-2

जिले का नाम

क्र. सं.	ब्लॉक	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1																												
2																												
3																												
	योग-																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

नव प्रवेशित बच्चों हेतु प्रगति विवरण

प्रपत्र संख्या-3

जिले का नाम ब्लॉक का नाम विद्यालय का नाम (दैनिक प्रगति रिपोर्ट नव प्रवेशित बच्चों की दिनांक वार)

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 2 में प्रवेश			कक्षा 3 में प्रवेश			कक्षा 4 में प्रवेश			कक्षा 5 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 7 में प्रवेश			कक्षा 8 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
21.6.2016																											
22.6.2016																											
23.6.2016																											
24.6.2016																											
25.6.2016																											
27.6.2016																											
28.6.2016																											
29.6.2016																											
30.6.2016																											
योग-																											

ह. संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण की समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित बच्चों का कुल जिलेवार नामांकन

प्रपत्र संख्या-4

जिले का नाम

क्र. सं.	ब्लॉक	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1																												
2																												
3																												
	योग-																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जिले का कुल नामांकन

प्रपत्र संख्या-5

जिले का नाम

क्र.सं.	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
प्रथम चरण की समाप्ति पर																											
द्वितीय चरण की समाप्ति पर कुल नामांकन																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

4. प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016–17 से 2018–19) संशोधित सूची ब्लॉकवार

● कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/प्रवेशोत्सव/2016–17 दिनांकः–01–04–2016 ● उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016–17 से 2018–19) संशोधित सूची ब्लॉकवार ● इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.3.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में अत्यंत गम्भीर है। आगामी वर्षों (2016–17 से 2018–19) के दौरान राजकीय शालाओं में प्रवेशोत्सव के दौरान अधिकतम नवीन प्रवेश दिए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/प्रवेशोत्सव/2016–17 दिनांक 29.3.2016 के द्वारा तीन वर्षों का लक्ष्य की सूची संलग्न प्रेषित की गई थी। पूर्व में दिनांक 29.3.2016 की सूची को निरस्त मानते हुए संशोधित सूची पत्र के साथ के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः आगामी 3 वर्षों (2016–17 से 2018–19) के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की प्रवेश में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

● अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

ब्लॉक प्रवेशोत्सव 2016–17 से 2018–19 आगामी तीन वर्षों का लक्ष्य (संशोधित सूची)

			डाइस डाटा के अनुसार वर्ष 2015–16 का नामांकन			वर्ष 2016–17 का लक्ष्य (वर्ष 2015–16 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)			वर्ष 2017–18 का लक्ष्य (वर्ष 2016–17 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)			वर्ष 2018–19 का लक्ष्य (वर्ष 2017–18 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)		
S.No.	District	Block	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total
1	AJMER	AJMER(U)	3785	1508	5293	4164	1659	5823	4580	1825	6405	5038	2008	7046
2	AJMER	ARAIN	4776	2019	6795	5254	2221	7475	5779	2443	8222	6357	2687	9044
3	AJMER	BHINAI	6215	2447	8662	6837	2692	9529	7521	2961	10482	8273	3257	11530
4	AJMER	JAWAJA	15033	7425	22458	16536	8168	24704	18190	8985	27175	20009	9884	29893
5	AJMER	KEKRI	7503	3172	10675	8253	3489	11742	9078	3838	12916	9986	4222	14208
6	AJMER	KISHANGARH	9419	4267	13686	10361	4694	15055	11397	5163	16560	12537	5679	18216
7	AJMER	MASUDA	12381	4427	16808	13619	4870	18489	14981	5357	20338	16479	5893	22372
8	AJMER	PEESANGAN	11252	4504	15756	12377	4954	17331	13615	5449	19064	14977	5994	20971
9	AJMER	SARWAR	5140	1986	7126	5654	2185	7839	6219	2404	8623	6841	2644	9485
10	AJMER	SRINAGAR	7272	2759	10031	7999	3035	11034	8799	3339	12138	9679	3673	13352
		Total	**82776**	**34514**	**117290**	**91054**	**37967**	**129021**	**100159**	**41764**	**141923**	**110176**	**45941**	**156117**
11	ALWAR	BANSUR	9816	3245	13061	10798	3570	14368	11878	3927	15805	13066	4320	17386
12	ALWAR	BEHRORE	3303	1421	4724	3633	1563	5196	3996	1719	5715	4396	1891	6287
13	ALWAR	KATHUMAR	8596	2797	11393	9456	3077	12533	10402	3385	13787	11442	3724	15166
14	ALWAR	KISHANGARH BAS	13174	5008	18182	14491	5509	20000	15940	6060	22000	17534	6666	24200
15	ALWAR	KOTKASIM	4398	1930	6328	4838	2123	6961	5322	2335	7657	5854	2569	8423
16	ALWAR	LAKSHMANGARH	11677	3829	15506	12845	4212	17057	14130	4633	18763	15543	5096	20639
17	ALWAR	MUNDAWAR	6286	2800	9086	6915	3080	9995	7607	3388	10995	8368	3727	12095
18	ALWAR	NEEMRANA	3997	1676	5673	4397	1844	6241	4837	2028	6865	5321	2231	7552
19	ALWAR	RAINI	5900	2732	8632	6490	3005	9495	7139	3306	10445	7853	3637	11490
20	ALWAR	RAJGARH	8121	3447	11568	8933	3792	12725	9826	4171	13997	10809	4588	15397
21	ALWAR	RAMGARH	16098	5168	21266	17708	5685	23393	19479	6254	25733	21427	6879	28306
02	ALWAR	THANAGAZI	11631	4532	16163	12794	4985	17779	14073	5484	19557	15480	6032	21512
23	ALWAR	TIZARA	18678	3562	22240	20546	3918	24464	22601	4310	26911	24861	4741	29602
24	ALWAR	UMRAIN	13461	4443	17904	14807	4887	19694	16288	5376	21664	17917	5914	23831
		Total	**135136**	**46590**	**181726**	**148650**	**51249**	**199899**	**163515**	**56374**	**219889**	**179867**	**62012**	**241879**
25	BANSWARA	ANANDPURI	12520	2589	15109	13772	2848	16620	15149	3133	18282	16664	3446	20110
26	BANSWARA	ARTHUNA	6300	2618	8918	6930	2880	9810	7623	3168	10791	8385	3485	11870
27	EANSWARA	BAGIDORA	7995	2144	10139	8795	2358	11153	9675	2594	12269	10643	2853	13496
23	BANSWARP	BANSWARA	15210	4197	19407	16731	4617	21348	18404	5079	23483	20244	5587	25831
29	BANSWARA	CHOTISARVAN	10041	1981	12022	11045	2179	13224	12150	2397	14547	13365	2637	16002
30	BANSWARA	GANGADTALAI	10325	1776	12101	11358	1954	13312	12494	2149	14643	13743	2364	16107
31	BANSWARA	GARHI	9570	4459	14029	10527	4905	15432	11580	5396	16976	12738	5936	18674
32	BANSWARA	GHATOL	25472	7545	33017	28019	8300	36319	30821	9130	39951	33903	10043	43946
33	BANSWARA	KUSHALGARH	19675	4313	23988	21643	4744	26387	23807	5218	29025	26188	5740	31928
34	BANSWARA	SAJJANGARH	18693	2748	21441	20562	3023	23585	22613	3325	25943	24880	3658	28538
35	BANSWARA	TALWARA	7462	2946	10408	8208	3241	11449	9029	3565	12594	9932	3922	13854
		Total	**143263**	**37316**	**180579**	**157590**	**41048**	**198638**	**173349**	**45153**	**218502**	**190684**	**49669**	**240353**
36	BARAN	ANTA	5605	1960	7565	6166	2156	8322	6783	2372	9155	7461	2609	10070
37	BARAN	ATRU	4920	1829	6749	5412	2012	7424	5953	2213	8166	6548	2434	8982
38	BARAN	BARAN	4881	2059	6940	5369	2265	7634	5906	2492	8398	6497	2741	9238
39	BARAN	CHHABRA	8735	2888	11623	9609	3177	12786	10570	3495	14065	11627	3845	15472
40	BARAN	CHHIPAIIAROD	10067	2786	12853	11074	3065	14139	12181	3372	15553	13399	3709	17108
41	BARAN	KISHANGANJ	9178	2234	11412	10096	2457	12553	11106	2703	13809	12217	2973	15190
42	BARAN	SHAHBAD	9010	2697	11707	9911	2967	12878	10902	3264	14166	11992	3590	15582
		Total	**52396**	**16453**	**68849**	**57636**	**18099**	**75735**	**63400**	**19909**	**83309**	**69740**	**21900**	**91640**

43	BARMER	BALOTRA	12658	4482	17140	13924	4930	18854	15316	5423	20739	16848	5965	22813
44	BARMER	BARMER	29174	10948	40122	32091	12043	44134	35300	13247	48547	38830	14572	53402
45	BARMER	BAYTU	12106	4693	16799	13317	5162	18479	14649	5678	20327	16114	6248	22360
45	BARMER	LHOHTAN	13780	4454	18234	15158	4899	20057	16674	5389	22063	18341	5928	24269
47	BARMER	DHANAU	13842	4215	18057	15226	4107	19863	16749	5101	21850	18424	5611	24035
48	BARMER	DHOROAANA	14405	4338	18743	15846	4772	20618	17431	5249	22680	19174	5774	24948
49	BARMER	GADRAROAD	9231	2549	11780	10154	2804	12958	11169	3084	14253	12286	3392	15678
50	BARMER	GIDA	11979	3749	15728	13177	4124	17301	14495	4536	19031	15945	4990	20935
51	BARMER	GUDAMALANI	14406	5487	19893	15847	6036	21883	17432	6640	24072	19175	7304	26479
52	BARMER	KALYANPUR	8403	2664	11067	9243	2930	12173	10167	3223	13390	11184	3545	14729
53	BARMIER	PATODI	8646	2228	10874	9511	2451	11962	10462	2696	13158	11508	2966	14474
54	BARMER	RAMSAR	10892	2613	13505	11981	2874	14355	13179	3161	16340	14497	3477	17974
55	BARMER	SANADARI	5117	1905	7022	5629	2096	7725	6192	2306	8498	6811	2537	9348
56	BARMER	SEDWA	20042	4634	24676	22046	5097	27143	24251	5607	29858	26676	6168	32844
57	BARMER	SHIV	11934	3908	15842	13127	4299	17425	14440	4729	19169	15884	5202	21086
58	BARMER	SINDHARI	16690	6313	23003	18359	6944	25303	20195	7638	27833	22215	8402	30617
59	BARMER	SIWANA	10446	3125	13571	11491	3438	14929	12640	3782	16422	13904	4160	18064
		Total	**223751**	**72305**	**296056**	**246127**	**79536**	**325663**	**270740**	**87490**	**358230**	**297814**	**96239**	**394053**
60	BHARATPUR	BAYANA	9825	2921	12746	10808	3213	14021	11889	3534	15423	13078	3887	16965
61	BHARATPUR	DEEG	6319	2013	8332	6951	2214	9165	7646	2435	10081	8411	2679	11090
62	BHARATPUR	KAMAN	8348	2278	10626	9183	2506	11689	10101	2757	12858	11111	3033	14144
63	BHARATPUR	KUMHER	4963	2765	7728	5459	3042	8501	6005	3346	9351	6606	3681	10287
64	BHARATPUR	NADBAI	4111	1882	5993	4522	2070	6592	4974	2277	7251	5471	2505	7976
65	BHARATPUR	NAGAR	9698	2052	11750	10668	2257	12925	11735	2483	14218	12909	2731	15640
66	BHARATPUR	PAHADI	9189	1528	10717	10108	1681	11789	11119	1849	12968	12231	2034	14265
67	BHARATPUR	ROOPWAS	8675	2736	11411	9543	3010	12553	10497	3311	13808	11547	3642	15189
68	BHARATPUR	SEWAR	8954	3369	12323	9849	3706	13555	10834	4077	14911	11917	4485	16402
69	BHARATPUR	WEIR	8231	2946	11177	9054	3241	12295	9959	3565	13524	10955	3922	14877
		Total	**78313**	**24490**	**102803**	**86145**	**26939**	**113084**	**94760**	**29633**	**124393**	**104236**	**32597**	**136833**
70	BHILWARA	AASIND	16420	5808	22228	18062	6389	24451	19868	7028	26896	21855	7731	29586
71	BHILWARA	BANERA	7355	2722	10077	8091	2994	11085	8900	3293	12193	9790	3622	13412
72	BHILWARA	BIJOLIYA	5670	1413	7083	6237	1554	7791	6861	1709	8570	7547	1880	9427
73	BHILWARA	HURDA	7560	2855	10415	8316	3141	11457	9148	3455	12603	10063	3801	13864
74	BHILWARA	JAHAJPUR	10954	4994	15948	12049	5493	17542	13254	6042	19296	14579	6646	21225
75	BHILWARA	KOTRI	9207	3099	12306	10128	3409	13537	11141	3750	14891	12255	4125	16380
76	BHILWARA	MAN DAL	15638	6115	21753	17202	6727	23929	18922	7400	26322	20814	8140	28954
77	BHILWARA	NAANDALGARH	8767	2657	11424	9644	2923	12567	10608	3215	13823	11669	3537	15206
78	BHILWARA	RAIPUR	5393	2117	7510	5932	2329	8261	6525	2562	9087	7178	2818	9996
79	BHILWARA	SAHADA	6646	2351	8997	7311	2586	9897	8042	2845	10887	8846	3130	11976
80	BHILWARA	SHAHPURA	11732	4688	16420	12905	5157	18062	14196	5673	19869	15616	6240	21856
81	BHILWARA	SUWANA	14474	7448	21922	15921	8193	24114	17513	9012	26525	19264	9913	29177
		Total	**119816**	**46267**	**166083**	**131798**	**50894**	**182692**	**144978**	**55984**	**200962**	**159476**	**61583**	**221059**
82	BIKANER	BIKANER	13657	4269	17926	15023	4696	19719	16525	5166	21691	18178	5683	23861
83	BIKANER	KHAJUVVALA	9487	1318	10805	10436	1450	11886	11480	1595	13075	12628	1755	14383
84	BIKANER	KOLAYAT	19685	5341	25025	21654	5875	27529	23819	6463	30282	26201	7109	33310
85	BIKANER	LUNKARANSAR	14752	3882	18634	16227	4270	20497	17850	4697	22547	19635	5167	24802
86	BIKANER	NOKHA	9487	2115	11602	10436	2327	12763	11480	2560	14040	12628	2816	15444
87	BIKANER	PANCHOO	12183	2955	15138	13401	3251	16652	14741	3576	18317	16215	3934	20149
88	BIKANER	Shri DUNGARGARH	9515	2757	12272	10467	3033	13500	11514	3336	14850	12665	3670	16335
		Total	**88766**	**22637**	**111403**	**97643**	**24901**	**122544**	**107408**	**27392**	**134800**	**118149**	**30132**	**148281**
89	BUNDI	BUNDI	8563	3371	11934	9419	3708	13127	10361	4079	14440	11397	4487	15884
90	BUND!	HINDOLI	11779	4395	16174	12957	4835	17792	14253	5319	19572	15678	5851	21529
91	BUNDI	K.PATAN	10857	4889	15746	11943	5378	17321	13137	5916	19053	14451	6508	20959
92	BUNDI	NAINWA	9604	3486	13090	10564	3835	14399	11620	4219	15839	12782	4641	17423
93	BUNDI	TALERA	6142	1506	7648	6756	1657	8413	7432	1823	9255	8175	2005	10180
		Total	**46945**	**17647**	**64592**	**51640**	**19412**	**71052**	**56804**	**21354**	**78158**	**62485**	**23490**	**35975**
94	CHITTAURGARH	BADI SADRI	5390	2092	7482	5929	2301	8230	6522	2531	9053	7174	2784	9958
95	CHITTAURGARH	BEGUN	7385	2368	9753	8124	2605	10729	8936	2866	11802	9830	3153	12983
96	CHITTAURGARH	BHADESAR	6197	2262	8459	6817	2488	9305	7499	2737	10236	8249	3011	11260
97	CHITTAURGARH	BHAINSROADGARH	6928	1825	8753	7621	2008	9629	8383	2209	10592	9221	2430	11651
98	CHITTAURGARH	BHOPALSAGAR	3911	1389	5300	4302	1528	5830	4732	1681	6413	5205	1849	7054
99	CHHTAURGARH	CHITTORGARH	10050	4560	14610	11055	5016	16071	12161	5518	17679	13377	6070	19447
100	CHITTAURGARH	DUNGLA	5214	1470	6684	5735	1617	7352	6309	1779	8088	6940	1957	8897
101	CHITTAURGARH	GANGRAR	6015	2921	8936	6617	3213	9830	7279	3534	10813	8007	3887	11894
102	CHITTAURGARH	KAPASAN	4673	2259	6932	5140	2485	7625	5654	2734	8388	6219	3007	9226
103	CHITTAURGARH	NINABAHERA	7532	3833	11365	8285	4216	12501	9114	4638	13752	10025	5102	15127
104	CHITTAURGARH	RASHMI	4138	1980	6118	4552	2178	6730	5007	2396	7403	5508	2636	8144
		Total	**67433**	**26959**	**94392**	**74177**	**29655**	**103832**	**81595**	**32621**	**114216**	**89755**	**35884**	**125639**
105	CHURU	BIDASAR	6549	1375	7924	7204	1513	8717	7924	1664	9588	8716	1830	10546
106	CHURU	CHURU	7161	3050	10211	7877	3355	11232	8665	3691	12356	9512	4060	13592
107	CHURU	IRAJGARH	8869	4141	13010	9756	4555	14311	10732	5011	15743	11805	5512	17317
108	CHURU	RATANGARH	9925	3851	13776	10918	4236	15154	12010	4660	16670	13211	5126	18337

109	CHURU	SARDARSHAHAR	13701	5427	19128	15071	5970	21041	16578	6567	23145	18236	7224	25460
110	CHURU	SUJANGARH	7404	2549	9953	8144	2804	10948	8958	3084	12042	9854	3392	13246
111	CHURU	TARANAGAR	5381	2556	7937	5919	2812	8731	6511	3093	9604	7162	3402	10564
		Total	**58990**	**22949**	**81939**	**64889**	**25244**	**90133**	**71378**	**27769**	**99147**	**78516**	**30546**	**109062**
112	Dausa	BANDIKUI	10338	3506	13844	11372	3857	15229	12509	4243	16752	13760	4667	18427
113	Dausa	DAUSA	7133	2639	9772	7846	2903	10749	8631	3193	11824	9494	3512	13006
114	Dausa	LALSOT	16117	6432	22549	17729	7075	24804	19502	7783	27285	21452	8561	30013
115	Dausa	LAWAN	6026	2234	8260	6629	2457	9086	7292	2703	9995	8021	2973	10994
116	Dausa	MAHWA	7249	2761	10010	7974	3037	11011	8771	3341	12112	9648	3675	13323
117	Dausa	SIKRAI	9709	4026	13735	10680	4429	15109	11748	4872	16620	12923	5359	18282
		Total	**56572**	**21598**	**78170**	**62230**	**23758**	**85988**	**68453**	**26134**	**94587**	**75299**	**28748**	**104047**
118	DHAULPUR	BARI	12805	3594	16399	14086	3953	18039	15495	4348	19843	17045	4783	21828
119	DHAULPUR	BASERI	14469	5103	19572	15916	5613	21529	17508	6174	23682	19259	6791	26050
120	DHAULPUR	DHOLPUR	14542	4592	19134	15996	5051	21047	17596	5556	23152	19356	6112	25468
121	DHAULPUR	RAJAKHERA	11440	2043	13483	12584	2247	14831	13842	2472	16314	15226	2719	17945
122	DHAULPUR	SAIPAU	10142	2883	13025	11156	3171	14327	12272	3488	15760	13499	3837	17336
		Total	**63398**	**18215**	**81613**	**69738**	**20037**	**89775**	**76712**	**22041**	**98753**	**84384**	**24246**	**108630**
123	DUNGARPUR	ASPUR	6878	2561	9439	7566	2817	10383	8323	3099	11422	9155	3409	12564
[124	DUNGARPUR	BICCHIWARA	15361	4247	19608	16897	4672	21569	18587	5139	23726	20446	5653	26099
325	DUNGARPUR	CHIKHALI	12263	2575	14838	13489	2833	16322	14838	3116	17954	16322	3428	19750
126	DUNGARPUR	DOVDA	11379	3640	15019	12517	4004	16521	13769	4404	18173	15146	4844	19990
127	DUNGARPUR	DUNGARPUR	14167	4644	18811	15584	5108	20692	17142	5619	22761	18856	6181	25037
128	DUNGARPUR	GALIYAKOT	9505	3048	12553	10456	3353	13809	11502	3688	15190	12652	4057	16709
129	DUNGARPUR	JHONTHARI	10815	3643	14458	11897	4007	15904	13087	4408	17495	14396	4849	19245
130	DUNGARPUR	SABLA	7601	2321	9922	8361	2553	10914	9197	2808	12005	10117	3089	13206
131	DUNGARPUR	SAGWARA	15909	6398	22307	17500	7038	24538	19250	7742	26992	21175	8516	29691
132	DUNGARPUR	SIMALWARA	10924	2680	13604	12016	2948	14964	13218	3243	16461	14540	3567	18107
		Total	**114802**	**35757**	**150559**	**126283**	**39333**	**165616**	**138912**	**43267**	**182179**	**152804**	**47594**	**200398**
133	GANGANAGAR	ANOOPGARH	4668	1109	5777	5135	1220	6355	5649	1342	6991	6214	1476	7690
134	GANGANAGAR	GHARASANA	8890	1877	10767	9779	2065	11844	10757	2272	13029	11833	2499	14332
135	GANGANAGAR	KARANPUR	5294	2529	7823	5823	2782	8605	6405	3060	9465	7046	3366	10412
136	GANGANAGAR	PADAMPUR	5329	2285	7614	5862	2514	8376	6448	2765	9213	7093	3042	10135
137	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	6737	3062	9799	7411	3368	10779	8152	3705	11857	8967	4076	13043
138	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	3606	1681	5287	3967	1849	5816	4364	2034	6398	4800	2237	7037
139	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	9371	4214	13585	10308	4635	14943	11339	5099	16438	12473	5609	18082
140	GANGANAGAR	SURATGARH	11896	4737	16633	13086	5211	18297	14395	5732	20127	15835	6305	22140
141	GANGANAGAR	VIJAYNAGAR	6069	1425	7494	6676	1568	8244	7344	1725	9069	8078	1898	9976
		Total	**61860**	**22919**	**84779**	**68046**	**25211**	**93257**	**74851**	**27733**	**102584**	**82337**	**30507**	**112844**
142	HANUMANGARH	BHADRA	6030	3381	9411	6633	3719	10352	7296	4091	11387	8026	4500	12526
143	HANUMANGARH	HANUMANGARH	7892	3309	11201	8681	3640	12321	9549	4004	13553	10504	4404	14908
144	HANUMANGARH	NOHAR	8600	4369	12969	9460	4806	14266	10406	5287	15693	11447	5816	17263
145	HANUMANGARH	PILIBANGAN	6139	2880	9019	6753	3168	9921	7428	3485	10913	8171	3834	12005
,146	HANUMANGARH	RAWATSAR	6957	3092	10049	7653	3401	11054	8418	3741	12159	9260	4115	13375
147	HANUMANGARH	SANGARIA	2856	1142	3998	3142	1256	4398	3456	1382	4838	3802	1520	5322
148	HANUMANGARH	TIBBI	4574	1168	5742	5031	1285	6316	5534	1414	6948	6087	1555	7642
		Total	**43048**	**19341**	**62389**	**47353**	**21276**	**68629**	**52089**	**23404**	**75493**	**57298**	**25745**	**83043**
149	JAIPUR	AMBER	6032	1300	7332	6635	1430	8065	7299	1573	8872	8029	1730	9759
150	JAIPUR	BASSI	11243	4836	16079	12367	5320	17687	13604	5852	19456	14964	6437	21401
151	JAIPUR	CHAKSU	9721	4555	14276	10693	5011	15704	11762	5512	17274	12938	6063	19001
152	JAIPUR	DUDU	12133	5081	17214	13346	5589	18935	14681	6148	20829	16149	6763	22912
153	JAIPUR	GOVINDGARH	9207	4241	13448	10128	4665	14793	11141	5132	16273	12255	5645	17900
154	JAIPUR	JAIPUR EAST	9109	2197	11306	10020	2417	12437	11022	2659	13681	12124	2925	15049
155	JAIPUR	JAIPUR WEST	7512	1689	9201	8263	1858	10121	9089	2044	11133	9998	2248	12246
156	JAIPUR	JALSU	4680	1502	6182	5148	1652	6800	5663	1817	7480	6229	1999	8228
157	JAIPUR	JAMWA RAMGARH	14105	4260	18365	15516	4686	20202	17068	5155	22223	18775	5671	24446
158	JAIPUR	JHOTWARA	2079	267	2346	2287	294	2581	2516	323	2839	2768	355	3123
159	JAIPUR	JHOTWARA CITY	3903	1047	4950	4293	1152	5445	4722	1267	5989	5194	1394	6588
160	JAIPUR	KOTPUTLI	5652	2127	7779	6217	2340	8557	6839	2574	9413	7523	2831	10354
161	JAIPUR	PAOTA	4938	1772	6710	5432	1949	7381	5975	2144	8119	6573	2358	8931
162	JAIPUR	PHAGI	6829	2623	9452	7512	2885	10397	8263	3174	11437	9089	3491	12580
163	JAIPUR	SAMBHAR LAKE	7873	3501	11374	8660	3851	12511	9526	4236	13762	10479	4660	15139
164	JAIPUR	SANGANER	4446	1477	5923	4891	1625	6516	5380	1788	7168	5918	1967	7885
165	JAIPUR	SANGANER CITY	5262	1782	7044	5788	1960	7748	6367	2156	8523	7004	2372	9376
166	JAIPUR	SHAHPURA	6446	2772	9218	7091	3049	10140	7800	3354	11154	8580	3689	12269
167	JAIPUR	VIRATNAGAR	7396	3054	10450	8136	3359	11495	8950	3695	12645	9845	4065	13910
		Total	**138566**	**50083**	**188649**	**152423**	**55092**	**207515**	**167666**	**60602**	**228268**	**184433**	**66663**	**251096**
158	JAISALMER	JAISALMER	14606	3397	18003	16067	3737	19804	17674	4111	21785	19441	4522	23963
169	JAISALMER	POKARAN	20802	3787	24589	22882	4166	27048	25170	4583	29753	27687	5041	32728
170	JAISALMER	SAM	17122	4042	21164	18834	4446	23280	20717	4891	25608	22789	5380	28169
		Total	**52530**	**11226**	**63756**	**57783**	**12349**	**70132**	**63562**	**13584**	**77146**	**69919**	**14943**	**84862**
171	JALOR	AAHOR	9439	3778	13217	10383	4156	14539	11421	4572	15993	12563	5029	17592
172	JALOR	BHINMAL	16799	6520	23319	18479	7172	25651	20327	7889	28216	22360	8678	31038
173	JALOR	CHITALWANA	17050	5634	22684	18755	6197	24952	20631	6817	27448	22694	7499	30193

174	JALOR	JALORE	7213	2702	9915	7934	2972	10906	8727	3269	11996	9600	3596	13196
175	JALOR	JASWANTPURA	7680	2720	10400	8448	2992	11440	9293	3291	12584	10222	3620	13842
176	JALOR	RANIWARA	12995	4269	17264	14295	4696	18991	15725	5166	20891	17298	5683	22981
177	JALOR	SANCHORE	16733	5405	22138	18406	5946	24352	20247	6541	26788	22272	7195	29467
178	JALOR	SAYLA	15341	4410	19751	16875	4851	21726	18563	5336	23899	20419	5870	26289
		Total	**103250**	**35438**	**138688**	**113575**	**38982**	**152557**	**124933**	**42881**	**167814**	**137427**	**47170**	**184597**
179	JHALAWAR	AKLERA	11399	3009	14408	12539	3310	15849	13793	3641	17434	15172	4005	19177
180	JHALAWAR	BAKANI	4249	1508	5757	4674	1659	6333	5141	1825	6966	5655	2008	7663
181	JHALAWAR	BHAWANIMANDI	7110	3102	10212	7821	3412	11233	8603	3753	12356	9463	4128	13591
182	JHALAWAR	DAG	9914	3783	13697	10905	4161	15066	11996	4577	16573	13196	5035	18231
183	JHALAWAR	JHALARAPATAN	9552	4080	13632	10507	4488	14995	11558	4937	16495	12714	5431	18145
184	JHALAWAR	KHPNPUR	6205	3047	9252	6826	3352	10178	7509	3687	11196	8260	4056	12316
185	JHALAWAR	MANOHARTHANA	10861	3891	14752	11947	4280	16227	13142	4708	17850	14456	5179	19635
186	JHALAWAR	SUMEL	9469	4518	13987	10416	4970	15386	11458	5467	16925	12604	6014	18618
		Total	**68759**	**26938**	**95697**	**75635**	**29632**	**105267**	**83199**	**32596**	**115795**	**91519**	**35856**	**127375**
187	JHUNJHUNU	ALSISAR	3428	1570	4998	3771	1727	5498	4148	1900	6048	4563	2090	6653
188	JHUNIHUNU	BUHANA	2482	873	3355	2730	960	3690	3003	1056	4059	3303	1162	4465
1S5	JHUNIHUNU	CHIRAWA	3770	1244	5014	4147	1368	5515	4562	1505	6067	5018	1656	6674
190	JHUNIHUNU	JHUNIHUNU	5025	2008	7033	5528	2209	7737	6081	2430	3511	6689	2673	9362
191	JHUNJHUNU	KHETRI	5800	2535	8335	6380	2789	9169	7018	3068	10086	7720	3375	11095
192	JHUNJHUNU	NAWALGARH	5294	1649	6943	5823	1814	7637	6405	1995	8400	7046	2195	9241
193	JHUNJHUNU	SURAJGARH	4343	1630	5973	4777	1793	6570	5255	1972	7227	5781	2169	7950
194	JHUNIHUNU	UDAIPURWATI	7399	2829	10228	8139	3112	11251	8953	3423	12376	9848	3765	13613
		Total	**37541**	**14338**	**51879**	**41296**	**15772**	**57068**	**45426**	**17350**	**62776**	**49969**	**19085**	**69054**
195	JODHPUR	BALESAR	6929	1709	8638	7622	1880	9502	8384	2068	10452	9222	2275	11497
196	JO DHPU R	BAORI	7479	1638	9117	8227	1802	10029	9050	1982	11032	9955	2180	12135
197	JODHPUR	BAP	12805	1881	14666	14086	2069	16155	15495	2276	17771	17045	2504	19549
198	JODHPUR	BAPINI	11207	2029	13236	12328	2232	14560	13561	2455	16016	14917	2701	17618
199	IODHPUR	BHOPALGARH	5698	1510	7208	6268	1661	7929	6895	1827	8722	7585	2010	9595
200	JODHPUR	BILARA	4779	1898	6677	5257	2088	7345	5783	2297	8080	6361	2527	8888
201	JODHPUR	DECHU	8407	1387	9794	9248	1526	10774	10173	1679	11852	11190	1847	13037
202	JODHPUR	JODHPUR CITY	9132	2305	11437	10045	2536	12581	11050	2790	13840	12155	3069	15224
203	JODHPUR	LOHAWAT	11068	2136	13204	12175	2350	14525	13393	2585	15978	14732	2844	17576
204	JODHPUR	LUNI	13118	4294	17412	14430	4723	19153	15873	5195	21068	17460	5715	23175
205	JODHPUR	MANDORE	8635	2809	11444	9499	3090	12589	10449	3399	13848	11494	3739	15233
206	JODHPUR	OSIAN	10502	2442	12944	11552	2686	14238	12707	2955	15662	13978	3251	17229
207	JODHPUR	PHALODI	11825	2840	14665	13008	3124	16132	14309	3436	17745	15740	3780	19520
208	JODHPUR	PIPAR CITY	6413	1979	8392	7054	2177	9231	7759	2395	10154	8535	2635	11170
209	JODHPUR	SEKHALA	7437	1373	8810	8181	1510	9691	8999	1661	10660	9899	1827	11726
210	JODHPUR	SHERGARH	13087	2848	15935	14396	3133	17529	15836	3446	19282	17420	3791	21211
211	JODHPUR	TINWARI	7370	1583	8953	8107	1741	9848	8918	1915	10833	9810	2107	11917
		Total	**155891**	**36661**	**192552**	**171481**	**40328**	**211809**	**188630**	**44361**	**232991**	**207493**	**48798**	**256291**
212	KARAULI	HINDAUN	15166	4556	19722	16683	5012	21695	18351	5513	23864	20186	6064	26250
213	KARAULI	KARAULI	15981	3445	19426	17579	3790	21369	19337	4169	23506	21271	4586	25857
214	KARAULI	MADRAIL	6591	1530	8121	7250	1683	8933	7975	1851	9826	8773	2036	10809
215	KARAULI	NADOTI	5420	1793	7213	5962	1972	7934	6558	2169	8727	7214	:386	9600
216	KARAULI	SAPOTRA	7762	2359	10121	8538	2595	11133	9392	2855	12247	10331	3141	13472
217	KARAULI	TODABHIM	7353	2161	9514	8088	2377	10465	8897	2615	11512	9787	2877	12664
218	KOTA	ITAWA	6887	2827	9714	7576	3110	10686	8334	3421	11755	9167	3763	12930
219	KOTA	KHAIRABAD	8970	4730	13700	9867	5203	15070	10854	5723	16577	11939	6295	18234
220	KOTA	KOTA	6606	2327	8933	7267	2560	9827	7994	2816	10810	8793	3098	11891
221	KOTA	LADPURA	6207	2648	8855	6828	2913	9741	7511	3204	10715	8262	3524	11786
,222	KOTA	SANGOD	6056	2191	8247	6662	2410	9072	7328	2651	9979	8061	2916	10977
223	KOTA	SULTANPUR	5862	2053	7915	6448	2258	8706	7093	2484	9577	7802	2732	10534
		Total	**40588**	**16776**	**57364**	**44647**	**18454**	**63101**	**49112**	**20300**	**69412**	**54024**	**22330**	**76354**
224	NAGAUR	DEEDWANA	7814	2439	10253	8595	2683	11278	9455	2951	12406	10401	3246	13647
225	NAGAUR	DEGANA	6930	2160	9090	7623	2376	9999	8385	2614	10999	9224	2875	12099
226	NAGAUR	JAYAL	8932	3541	12473	9825	3895	13720	10808	4285	15093	11889	4714	16603
227	NAGAUR	KHINWSAR	14577	3727	18304	16035	4100	20135	17639	4510	22149	19403	4961	24364
228	NAGAUR	KUCHAMAN	8557	3587	12144	9413	3946	13359	10354	4341	14695	11389	4775	16164
229	NAGAUR	LADNUN	5853	2530	8383	6438	2783	9221	7082	3061	10143	7790	3367	11157
230	NAGAUR	MAKRANA	9927	3183	13110	10920	3501	14421	12012	3851	15863	13213	4236	17449
231	NAGAUR	MERTACITY	7298	2291	9589	8028	2520	10548	8831	2772	11603	9714	3049	12763
232	NAGAUR	MOLASAR	5313	1724	7037	5844	1896	7740	6428	2086	8514	7071	2295	9366
233	NAGAUR	MUNDWA	6296	1764	8060	6926	1940	8866	7619	2134	9753	8381	2347	10728
234	NAGAUR	NAGAUR	14603	3849	18452	16063	4234	20297	17669	4657	22326	19436	5123	24559
235	NAGAUR	NAWA	6110	2381	8491	6721	2619	9340	7393	2881	10274	8132	3169	11301
236	NAGAUR	PARBATSAR	10612	4431	15043	11673	4874	16547	12840	5361	18201	14124	5897	20021
237	NAGAUR	RIYAN	8181	2310	10491	8999	2541	11540	9899	2795	12694	10889	3075	13964
		Total	**121003**	**39917**	**160920**	**133104**	**43909**	**177013**	**146415**	**48300**	**194715**	**161057**	**53130**	**214187**
238	PALI	BALI	12563	4656	17219	13819	5122	18941	15201	5634	20835	16721	6197	22918
239	PALI	DESURI	5499	2688	8187	6049	2957	9006	6654	3253	9907	7319	3578	10897
240	PALI	JAITARAN	9902	4255	14157	10892	4681	15573	11981	5149	17130	13179	5664	18843

241	PALI	MARVAR JUNCTION	8665	3375	12040	9532	3713	13245	10485	4084	14569	11534	4492	16026
242	PALI	PALI	7988	3984	11972	8787	4382	13169	9666	4820	14486	10633	5302	15935
243	PALI	RAIPUR	13682	5073	18755	15050	5580	20630	16555	6138	22693	18211	6752	24963
244	PALI	RANI	3618	1775	5393	3980	1953	5933	4378	2148	6526	4816	2363	7179
245	PALI	ROHAT	5387	2826	8213	5926	3109	9035	6519	3420	9939	7171	3762	10933
246	PALI	SOJAT	7960	4175	12135	8756	4593	13349	9632	5052	14684	10595	5557	16152
247	PALI	SUMERPUR	6208	3269	9477	6829	3596	10425	7512	3956	11468	8263	4352	12615
		Total	**81472**	**36076**	**117548**	**89620**	**39684**	**129304**	**98582**	**43653**	**142235**	**108441**	**48019**	**156460**
248	PRATAPGARH (RAJ.)	ARNOD	10063	2895	12958	11069	3185	14254	12176	3504	15680	13394	3854	17248
249	PRATAPGARH (RAJ.)	CHHOTI SADRI	8429	3324	11753	9272	3656	12928	10199	4022	14221	11219	4424	15643
250	PRATAPGARH (RAJ.)	DHARIYAWAD	17980	4130	22110	19778	4543	24321	21756	4997	26753	23932	5497	29429
251	PRATAPGARH (RAJ.)	PEEPALKHOOT	18817	5202	24019	20699	5722	26421	22769	6294	29063	25046	6923	31969
252	PRATAPGARH (RAJ.)	PRATAPGARH	14503	5106	19609	15953	5617	21570	17548	6179	23727	19303	6797	26100
		Total	**69792**	**20657**	**90449**	**76772**	**22723**	**99495**	**84450**	**24996**	**109446**	**92895**	**27496**	**120391**
253	RAJSAMAND	AMET	6988	2893	9881	7687	3182	10869	8456	3500	11956	9302	3850	13152
254	RAJSAMAND	BHIM	15916	6783	22699	17508	7461	24969	19259	8207	27466	21185	9028	30213
255	RAJSAMAND	DEOGARH	8995	4085	13080	9895	4494	14389	10885	4943	15828	11974	5437	17411
256	RAJSAMAND	KHAMNOR	13629	5105	18734	14992	5616	20608	16491	6178	22669	18140	6796	24936
257	RAJSAMAND	KUMBHALGARH	12646	3615	16261	13911	3977	17888	15302	4375	19677	16832	4813	21645
258	RAJSAMAND	RAILMAGRA	6630	2915	9545	7293	3207	10500	8022	3528	11550	8824	3881	12705
259	RAJSAMAND	RAJSAMAND	11124	5067	16191	12236	5574	17810	13460	6131	19591	14806	6744	21550
		Total	**75928**	**30463**	**106391**	**83521**	**33510**	**117031**	**91874**	**36861**	**128735**	**101062**	**40548**	**141610**
260	SAWAI MADHOPUR	BAMANWAS	6863	2382	9245	7549	2620	10169	8304	2882	11186	9134	3170	12304
261	SAWAI MADHOPUR	BOUNLI	7034	2056	9090	7737	2262	9999	8511	2488	10999	9362	2737	12099
262	SAWAI MADHOPUR	CHAUTH KA BARWARA	3763	1171	4934	4139	1288	5427	4553	1417	5970	5008	1559	6567
263	SAWAI MADHOPUR	GANGAPUR CITY	8425	2588	11013	9268	2847	12115	10195	3132	13327	11215	3445	14660
264	SAWAI MADHOPUR	KHANDAR	6230	2351	8581	6853	2586	9439	7538	2845	10383	8292	3130	11422
265	SAWAI MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	4652	1959	6611	5117	2155	7272	5629	2371	8000	6192	2608	8800
		Total	**36967**	**12507**	**49474**	**40664**	**13758**	**54422**	**44731**	**15134**	**59865**	**49205**	**16648**	**65853**
266	SIKAR	DANTARAMGARH	11027	4103	15130	12130	4513	16643	13343	4964	18307	14677	5460	20137
267	SIKAR	DHOD	6158	1992	8150	6774	2191	8965	7451	2410	9861	8196	2651	10847
268	SIKAR	FATEHPUR	7096	2468	9564	7806	2715	10521	8587	2987	11574	9446	3286	12732
269	SIKAR	KHANDELA	6245	2398	8643	6870	2638	9508	7557	2902	10459	8313	3192	11505
270	SIKAR	LAXMANGARH	5275	2111	7386	5803	2322	8125	6383	2554	8937	7021	2809	9830
271	SIKAR	NEEM KA THANA	7475	3298	10773	8223	3628	11851	9045	3991	13036	9950	4390	14340
272	SIKAR	PATAN	3714	1409	5123	4085	1550	5635	4494	1705	6199	4943	1876	6819
273	SIKAR	PIPRALI	8024	2611	10635	8826	2872	11698	9709	3159	12868	10680	3475	14155
274	SIKAR	SHRI MADHOPUR	5619	2819	8438	6181	3101	9282	6799	3411	10210	7479	3752	11231
		Total	**60633**	**23209**	**83842**	**66697**	**25530**	**92227**	**73367**	**28083**	**101450**	**80704**	**30892**	**111596**
275	SIROHI	ABU ROAD	14202	2441	16643	15622	2685	18307	17184	2954	20138	18902	3249	22151
276	SIROHI	PINDWARA	14036	3819	17855	15440	4201	19641	16984	4621	21605	18682	5083	23765
277	SIROHI	REODAR	10726	3505	14231	11799	3856	15655	12979	4242	17221	14277	4666	18943
278	SIROHI	SHEOGANJ	4635	2282	6917	5099	2510	7609	5609	2761	8370	6170	3037	9207
279	SIROHI	SIROHI	5405	2132	7537	5946	2345	8291	6541	2580	9121	7195	2838	10033
		Total	**49004**	**14179**	**63183**	**53905**	**15597**	**69502**	**59296**	**17157**	**76453**	**65226**	**18873**	**84099**
280	TONK	DEOLI	7486	2959	10445	8235	3255	11490	9059	3581	12640	9965	3939	13904
281	TONK	MALPURA	7737	3944	11681	8511	4338	12849	9362	4772	14134	10298	5249	15547
282	TONK	NEWAI	9943	4153	14096	10937	4568	15505	12031	5025	17056	13234	5528	18762
283	TONK	TODARAISINGH	3946	1481	5427	4341	1629	5970	4775	1792	6567	5253	1971	7224
284	TONK	TONK	10682	4816	15498	11750	5298	17048	12925	5828	18753	14218	6411	20629
285	TONK	UNIYARA	6629	2629	9258	7292	2892	10184	8021	3181	11202	8823	3499	12322
		Total	**46423**	**19982**	**66405**	**51066**	**21981**	**73047**	**56173**	**24180**	**80353**	**61791**	**26598**	**88389**
286	UDAIPUR	BADGAON	8416	3123	11539	9258	3435	12693	10184	3779	13963	11202	4157	15359
287	UDAIPUR	BHINDER	14645	5665	20310	16110	6232	22342	17721	6855	24576	19493	7541	27034
288	UDAIPUR	FALASIYA	11503	2731	14234	12653	3004	15657	13918	3304	17222	15310	3634	18944
289	UDAIPUR	GIRWA	16673	5625	22298	18340	6188	24528	20174	6807	26981	22191	7488	29679
290	UDAIPUR	GOGUNDA	8008	2116	10124	8809	2328	11137	9690	2561	12251	10659	2817	13476
291	UDAIPUR	JHADOL (PH)	11978	2645	14623	13176	2910	16086	14494	3201	17695	15943	3521	19464
292	UDAIPUR	JHALLARA	8449	1969	10418	9294	2166	11460	10223	2383	12606	11245	2621	13866
293	UDAIPUR	KHERWARA	19219	5331	24550	21141	5864	27005	23255	6450	29705	25581	7095	32676
294	UDAIPUR	KOTRA	20332	1519	21851	22365	1671	24036	24602	1838	26440	27062	2022	29084
295	UDAIPUR	KURABAD	5982	1812	7794	6580	1993	8573	7238	2192	9430	7962	2411	10373
296	UDAIPUR	LASADIYA	8516	1765	10281	9368	1942	11310	10305	2136	12441	11336	2350	13686
297	UDAIPUR	MAVLI	14182	5169	19351	15600	5686	21286	17160	6255	23415	18876	6881	25757
298	UDAIPUR	RISHABHDEV	13116	3512	16628	14428	3863	18291	15871	4249	20120	17458	4674	22132
299	UDAIPUR	SAIRA	7571	1466	9037	8328	1613	9941	9161	1774	10935	10077	1951	12028
300	UDAIPUR	SALUMBAR	10304	3318	13622	11334	3650	14984	12467	4015	16482	13714	4417	18131
301	UDAIPUR	SARADA	13049	3421	16470	14354	3763	18117	15789	4139	19928	17368	4553	21921
302	UDAIPUR	SEMARI	9088	2552	11640	9997	2807	12804	10997	3088	14085	12097	3397	15494
		Total	**201031**	**53739**	**254770**	**221135**	**59113**	**280248**	**243249**	**65025**	**308274**	**267574**	**71528**	**339102**
		GRAND TOTAL	**2834916**	**943990**	**3778906**	**3118424**	**1038401**	**4156825**	**3430281**	**1142256**	**4572537**	**3473323**	**1256499**	**5029822**

नोट : इस नामांकन में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, मेवात विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों का नामांकन सम्मिलित नहीं किया गया है।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2016/ दिनांक : 12.4.16 ● परिपत्र ● इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 27.02.2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। बोर्ड परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों से मिले पृष्ठ पोषण के आधार पर बोर्ड परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों में अनियमितता एवं बिना आवश्यकता के लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों के कारण परीक्षा अवधि में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित होने संबंधी बातें सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारु संचालन हेतु भविष्य में बोर्ड परीक्षा आयोजन के संबंध में निम्नांकित विवरणानुसार स्थाई निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है , उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए।
2. परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाए, बशर्ते कि किसी व्यक्ति विशेष को तात्कालिक कारणों (रक्त संबंधी के उक्त केन्द्र पर परीक्षार्थी होने अथवा विषयाध्यापक से संबंधित विषय की परीक्षा दिवस को अथवा अन्य किसी कारण) से वीक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
3. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए , जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके। वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनो हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थिति में वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए।
5. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।
6. **वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण:** – बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से संबंधित रजिस्टर का पृथक् से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें। इसी प्रकार समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाएँ तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति स्वरूप भी हस्ताक्षर करवाए जाएँ। केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएँगे। केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं। केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था में उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर संबंधित के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही संबंधित परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में व्यवस्था दुरूस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड प्रशासन द्वारा उड़नदस्ता प्रभारियों को प्रदत्त दिशा निर्देशों में उपर्युक्तानुसार वर्णित निर्देशों का समावेशन भविष्य में आवश्यक रूप से किया जाए।
7. **जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दायित्वबद्धता :–** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है। इसके सफलतापूर्वक संचालन हेतु शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी है। उक्त परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर से जिलास्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाता है , जिसमें जिला कलक्टर अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक सह अध्यक्ष होते हैं तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) सदस्य सचिव के रूप में सम्पूर्ण जिले में परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु प्रथमत: जिम्मेवार होते हैं। उक्तानुरूप बोर्ड परीक्षा में वीक्षक ड्यूटी के नाम पर मानवीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोके जाने तथा उक्त परीक्षा के दौरान

आदेश-परिपत्र : मई-जून, 2016

1. शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।
2. माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत।
3. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में।
4. प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016-17 से 2018-19) संशोधित सूची ब्लॉकवार
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा-2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश।
6. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना: 2016-17
7. परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण।
8. माध्यमिक शिक्षा सैट अप के छात्रनिधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी आदेश।
9. विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु योजना।
10. अजा./अजजा छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति।
11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012

1. शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22444/विविध/2015-16/ दिनांक : 31.03.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में। ● विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2005 एवं 24.03.2009

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा-कक्ष में मोबाइल फोन के उपयोग की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में शिकायतें आमतौर पर होती रहती है। उक्त बाबत विभाग के अधीनस्थ समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एतद् द्वारा पुनः निर्देश जारी किए जाते है :-

1. राज्य के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों के समस्त छात्र-छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को कक्षा-कक्ष एवं शाला परिसर में वार्ता करने पर पाबंदी लगाई जाकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।
2. शाला स्टाफ सदस्यों व छात्र/छात्राओं द्वारा एक बार हिदायत देते हुए पुनरावृत्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही 'राजस्थान असैनिक सेवाएँ आचरण नियम-1971' के अनुरूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करें।

उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु सूचना पट्ट एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में मोबाइल फोन के उपयोग पर समुचित प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करें।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

2. माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2016-17/ दिनांक : 31.03.2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय ● माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत। ● शासन का पत्रांक-प.32(01) शिक्षा-1/2002 पार्ट-I, जयपुर, दिनांक 10.03.2016

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2016 द्वारा इस वर्ष कक्षा-8 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हुए समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् राजकीय विद्यालयों में अस्थाई प्रवेश देते हुए 01 अप्रेल से आगामी कक्षाओं में विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए है।

विद्यालय परिक्षेत्र की गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी अस्थाई प्रवेश दिया जाकर विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षक-अभिभावक संघ एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में विस्तृत विमर्श उपरान्त ठोस एवं व्यावहारिक कार्य योजना निर्मित करें।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु माह अप्रेल में आवश्यकतानुसार समय प्रबंधन करते हुए विद्यार्थियों की कक्षा एवं अधिगम स्तर के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। शेष सत्र हेतु आपके क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों का संचालन शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

3. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में।

● कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4166/प्र.उ./2016-17 दिनांक : 29.3.2016 ● 1. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● 2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2016-17 के संबंध में। ● राज्य सरकार का पत्रांक-प.32(1) शिक्षा-1/2000 पार्ट दिनांक 21.03.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में सत्र 2016-17 से विद्यालयों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दो चरणों में मनाया जायेगा। प्रवेशोत्सव

का प्रथम चरण 26 अप्रेल 2016 से 10 मई 2016 तक तथा द्वितीय चरण 21 जून 2016 से 30 जून 2016 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यक्रम संलग्न है। संलग्न प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करें:-

1. नामांकन के संबंध में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्ति के लिये इस वर्ष विशेष रूप से यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1.4.2016 से ऐसे बच्चे जो पूर्व में अनामांकित है उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जावे। साथ ही जैसे-जैसे कक्षा 1 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययनरत बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होती जावे तो उन्हें परीक्षा समाप्ति के दिवस से ही अपने विद्यालय में प्रवेश दे दिया जावे।
2. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक : प्रथम चरण 26 अप्रेल 2016 से 10 मई 2016 तक तथा द्वितीय चरण 21 जून 2016 से 30 जून 2016 तक मनाया जाना है जिसका कार्यक्रम संलग्न है। कार्यक्रमानुसार गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें।
3. प्रवेशोत्सव के दौरान अभिभावकों से सम्पर्क/जनसम्पर्क करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के जिन अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना है, उनकी सूची विद्यालय स्तर तक प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध हो। चारों प्रकार के VER/WER (Village Education Register/ward Education register) की समस्त विद्यालय स्तर तक पहुँच के पश्चात् संबंधित संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर VER/WER में बालक-बालिकाओं का आनुपातिक रूप से विभाजन कर उनके अभिभावकों से संपर्क करने तथा बालक-बालिकाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने का दायित्व दिया जावे।
4. प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय परिसीमन क्षेत्र में आने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के उन सभी बच्चों को, जो शिक्षा से वंचित रहे है, विद्यालय में चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (सी.टी.एस.) के आधार पर नामित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि विद्यालयी शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रहे। चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम को काम में लेने की पूर्ण तैयारी भी कर ली जावे।
5. कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें नोडल केन्द्रों से विद्यालयों तक निर्धारित समय सीमा में पहुँचाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रवेशोत्सव के दौरान निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित हो सके।
6. वर्ष 2016-17 में भी विद्यार्थियों हेतु पूर्व की भाँति पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था बुक बैंक एवं जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में जाते हैं उनसे पुस्तकें प्राप्त कर आगामी कक्षा में आने वाले छात्रों को वितरित की जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. प्रवेशोत्सव के दौरान आगामी 3 वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत प्रवेश में बढ़ातेरी के प्रयास सुनिश्चित करें। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ब्लॉकवार नामांकन की स्थिति विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
8. पंचायत समिति व जिला परिषद की साधारण सभाओं के संबंध में संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से समन्वय कर प्रवेशोत्सव कार्ययोजना के अनुसार जिला परिषद व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा एवं मनोनीत अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की साधारण सभा में उपस्थित रहकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार समस्त वांछित कार्यवाही समय पर पूरी कर लेवें जिससे नामांकन के उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किये जा सके। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक की व संलग्न प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के गतिविधियों के आयोजन की सुनिश्चित व्यवस्था करते हुए संलग्न प्रपत्र 1 से 5 में नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं की प्रथम व द्वितीय चरण की समाप्ति पर (प्रपत्र 1 व 2 प्रथम चरण में नवप्रवेशित, प्रपत्र 3 व 4 में द्वितीय चरण में नव प्रवेशित की संख्या) तथा प्रपत्र 5 में प्रथम व द्वितीय चरण की समाप्ति के पश्चात समेकित सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई-डी shakshikcelledu@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं प्रपत्र 1 से 5

● (जगदीश चन्द्र पुरोहित) आई.ए.एस. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम (प्रथम चरण) माह अप्रेल, मई 2016
(26.04.2016 से 10.5.2016 तक)

क्र. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	26 अप्रेल 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा छात्रवृत्ति, निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना, शैक्षिक भ्रमण एवं पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करना। स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना, बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से संपर्क स्थापित करना जिनके बच्चे एसएसए. द्वारा किये गये सीटीएस. सर्वे/अनामांकित बच्चो के तैयार किए गए गोश्वारा के अनुसार विद्यालय जाने योग्य हैं तथा विद्यालय में अनामांकित हैं उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना, साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु

		विशेष ध्यान देना।
2	27 अप्रैल 2016	स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना जिसमें शिक्षा की महत्ता से संबंधित बेनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज सज्जा, वृक्षारोपण, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रवेशोत्सव आदि पर प्रकाश डालते हुए समारोह का आयोजन करना।
3	28 अप्रैल 2016	प्रार्थना सभा के आयोजन में ही विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का परम्परागत तरीके से स्वागत एवं पारस्परिक परिचय के साथ-साथ मोली-तिलक लगाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना/पूजा आयोजित की जाना। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
4	29 अप्रैल 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच वार्ड पंच एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का सम्बोधन।
5	30 अप्रैल 2016	बाल सभा एवं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण रुचिकर बनाना।
6	02 मई 2016	बच्चों हेतु ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं, बालमेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन। पुनः ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ रैली, प्रभात फेरी का आयोजन। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करना जो विद्यालय में प्रवेश लेने से छूटे हुए है।
7	03 मई 2016	स्थानीय दर्शनीय स्थलों पर बच्चों को ले जाना। शाला में पंचवटी लगाने हेतु जगह तैयार करना, विचार विमर्श आदि करना।
8	04 मई 2016	प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों का स्वागत।
9	05 मई 2016	विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी। पाँच संकल्प शिक्षकों एवं छात्रों को दिलाना।
10	06 मई 2016	अध्यापकों की टोलियों के द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्या का पता लगाना।
11	07 मई 2016	शाला/ग्राम स्तर पर प्राप्त समस्याओं का निराकरण कर, प्रवेश की शत प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
12	09 मई 2016	चिह्नित बालकों के अभिभावकों से मिलना जो अभी तक प्रवेश के लिये शाला प्रधान से मिलने नहीं आये।
13	10 मई 2016	पखवाड़े के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत किये गये कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-(द्वितीय चरण) माह जून 2016

(21.06.2016 से 30.06.2016 तक)

क्र. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	21 जून 2016	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना, बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से संपर्क स्थापित करना जिनके बच्चे एसएसए. द्वारा किये गये सीटीएस. सर्वे अनुसार विद्यालय जाने योग्य हैं तथा विद्यालय में अभी भी अनामांकित है। अनामांकित बच्चों का गोश्वारा तैयार कर, उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु विशेष ध्यान देना।
2	22 जून 2016	स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना जिसमें शिक्षा की महत्ता से संबंधित बेनर, स्टीकर,नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज सज्जा, वृक्षारोपण, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रवेशोत्सव आदि पर प्रकाश डालते हुए समारोह का आयोजन करना।
3	23 जून 2016	प्रार्थना सभा के आयोजन में ही विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक एवं बालिकाओं का परम्परागत तरीके से स्वागत एवं पारस्परिक परिचय कराने के साथ-साथ

		प्रत्येक नये एवं पुराने विद्यार्थियों का मोली/तिलक लगाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे प्रार्थना/पूजन आयोजित किया जाना। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक का आयोजन तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का सम्बोधन।
4	24 जून 2016	बाल सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर वातावरण बच्चों के लिए रुचिकर बनाना, जो बच्चों को प्रवेश देने में प्रेरक बने। चित्रकला एवं सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन। बच्चों हेतु ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएँ, बालमेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि का प्रदर्शन।
5	25 जून 2016	पुनः ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ रैली, प्रभात फेरी का आयोजन। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करना जो विद्यालय में प्रवेश लेने से छूटे हुए हैं। स्थानीय दर्शनीय स्थलों पर बच्चों को ले जाना। शाला में पंचवटी लगाने हेतु जगह तैयार करना, विचार विमर्श आदि करना।
6	27 जून 2016	प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों का स्वागत। विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी। पाँच संकल्प शिक्षकों एवं छात्रों को दिलाना।
7	28 जून 2016	अध्यापकों की टोलियों के द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्या का पता लगाना।
8	29 जून 2016	शाला/ग्राम स्तर पर जिन बच्चों के द्वारा विद्यालय में नामांकन हेतु कतिपय शंका-समस्या प्रस्तुत की गई हो तो प्राप्त समस्याओं का विद्यालय प्रबन्धन समिति/स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निराकरण कर प्रवेश की शत प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9	30 जून 2016	प्रथम एवं द्वितीय पखवाड़े के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रपत्र संख्या-1

नव प्रवेशित बच्चों हेतु प्रगति विवरण

जिले का नाम ब्लॉक का नाम विद्यालय का नाम (दैनिक प्रगति रिपोर्ट नव प्रवेशित बच्चों की दिनांक वार)

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 2 में प्रवेश			कक्षा 3 में प्रवेश			कक्षा 4 में प्रवेश			कक्षा 5 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 7 में प्रवेश			कक्षा 8 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
26.4.2016																											
27.4.2016																											
28.4.2016																											
29.4.2016																											
30.4.2016																											
2.5.2016																											
3.5.2016																											
4.5.2016																											
5.5.2016																											
6.5.2016																											
7.5.2016																											
9.5.2016																											
10.5.2016																											
योग-																											

ह. संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण की समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित बच्चों का कुल जिलेवार नामांकन

प्रपत्र संख्या-2

जिले का नाम

क्र. सं.	ब्लॉक	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1																												
2																												
3																												
	योग-																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

नव प्रवेशित बच्चों हेतु प्रगति विवरण

प्रपत्र संख्या-3

जिले का नाम ब्लॉक का नाम विद्यालय का नाम (दैनिक प्रगति रिपोर्ट नव प्रवेशित बच्चों की दिनांक वार)

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 2 में प्रवेश			कक्षा 3 में प्रवेश			कक्षा 4 में प्रवेश			कक्षा 5 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 7 में प्रवेश			कक्षा 8 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
21.6.2016																											
22.6.2016																											
23.6.2016																											
24.6.2016																											
25.6.2016																											
27.6.2016																											
28.6.2016																											
29.6.2016																											
30.6.2016																											
योग-																											

ह. संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण की समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित बच्चों का कुल जिलेवार नामांकन

प्रपत्र संख्या-4

जिले का नाम

क्र. सं.	ब्लॉक	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1																												
2																												
3																												
	योग-																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण समाप्ति के पश्चात नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जिले का कुल नामांकन

प्रपत्र संख्या-5

जिले का नाम

क्र.सं.	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			योग नामांकन		
	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
प्रथम चरण की समाप्ति पर																											
द्वितीय चरण की समाप्ति पर कुल नामांकन																											

ह. जिला शिक्षा अधिकारी

4. प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016–17 से 2018–19) संशोधित सूची ब्लॉकवार

● कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/प्रवेशोत्सव/2016–17 दिनांकः–01–04–2016 ● उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● प्रवेशोत्सव के आगामी 3 वर्षों का लक्ष्य (2016–17 से 2018–19) संशोधित सूची ब्लॉकवार ● इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.3.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में अत्यंत गम्भीर है। आगामी वर्षों (2016–17 से 2018–19) के दौरान राजकीय शालाओं में प्रवेशोत्सव के दौरान अधिकतम नवीन प्रवेश दिए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/प्रवेशोत्सव/2016–17 दिनांक 29.3.2016 के द्वारा तीन वर्षों का लक्ष्य की सूची संलग्न प्रेषित की गई थी। पूर्व में दिनांक 29.3.2016 की सूची को निरस्त मानते हुए संशोधित सूची पत्र के साथ के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः आगामी 3 वर्षों (2016–17 से 2018–19) के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की प्रवेश में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

● अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

ब्लॉक प्रवेशोत्सव 2016–17 से 2018–19 आगामी तीन वर्षों का लक्ष्य (संशोधित सूची)

			डाइस डाटा के अनुसार वर्ष 2015–16 का नामांकन			वर्ष 2016–17 का लक्ष्य (वर्ष 2015–16 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)			वर्ष 2017–18 का लक्ष्य (वर्ष 2016–17 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)			वर्ष 2018–19 का लक्ष्य (वर्ष 2017–18 के नामांकन में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ)		
S.No.	District	Block	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total	Total 1-5	Total 6-8	Total
1	AJMER	AJMER(U)	3785	1508	5293	4164	1659	5823	4580	1825	6405	5038	2008	7046
2	AJMER	ARAIN	4776	2019	6795	5254	2221	7475	5779	2443	8222	6357	2687	9044
3	AJMER	BHINAI	6215	2447	8662	6837	2692	9529	7521	2961	10482	8273	3257	11530
4	AJMER	JAWAJA	15033	7425	22458	16536	8168	24704	18190	8985	27175	20009	9884	29893
5	AJMER	KEKRI	7503	3172	10675	8253	3489	11742	9078	3838	12916	9986	4222	14208
6	AJMER	KISHANGARH	9419	4267	13686	10361	4694	15055	11397	5163	16560	12537	5679	18216
7	AJMER	MASUDA	12381	4427	16808	13619	4870	18489	14981	5357	20338	16479	5893	22372
8	AJMER	PEESANGAN	11252	4504	15756	12377	4954	17331	13615	5449	19064	14977	5994	20971
9	AJMER	SARWAR	5140	1986	7126	5654	2185	7839	6219	2404	8623	6841	2644	9485
10	AJMER	SRINAGAR	7272	2759	10031	7999	3035	11034	8799	3339	12138	9679	3673	13352
		Total	**82776**	**34514**	**117290**	**91054**	**37967**	**129021**	**100159**	**41764**	**141923**	**110176**	**45941**	**156117**
11	ALWAR	BANSUR	9816	3245	13061	10798	3570	14368	11878	3927	15805	13066	4320	17386
12	ALWAR	BEHRORE	3303	1421	4724	3633	1563	5196	3996	1719	5715	4396	1891	6287
13	ALWAR	KATHUMAR	8596	2797	11393	9456	3077	12533	10402	3385	13787	11442	3724	15166
14	ALWAR	KISHANGARH BAS	13174	5008	18182	14491	5509	20000	15940	6060	22000	17534	6666	24200
15	ALWAR	KOTKASIM	4398	1930	6328	4838	2123	6961	5322	2335	7657	5854	2569	8423
16	ALWAR	LAKSHMANGARH	11677	3829	15506	12845	4212	17057	14130	4633	18763	15543	5096	20639
17	ALWAR	MUNDAWAR	6286	2800	9086	6915	3080	9995	7607	3388	10995	8368	3727	12095
18	ALWAR	NEEMRANA	3997	1676	5673	4397	1844	6241	4837	2028	6865	5321	2231	7552
19	ALWAR	RAINI	5900	2732	8632	6490	3005	9495	7139	3306	10445	7853	3637	11490
20	ALWAR	RAJGARH	8121	3447	11568	8933	3792	12725	9826	4171	13997	10809	4588	15397
21	ALWAR	RAMGARH	16098	5168	21266	17708	5685	23393	19479	6254	25733	21427	6879	28306
02	ALWAR	THANAGAZI	11631	4532	16163	12794	4985	17779	14073	5484	19557	15480	6032	21512
23	ALWAR	TIZARA	18678	3562	22240	20546	3918	24464	22601	4310	26911	24861	4741	29602
24	ALWAR	UMRAIN	13461	4443	17904	14807	4887	19694	16288	5376	21664	17917	5914	23831
		Total	**135136**	**46590**	**181726**	**148650**	**51249**	**199899**	**163515**	**56374**	**219889**	**179867**	**62012**	**241879**
25	BANSWARA	ANANDPURI	12520	2589	15109	13772	2848	16620	15149	3133	18282	16664	3446	20110
26	BANSWARA	ARTHUNA	6300	2618	8918	6930	2880	9810	7623	3168	10791	8385	3485	11870
27	EANSWARA	BAGIDORA	7995	2144	10139	8795	2358	11153	9675	2594	12269	10643	2853	13496
23	BANSWARP	BANSWARA	15210	4197	19407	16731	4617	21348	18404	5079	23483	20244	5587	25831
29	BANSWARA	CHOTISARVAN	10041	1981	12022	11045	2179	13224	12150	2397	14547	13365	2637	16002
30	BANSWARA	GANGADTALAI	10325	1776	12101	11358	1954	13312	12494	2149	14643	13743	2364	16107
31	BANSWARA	GARHI	9570	4459	14029	10527	4905	15432	11580	5396	16976	12738	5936	18674
32	BANSWARA	GHATOL	25472	7545	33017	28019	8300	36319	30821	9130	39951	33903	10043	43946
33	BANSWARA	KUSHALGARH	19675	4313	23988	21643	4744	26387	23807	5218	29025	26188	5740	31928
34	BANSWARA	SAJJANGARH	18693	2748	21441	20562	3023	23585	22613	3325	25943	24880	3658	28538
35	BANSWARA	TALWARA	7462	2946	10408	8208	3241	11449	9029	3565	12594	9932	3922	13854
		Total	**143263**	**37316**	**180579**	**157590**	**41048**	**198638**	**173349**	**45153**	**218502**	**190684**	**49669**	**240353**
36	BARAN	ANTA	5605	1960	7565	6166	2156	8322	6783	2372	9155	7461	2609	10070
37	BARAN	ATRU	4920	1829	6749	5412	2012	7424	5953	2213	8166	6548	2434	8982
38	BARAN	BARAN	4881	2059	6940	5369	2265	7634	5906	2492	8398	6497	2741	9238
39	BARAN	CHHABRA	8735	2888	11623	9609	3177	12786	10570	3495	14065	11627	3845	15472
40	BARAN	CHHIPAIIAROD	10067	2786	12853	11074	3065	14139	12181	3372	15553	13399	3709	17108
41	BARAN	KISHANGANJ	9178	2234	11412	10096	2457	12553	11106	2703	13809	12217	2973	15190
42	BARAN	SHAHBAD	9010	2697	11707	9911	2967	12878	10902	3264	14166	11992	3590	15582
		Total	**52396**	**16453**	**68849**	**57636**	**18099**	**75735**	**63400**	**19909**	**83309**	**69740**	**21900**	**91640**

43	BARMER	BALOTRA	12658	4482	17140	13924	4930	18854	15316	5423	20739	16848	5965	22813
44	BARMER	BARMER	29174	10948	40122	32091	12043	44134	35300	13247	48547	38830	14572	53402
45	BARMER	BAYTU	12106	4693	16799	13317	5162	18479	14649	5678	20327	16114	6248	22360
45	BARMER	LHOHTAN	13780	4454	18234	15158	4899	20057	16674	5389	22063	18341	5928	24269
47	BARMER	DHANAU	13842	4215	18057	15226	4107	19863	16749	5101	21850	18424	5611	24035
48	BARMER	DHOROAANA	14405	4338	18743	15846	4772	20618	17431	5249	22680	19174	5774	24948
49	BARMER	GADRAROAD	9231	2549	11780	10154	2804	12958	11169	3084	14253	12286	3392	15678
50	BARMER	GIDA	11979	3749	15728	13177	4124	17301	14495	4536	19031	15945	4990	20935
51	BARMER	GUDAMALANI	14406	5487	19893	15847	6036	21883	17432	6640	24072	19175	7304	26479
52	BARMER	KALYANPUR	8403	2664	11067	9243	2930	12173	10167	3223	13390	11184	3545	14729
53	BARMIER	PATODI	8646	2228	10874	9511	2451	11962	10462	2696	13158	11508	2966	14474
54	BARMER	RAMSAR	10892	2613	13505	11981	2874	14355	13179	3161	16340	14497	3477	17974
55	BARMER	SANADARI	5117	1905	7022	5629	2096	7725	6192	2306	8498	6811	2537	9348
56	BARMER	SEDWA	20042	4634	24676	22046	5097	27143	24251	5607	29858	26676	6168	32844
57	BARMER	SHIV	11934	3908	15842	13127	4299	17425	14440	4729	19169	15884	5202	21086
58	BARMER	SINDHARI	16690	6313	23003	18359	6944	25303	20195	7638	27833	22215	8402	30617
59	BARMER	SIWANA	10446	3125	13571	11491	3438	14929	12640	3782	16422	13904	4160	18064
		Total	**223751**	**72305**	**296056**	**246127**	**79536**	**325663**	**270740**	**87490**	**358230**	**297814**	**96239**	**394053**
60	BHARATPUR	BAYANA	9825	2921	12746	10808	3213	14021	11889	3534	15423	13078	3887	16965
61	BHARATPUR	DEEG	6319	2013	8332	6951	2214	9165	7646	2435	10081	8411	2679	11090
62	BHARATPUR	KAMAN	8348	2278	10626	9183	2506	11689	10101	2757	12858	11111	3033	14144
63	BHARATPUR	KUMHER	4963	2765	7728	5459	3042	8501	6005	3346	9351	6606	3681	10287
64	BHARATPUR	NADBAI	4111	1882	5993	4522	2070	6592	4974	2277	7251	5471	2505	7976
65	BHARATPUR	NAGAR	9698	2052	11750	10668	2257	12925	11735	2483	14218	12909	2731	15640
66	BHARATPUR	PAHADI	9189	1528	10717	10108	1681	11789	11119	1849	12968	12231	2034	14265
67	BHARATPUR	ROOPWAS	8675	2736	11411	9543	3010	12553	10497	3311	13808	11547	3642	15189
68	BHARATPUR	SEWAR	8954	3369	12323	9849	3706	13555	10834	4077	14911	11917	4485	16402
69	BHARATPUR	WEIR	8231	2946	11177	9054	3241	12295	9959	3565	13524	10955	3922	14877
		Total	**78313**	**24490**	**102803**	**86145**	**26939**	**113084**	**94760**	**29633**	**124393**	**104236**	**32597**	**136833**
70	BHILWARA	AASIND	16420	5808	22228	18062	6389	24451	19868	7028	26896	21855	7731	29586
71	BHILWARA	BANERA	7355	2722	10077	8091	2994	11085	8900	3293	12193	9790	3622	13412
72	BHILWARA	BIJOLIYA	5670	1413	7083	6237	1554	7791	6861	1709	8570	7547	1880	9427
73	BHILWARA	HURDA	7560	2855	10415	8316	3141	11457	9148	3455	12603	10063	3801	13864
74	BHILWARA	JAHAJPUR	10954	4994	15948	12049	5493	17542	13254	6042	19296	14579	6646	21225
75	BHILWARA	KOTRI	9207	3099	12306	10128	3409	13537	11141	3750	14891	12255	4125	16380
76	BHILWARA	MAN DAL	15638	6115	21753	17202	6727	23929	18922	7400	26322	20814	8140	28954
77	BHILWARA	NAANDALGARH	8767	2657	11424	9644	2923	12567	10608	3215	13823	11669	3537	15206
78	BHILWARA	RAIPUR	5393	2117	7510	5932	2329	8261	6525	2562	9087	7178	2818	9996
79	BHILWARA	SAHADA	6646	2351	8997	7311	2586	9897	8042	2845	10887	8846	3130	11976
80	BHILWARA	SHAHPURA	11732	4688	16420	12905	5157	18062	14196	5673	19869	15616	6240	21856
81	BHILWARA	SUWANA	14474	7448	21922	15921	8193	24114	17513	9012	26525	19264	9913	29177
		Total	**119816**	**46267**	**166083**	**131798**	**50894**	**182692**	**144978**	**55984**	**200962**	**159476**	**61583**	**221059**
82	BIKANER	BIKANER	13657	4269	17926	15023	4696	19719	16525	5166	21691	18178	5683	23861
83	BIKANER	KHAJUVVALA	9487	1318	10805	10436	1450	11886	11480	1595	13075	12628	1755	14383
84	BIKANER	KOLAYAT	19685	5341	25025	21654	5875	27529	23819	6463	30282	26201	7109	33310
85	BIKANER	LUNKARANSAR	14752	3882	18634	16227	4270	20497	17850	4697	22547	19635	5167	24802
86	BIKANER	NOKHA	9487	2115	11602	10436	2327	12763	11480	2560	14040	12628	2816	15444
87	BIKANER	PANCHOO	12183	2955	15138	13401	3251	16652	14741	3576	18317	16215	3934	20149
88	BIKANER	Shri DUNGARGARH	9515	2757	12272	10467	3033	13500	11514	3336	14850	12665	3670	16335
		Total	**88766**	**22637**	**111403**	**97643**	**24901**	**122544**	**107408**	**27392**	**134800**	**118149**	**30132**	**148281**
89	BUNDI	BUNDI	8563	3371	11934	9419	3708	13127	10361	4079	14440	11397	4487	15884
90	BUND!	HINDOLI	11779	4395	16174	12957	4835	17792	14253	5319	19572	15678	5851	21529
91	BUNDI	K.PATAN	10857	4889	15746	11943	5378	17321	13137	5916	19053	14451	6508	20959
92	BUNDI	NAINWA	9604	3486	13090	10564	3835	14399	11620	4219	15839	12782	4641	17423
93	BUNDI	TALERA	6142	1506	7648	6756	1657	8413	7432	1823	9255	8175	2005	10180
		Total	**46945**	**17647**	**64592**	**51640**	**19412**	**71052**	**56804**	**21354**	**78158**	**62485**	**23490**	**35975**
94	CHITTAURGARH	BADI SADRI	5390	2092	7482	5929	2301	8230	6522	2531	9053	7174	2784	9958
95	CHITTAURGARH	BEGUN	7385	2368	9753	8124	2605	10729	8936	2866	11802	9830	3153	12983
96	CHITTAURGARH	BHADESAR	6197	2262	8459	6817	2488	9305	7499	2737	10236	8249	3011	11260
97	CHITTAURGARH	BHAINSROADGARH	6928	1825	8753	7621	2008	9629	8383	2209	10592	9221	2430	11651
98	CHITTAURGARH	BHOPALSAGAR	3911	1389	5300	4302	1528	5830	4732	1681	6413	5205	1849	7054
99	CHHTAURGARH	CHITTORGARH	10050	4560	14610	11055	5016	16071	12161	5518	17679	13377	6070	19447
100	CHITTAURGARH	DUNGLA	5214	1470	6684	5735	1617	7352	6309	1779	8088	6940	1957	8897
101	CHITTAURGARH	GANGRAR	6015	2921	8936	6617	3213	9830	7279	3534	10813	8007	3887	11894
102	CHITTAURGARH	KAPASAN	4673	2259	6932	5140	2485	7625	5654	2734	8388	6219	3007	9226
103	CHITTAURGARH	NINABAHERA	7532	3833	11365	8285	4216	12501	9114	4638	13752	10025	5102	15127
104	CHITTAURGARH	RASHMI	4138	1980	6118	4552	2178	6730	5007	2396	7403	5508	2636	8144
		Total	**67433**	**26959**	**94392**	**74177**	**29655**	**103832**	**81595**	**32621**	**114216**	**89755**	**35884**	**125639**
105	CHURU	BIDASAR	6549	1375	7924	7204	1513	8717	7924	1664	9588	8716	1830	10546
106	CHURU	CHURU	7161	3050	10211	7877	3355	11232	8665	3691	12356	9512	4060	13592
107	CHURU	IRAJGARH	8869	4141	13010	9756	4555	14311	10732	5011	15743	11805	5512	17317
108	CHURU	RATANGARH	9925	3851	13776	10918	4236	15154	12010	4660	16670	13211	5126	18337

109	CHURU	SARDARSHAHAR	13701	5427	19128	15071	5970	21041	16578	6567	23145	18236	7224	25460
110	CHURU	SUJANGARH	7404	2549	9953	8144	2804	10948	8958	3084	12042	9854	3392	13246
111	CHURU	TARANAGAR	5381	2556	7937	5919	2812	8731	6511	3093	9604	7162	3402	10564
		Total	**58990**	**22949**	**81939**	**64889**	**25244**	**90133**	**71378**	**27769**	**99147**	**78516**	**30546**	**109062**
112	Dausa	BANDIKUI	10338	3506	13844	11372	3857	15229	12509	4243	16752	13760	4667	18427
113	Dausa	DAUSA	7133	2639	9772	7846	2903	10749	8631	3193	11824	9494	3512	13006
114	Dausa	LALSOT	16117	6432	22549	17729	7075	24804	19502	7783	27285	21452	8561	30013
115	Dausa	LAWAN	6026	2234	8260	6629	2457	9086	7292	2703	9995	8021	2973	10994
116	Dausa	MAHWA	7249	2761	10010	7974	3037	11011	8771	3341	12112	9648	3675	13323
117	Dausa	SIKRAI	9709	4026	13735	10680	4429	15109	11748	4872	16620	12923	5359	18282
		Total	**56572**	**21598**	**78170**	**62230**	**23758**	**85988**	**68453**	**26134**	**94587**	**75299**	**28748**	**104047**
118	DHAULPUR	BARI	12805	3594	16399	14086	3953	18039	15495	4348	19843	17045	4783	21828
119	DHAULPUR	BASERI	14469	5103	19572	15916	5613	21529	17508	6174	23682	19259	6791	26050
120	DHAULPUR	DHOLPUR	14542	4592	19134	15996	5051	21047	17596	5556	23152	19356	6112	25468
121	DHAULPUR	RAJAKHERA	11440	2043	13483	12584	2247	14831	13842	2472	16314	15226	2719	17945
122	DHAULPUR	SAIPAU	10142	2883	13025	11156	3171	14327	12272	3488	15760	13499	3837	17336
		Total	**63398**	**18215**	**81613**	**69738**	**20037**	**89775**	**76712**	**22041**	**98753**	**84384**	**24246**	**108630**
123	DUNGARPUR	ASPUR	6878	2561	9439	7566	2817	10383	8323	3099	11422	9155	3409	12564
[124	DUNGARPUR	BICCHIWARA	15361	4247	19608	16897	4672	21569	18587	5139	23726	20446	5653	26099
325	DUNGARPUR	CHIKHALI	12263	2575	14838	13489	2833	16322	14838	3116	17954	16322	3428	19750
126	DUNGARPUR	DOVDA	11379	3640	15019	12517	4004	16521	13769	4404	18173	15146	4844	19990
127	DUNGARPUR	DUNGARPUR	14167	4644	18811	15584	5108	20692	17142	5619	22761	18856	6181	25037
128	DUNGARPUR	GALIYAKOT	9505	3048	12553	10456	3353	13809	11502	3688	15190	12652	4057	16709
129	DUNGARPUR	JHONTHARI	10815	3643	14458	11897	4007	15904	13087	4408	17495	14396	4849	19245
130	DUNGARPUR	SABLA	7601	2321	9922	8361	2553	10914	9197	2808	12005	10117	3089	13206
131	DUNGARPUR	SAGWARA	15909	6398	22307	17500	7038	24538	19250	7742	26992	21175	8516	29691
132	DUNGARPUR	SIMALWARA	10924	2680	13604	12016	2948	14964	13218	3243	16461	14540	3567	18107
		Total	**114802**	**35757**	**150559**	**126283**	**39333**	**165616**	**138912**	**43267**	**182179**	**152804**	**47594**	**200398**
133	GANGANAGAR	ANOOPGARH	4668	1109	5777	5135	1220	6355	5649	1342	6991	6214	1476	7690
134	GANGANAGAR	GHARASANA	8890	1877	10767	9779	2065	11844	10757	2272	13029	11833	2499	14332
135	GANGANAGAR	KARANPUR	5294	2529	7823	5823	2782	8605	6405	3060	9465	7046	3366	10412
136	GANGANAGAR	PADAMPUR	5329	2285	7614	5862	2514	8376	6448	2765	9213	7093	3042	10135
137	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	6737	3062	9799	7411	3368	10779	8152	3705	11857	8967	4076	13043
138	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	3606	1681	5287	3967	1849	5816	4364	2034	6398	4800	2237	7037
139	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	9371	4214	13585	10308	4635	14943	11339	5099	16438	12473	5609	18082
140	GANGANAGAR	SURATGARH	11896	4737	16633	13086	5211	18297	14395	5732	20127	15835	6305	22140
141	GANGANAGAR	VIJAYNAGAR	6069	1425	7494	6676	1568	8244	7344	1725	9069	8078	1898	9976
		Total	**61860**	**22919**	**84779**	**68046**	**25211**	**93257**	**74851**	**27733**	**102584**	**82337**	**30507**	**112844**
142	HANUMANGARH	BHADRA	6030	3381	9411	6633	3719	10352	7296	4091	11387	8026	4500	12526
143	HANUMANGARH	HANUMANGARH	7892	3309	11201	8681	3640	12321	9549	4004	13553	10504	4404	14908
144	HANUMANGARH	NOHAR	8600	4369	12969	9460	4806	14266	10406	5287	15693	11447	5816	17263
145	HANUMANGARH	PILIBANGAN	6139	2880	9019	6753	3168	9921	7428	3485	10913	8171	3834	12005
,146	HANUMANGARH	RAWATSAR	6957	3092	10049	7653	3401	11054	8418	3741	12159	9260	4115	13375
147	HANUMANGARH	SANGARIA	2856	1142	3998	3142	1256	4398	3456	1382	4838	3802	1520	5322
148	HANUMANGARH	TIBBI	4574	1168	5742	5031	1285	6316	5534	1414	6948	6087	1555	7642
		Total	**43048**	**19341**	**62389**	**47353**	**21276**	**68629**	**52089**	**23404**	**75493**	**57298**	**25745**	**83043**
149	JAIPUR	AMBER	6032	1300	7332	6635	1430	8065	7299	1573	8872	8029	1730	9759
150	JAIPUR	BASSI	11243	4836	16079	12367	5320	17687	13604	5852	19456	14964	6437	21401
151	JAIPUR	CHAKSU	9721	4555	14276	10693	5011	15704	11762	5512	17274	12938	6063	19001
152	JAIPUR	DUDU	12133	5081	17214	13346	5589	18935	14681	6148	20829	16149	6763	22912
153	JAIPUR	GOVINDGARH	9207	4241	13448	10128	4665	14793	11141	5132	16273	12255	5645	17900
154	JAIPUR	JAIPUR EAST	9109	2197	11306	10020	2417	12437	11022	2659	13681	12124	2925	15049
155	JAIPUR	JAIPUR WEST	7512	1689	9201	8263	1858	10121	9089	2044	11133	9998	2248	12246
156	JAIPUR	JALSU	4680	1502	6182	5148	1652	6800	5663	1817	7480	6229	1999	8228
157	JAIPUR	JAMWA RAMGARH	14105	4260	18365	15516	4686	20202	17068	5155	22223	18775	5671	24446
158	JAIPUR	JHOTWARA	2079	267	2346	2287	294	2581	2516	323	2839	2768	355	3123
159	JAIPUR	JHOTWARA CITY	3903	1047	4950	4293	1152	5445	4722	1267	5989	5194	1394	6588
160	JAIPUR	KOTPUTLI	5652	2127	7779	6217	2340	8557	6839	2574	9413	7523	2831	10354
161	JAIPUR	PAOTA	4938	1772	6710	5432	1949	7381	5975	2144	8119	6573	2358	8931
162	JAIPUR	PHAGI	6829	2623	9452	7512	2885	10397	8263	3174	11437	9089	3491	12580
163	JAIPUR	SAMBHAR LAKE	7873	3501	11374	8660	3851	12511	9526	4236	13762	10479	4660	15139
164	JAIPUR	SANGANER	4446	1477	5923	4891	1625	6516	5380	1788	7168	5918	1967	7885
165	JAIPUR	SANGANER CITY	5262	1782	7044	5788	1960	7748	6367	2156	8523	7004	2372	9376
166	JAIPUR	SHAHPURA	6446	2772	9218	7091	3049	10140	7800	3354	11154	8580	3689	12269
167	JAIPUR	VIRATNAGAR	7396	3054	10450	8136	3359	11495	8950	3695	12645	9845	4065	13910
		Total	**138566**	**50083**	**188649**	**152423**	**55092**	**207515**	**167666**	**60602**	**228268**	**184433**	**66663**	**251096**
158	JAISALMER	JAISALMER	14606	3397	18003	16067	3737	19804	17674	4111	21785	19441	4522	23963
169	JAISALMER	POKARAN	20802	3787	24589	22882	4166	27048	25170	4583	29753	27687	5041	32728
170	JAISALMER	SAM	17122	4042	21164	18834	4446	23280	20717	4891	25608	22789	5380	28169
		Total	**52530**	**11226**	**63756**	**57783**	**12349**	**70132**	**63562**	**13584**	**77146**	**69919**	**14943**	**84862**
171	JALOR	AAHOR	9439	3778	13217	10383	4156	14539	11421	4572	15993	12563	5029	17592
172	JALOR	BHINMAL	16799	6520	23319	18479	7172	25651	20327	7889	28216	22360	8678	31038
173	JALOR	CHITALWANA	17050	5634	22684	18755	6197	24952	20631	6817	27448	22694	7499	30193

174	JALOR	JALORE	7213	2702	9915	7934	2972	10906	8727	3269	11996	9600	3596	13196
175	JALOR	JASWANTPURA	7680	2720	10400	8448	2992	11440	9293	3291	12584	10222	3620	13842
176	JALOR	RANIWARA	12995	4269	17264	14295	4696	18991	15725	5166	20891	17298	5683	22981
177	JALOR	SANCHORE	16733	5405	22138	18406	5946	24352	20247	6541	26788	22272	7195	29467
178	JALOR	SAYLA	15341	4410	19751	16875	4851	21726	18563	5336	23899	20419	5870	26289
		Total	**103250**	**35438**	**138688**	**113575**	**38982**	**152557**	**124933**	**42881**	**167814**	**137427**	**47170**	**184597**
179	JHALAWAR	AKLERA	11399	3009	14408	12539	3310	15849	13793	3641	17434	15172	4005	19177
180	JHALAWAR	BAKANI	4249	1508	5757	4674	1659	6333	5141	1825	6966	5655	2008	7663
181	JHALAWAR	BHAWANIMANDI	7110	3102	10212	7821	3412	11233	8603	3753	12356	9463	4128	13591
182	JHALAWAR	DAG	9914	3783	13697	10905	4161	15066	11996	4577	16573	13196	5035	18231
183	JHALAWAR	JHALARAPATAN	9552	4080	13632	10507	4488	14995	11558	4937	16495	12714	5431	18145
184	JHALAWAR	KHPNPUR	6205	3047	9252	6826	3352	10178	7509	3687	11196	8260	4056	12316
185	JHALAWAR	MANOHARTHANA	10861	3891	14752	11947	4280	16227	13142	4708	17850	14456	5179	19635
186	JHALAWAR	SUMEL	9469	4518	13987	10416	4970	15386	11458	5467	16925	12604	6014	18618
		Total	**68759**	**26938**	**95697**	**75635**	**29632**	**105267**	**83199**	**32596**	**115795**	**91519**	**35856**	**127375**
187	JHUNJHUNU	ALSISAR	3428	1570	4998	3771	1727	5498	4148	1900	6048	4563	2090	6653
188	JHUNIHUNU	BUHANA	2482	873	3355	2730	960	3690	3003	1056	4059	3303	1162	4465
1S5	JHUNIHUNU	CHIRAWA	3770	1244	5014	4147	1368	5515	4562	1505	6067	5018	1656	6674
190	JHUNIHUNU	JHUNIHUNU	5025	2008	7033	5528	2209	7737	6081	2430	3511	6689	2673	9362
191	JHUNJHUNU	KHETRI	5800	2535	8335	6380	2789	9169	7018	3068	10086	7720	3375	11095
192	JHUNJHUNU	NAWALGARH	5294	1649	6943	5823	1814	7637	6405	1995	8400	7046	2195	9241
193	JHUNJHUNU	SURAJGARH	4343	1630	5973	4777	1793	6570	5255	1972	7227	5781	2169	7950
194	JHUNIHUNU	UDAIPURWATI	7399	2829	10228	8139	3112	11251	8953	3423	12376	9848	3765	13613
		Total	**37541**	**14338**	**51879**	**41296**	**15772**	**57068**	**45426**	**17350**	**62776**	**49969**	**19085**	**69054**
195	JODHPUR	BALESAR	6929	1709	8638	7622	1880	9502	8384	2068	10452	9222	2275	11497
196	JO DHPU R	BAORI	7479	1638	9117	8227	1802	10029	9050	1982	11032	9955	2180	12135
197	JODHPUR	BAP	12805	1881	14666	14086	2069	16155	15495	2276	17771	17045	2504	19549
198	JODHPUR	BAPINI	11207	2029	13236	12328	2232	14560	13561	2455	16016	14917	2701	17618
199	IODHPUR	BHOPALGARH	5698	1510	7208	6268	1661	7929	6895	1827	8722	7585	2010	9595
200	JODHPUR	BILARA	4779	1898	6677	5257	2088	7345	5783	2297	8080	6361	2527	8888
201	JODHPUR	DECHU	8407	1387	9794	9248	1526	10774	10173	1679	11852	11190	1847	13037
202	JODHPUR	JODHPUR CITY	9132	2305	11437	10045	2536	12581	11050	2790	13840	12155	3069	15224
203	JODHPUR	LOHAWAT	11068	2136	13204	12175	2350	14525	13393	2585	15978	14732	2844	17576
204	JODHPUR	LUNI	13118	4294	17412	14430	4723	19153	15873	5195	21068	17460	5715	23175
205	JODHPUR	MANDORE	8635	2809	11444	9499	3090	12589	10449	3399	13848	11494	3739	15233
206	JODHPUR	OSIAN	10502	2442	12944	11552	2686	14238	12707	2955	15662	13978	3251	17229
207	JODHPUR	PHALODI	11825	2840	14665	13008	3124	16132	14309	3436	17745	15740	3780	19520
208	JODHPUR	PIPAR CITY	6413	1979	8392	7054	2177	9231	7759	2395	10154	8535	2635	11170
209	JODHPUR	SEKHALA	7437	1373	8810	8181	1510	9691	8999	1661	10660	9899	1827	11726
210	JODHPUR	SHERGARH	13087	2848	15935	14396	3133	17529	15836	3446	19282	17420	3791	21211
211	JODHPUR	TINWARI	7370	1583	8953	8107	1741	9848	8918	1915	10833	9810	2107	11917
		Total	**155891**	**36661**	**192552**	**171481**	**40328**	**211809**	**188630**	**44361**	**232991**	**207493**	**48798**	**256291**
212	KARAULI	HINDAUN	15166	4556	19722	16683	5012	21695	18351	5513	23864	20186	6064	26250
213	KARAULI	KARAULI	15981	3445	19426	17579	3790	21369	19337	4169	23506	21271	4586	25857
214	KARAULI	MADRAIL	6591	1530	8121	7250	1683	8933	7975	1851	9826	8773	2036	10809
215	KARAULI	NADOTI	5420	1793	7213	5962	1972	7934	6558	2169	8727	7214	:386	9600
216	KARAULI	SAPOTRA	7762	2359	10121	8538	2595	11133	9392	2855	12247	10331	3141	13472
217	KARAULI	TODABHIM	7353	2161	9514	8088	2377	10465	8897	2615	11512	9787	2877	12664
218	KOTA	ITAWA	6887	2827	9714	7576	3110	10686	8334	3421	11755	9167	3763	12930
219	KOTA	KHAIRABAD	8970	4730	13700	9867	5203	15070	10854	5723	16577	11939	6295	18234
220	KOTA	KOTA	6606	2327	8933	7267	2560	9827	7994	2816	10810	8793	3098	11891
221	KOTA	LADPURA	6207	2648	8855	6828	2913	9741	7511	3204	10715	8262	3524	11786
,222	KOTA	SANGOD	6056	2191	8247	6662	2410	9072	7328	2651	9979	8061	2916	10977
223	KOTA	SULTANPUR	5862	2053	7915	6448	2258	8706	7093	2484	9577	7802	2732	10534
		Total	**40588**	**16776**	**57364**	**44647**	**18454**	**63101**	**49112**	**20300**	**69412**	**54024**	**22330**	**76354**
224	NAGAUR	DEEDWANA	7814	2439	10253	8595	2683	11278	9455	2951	12406	10401	3246	13647
225	NAGAUR	DEGANA	6930	2160	9090	7623	2376	9999	8385	2614	10999	9224	2875	12099
226	NAGAUR	JAYAL	8932	3541	12473	9825	3895	13720	10808	4285	15093	11889	4714	16603
227	NAGAUR	KHINWSAR	14577	3727	18304	16035	4100	20135	17639	4510	22149	19403	4961	24364
228	NAGAUR	KUCHAMAN	8557	3587	12144	9413	3946	13359	10354	4341	14695	11389	4775	16164
229	NAGAUR	LADNUN	5853	2530	8383	6438	2783	9221	7082	3061	10143	7790	3367	11157
230	NAGAUR	MAKRANA	9927	3183	13110	10920	3501	14421	12012	3851	15863	13213	4236	17449
231	NAGAUR	MERTACITY	7298	2291	9589	8028	2520	10548	8831	2772	11603	9714	3049	12763
232	NAGAUR	MOLASAR	5313	1724	7037	5844	1896	7740	6428	2086	8514	7071	2295	9366
233	NAGAUR	MUNDWA	6296	1764	8060	6926	1940	8866	7619	2134	9753	8381	2347	10728
234	NAGAUR	NAGAUR	14603	3849	18452	16063	4234	20297	17669	4657	22326	19436	5123	24559
235	NAGAUR	NAWA	6110	2381	8491	6721	2619	9340	7393	2881	10274	8132	3169	11301
236	NAGAUR	PARBATSAR	10612	4431	15043	11673	4874	16547	12840	5361	18201	14124	5897	20021
237	NAGAUR	RIYAN	8181	2310	10491	8999	2541	11540	9899	2795	12694	10889	3075	13964
		Total	**121003**	**39917**	**160920**	**133104**	**43909**	**177013**	**146415**	**48300**	**194715**	**161057**	**53130**	**214187**
238	PALI	BALI	12563	4656	17219	13819	5122	18941	15201	5634	20835	16721	6197	22918
239	PALI	DESURI	5499	2688	8187	6049	2957	9006	6654	3253	9907	7319	3578	10897
240	PALI	JAITARAN	9902	4255	14157	10892	4681	15573	11981	5149	17130	13179	5664	18843

241	PALI	MARVAR JUNCTION	8665	3375	12040	9532	3713	13245	10485	4084	14569	11534	4492	16026
242	PALI	PALI	7988	3984	11972	8787	4382	13169	9666	4820	14486	10633	5302	15935
243	PALI	RAIPUR	13682	5073	18755	15050	5580	20630	16555	6138	22693	18211	6752	24963
244	PALI	RANI	3618	1775	5393	3980	1953	5933	4378	2148	6526	4816	2363	7179
245	PALI	ROHAT	5387	2826	8213	5926	3109	9035	6519	3420	9939	7171	3762	10933
246	PALI	SOJAT	7960	4175	12135	8756	4593	13349	9632	5052	14684	10595	5557	16152
247	PALI	SUMERPUR	6208	3269	9477	6829	3596	10425	7512	3956	11468	8263	4352	12615
		Total	**81472**	**36076**	**117548**	**89620**	**39684**	**129304**	**98582**	**43653**	**142235**	**108441**	**48019**	**156460**
248	PRATAPGARH (RAJ.)	ARNOD	10063	2895	12958	11069	3185	14254	12176	3504	15680	13394	3854	17248
249	PRATAPGARH (RAJ.)	CHHOTI SADRI	8429	3324	11753	9272	3656	12928	10199	4022	14221	11219	4424	15643
250	PRATAPGARH (RAJ.)	DHARIYAWAD	17980	4130	22110	19778	4543	24321	21756	4997	26753	23932	5497	29429
251	PRATAPGARH (RAJ.)	PEEPALKHOOT	18817	5202	24019	20699	5722	26421	22769	6294	29063	25046	6923	31969
252	PRATAPGARH (RAJ.)	PRATAPGARH	14503	5106	19609	15953	5617	21570	17548	6179	23727	19303	6797	26100
		Total	**69792**	**20657**	**90449**	**76772**	**22723**	**99495**	**84450**	**24996**	**109446**	**92895**	**27496**	**120391**
253	RAJSAMAND	AMET	6988	2893	9881	7687	3182	10869	8456	3500	11956	9302	3850	13152
254	RAJSAMAND	BHIM	15916	6783	22699	17508	7461	24969	19259	8207	27466	21185	9028	30213
255	RAJSAMAND	DEOGARH	8995	4085	13080	9895	4494	14389	10885	4943	15828	11974	5437	17411
256	RAJSAMAND	KHAMNOR	13629	5105	18734	14992	5616	20608	16491	6178	22669	18140	6796	24936
257	RAJSAMAND	KUMBHALGARH	12646	3615	16261	13911	3977	17888	15302	4375	19677	16832	4813	21645
258	RAJSAMAND	RAILMAGRA	6630	2915	9545	7293	3207	10500	8022	3528	11550	8824	3881	12705
259	RAJSAMAND	RAJSAMAND	11124	5067	16191	12236	5574	17810	13460	6131	19591	14806	6744	21550
		Total	**75928**	**30463**	**106391**	**83521**	**33510**	**117031**	**91874**	**36861**	**128735**	**101062**	**40548**	**141610**
260	SAWAI MADHOPUR	BAMANWAS	6863	2382	9245	7549	2620	10169	8304	2882	11186	9134	3170	12304
261	SAWAI MADHOPUR	BOUNLI	7034	2056	9090	7737	2262	9999	8511	2488	10999	9362	2737	12099
262	SAWAI MADHOPUR	CHAUTH KA BARWARA	3763	1171	4934	4139	1288	5427	4553	1417	5970	5008	1559	6567
263	SAWAI MADHOPUR	GANGAPUR CITY	8425	2588	11013	9268	2847	12115	10195	3132	13327	11215	3445	14660
264	SAWAI MADHOPUR	KHANDAR	6230	2351	8581	6853	2586	9439	7538	2845	10383	8292	3130	11422
265	SAWAI MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	4652	1959	6611	5117	2155	7272	5629	2371	8000	6192	2608	8800
		Total	**36967**	**12507**	**49474**	**40664**	**13758**	**54422**	**44731**	**15134**	**59865**	**49205**	**16648**	**65853**
266	SIKAR	DANTARAMGARH	11027	4103	15130	12130	4513	16643	13343	4964	18307	14677	5460	20137
267	SIKAR	DHOD	6158	1992	8150	6774	2191	8965	7451	2410	9861	8196	2651	10847
268	SIKAR	FATEHPUR	7096	2468	9564	7806	2715	10521	8587	2987	11574	9446	3286	12732
269	SIKAR	KHANDELA	6245	2398	8643	6870	2638	9508	7557	2902	10459	8313	3192	11505
270	SIKAR	LAXMANGARH	5275	2111	7386	5803	2322	8125	6383	2554	8937	7021	2809	9830
271	SIKAR	NEEM KA THANA	7475	3298	10773	8223	3628	11851	9045	3991	13036	9950	4390	14340
272	SIKAR	PATAN	3714	1409	5123	4085	1550	5635	4494	1705	6199	4943	1876	6819
273	SIKAR	PIPRALI	8024	2611	10635	8826	2872	11698	9709	3159	12868	10680	3475	14155
274	SIKAR	SHRI MADHOPUR	5619	2819	8438	6181	3101	9282	6799	3411	10210	7479	3752	11231
		Total	**60633**	**23209**	**83842**	**66697**	**25530**	**92227**	**73367**	**28083**	**101450**	**80704**	**30892**	**111596**
275	SIROHI	ABU ROAD	14202	2441	16643	15622	2685	18307	17184	2954	20138	18902	3249	22151
276	SIROHI	PINDWARA	14036	3819	17855	15440	4201	19641	16984	4621	21605	18682	5083	23765
277	SIROHI	REODAR	10726	3505	14231	11799	3856	15655	12979	4242	17221	14277	4666	18943
278	SIROHI	SHEOGANJ	4635	2282	6917	5099	2510	7609	5609	2761	8370	6170	3037	9207
279	SIROHI	SIROHI	5405	2132	7537	5946	2345	8291	6541	2580	9121	7195	2838	10033
		Total	**49004**	**14179**	**63183**	**53905**	**15597**	**69502**	**59296**	**17157**	**76453**	**65226**	**18873**	**84099**
280	TONK	DEOLI	7486	2959	10445	8235	3255	11490	9059	3581	12640	9965	3939	13904
281	TONK	MALPURA	7737	3944	11681	8511	4338	12849	9362	4772	14134	10298	5249	15547
282	TONK	NEWAI	9943	4153	14096	10937	4568	15505	12031	5025	17056	13234	5528	18762
283	TONK	TODARAISINGH	3946	1481	5427	4341	1629	5970	4775	1792	6567	5253	1971	7224
284	TONK	TONK	10682	4816	15498	11750	5298	17048	12925	5828	18753	14218	6411	20629
285	TONK	UNIYARA	6629	2629	9258	7292	2892	10184	8021	3181	11202	8823	3499	12322
		Total	**46423**	**19982**	**66405**	**51066**	**21981**	**73047**	**56173**	**24180**	**80353**	**61791**	**26598**	**88389**
286	UDAIPUR	BADGAON	8416	3123	11539	9258	3435	12693	10184	3779	13963	11202	4157	15359
287	UDAIPUR	BHINDER	14645	5665	20310	16110	6232	22342	17721	6855	24576	19493	7541	27034
288	UDAIPUR	FALASIYA	11503	2731	14234	12653	3004	15657	13918	3304	17222	15310	3634	18944
289	UDAIPUR	GIRWA	16673	5625	22298	18340	6188	24528	20174	6807	26981	22191	7488	29679
290	UDAIPUR	GOGUNDA	8008	2116	10124	8809	2328	11137	9690	2561	12251	10659	2817	13476
291	UDAIPUR	JHADOL (PH)	11978	2645	14623	13176	2910	16086	14494	3201	17695	15943	3521	19464
292	UDAIPUR	JHALLARA	8449	1969	10418	9294	2166	11460	10223	2383	12606	11245	2621	13866
293	UDAIPUR	KHERWARA	19219	5331	24550	21141	5864	27005	23255	6450	29705	25581	7095	32676
294	UDAIPUR	KOTRA	20332	1519	21851	22365	1671	24036	24602	1838	26440	27062	2022	29084
295	UDAIPUR	KURABAD	5982	1812	7794	6580	1993	8573	7238	2192	9430	7962	2411	10373
296	UDAIPUR	LASADIYA	8516	1765	10281	9368	1942	11310	10305	2136	12441	11336	2350	13686
297	UDAIPUR	MAVLI	14182	5169	19351	15600	5686	21286	17160	6255	23415	18876	6881	25757
298	UDAIPUR	RISHABHDEV	13116	3512	16628	14428	3863	18291	15871	4249	20120	17458	4674	22132
299	UDAIPUR	SAIRA	7571	1466	9037	8328	1613	9941	9161	1774	10935	10077	1951	12028
300	UDAIPUR	SALUMBAR	10304	3318	13622	11334	3650	14984	12467	4015	16482	13714	4417	18131
301	UDAIPUR	SARADA	13049	3421	16470	14354	3763	18117	15789	4139	19928	17368	4553	21921
302	UDAIPUR	SEMARI	9088	2552	11640	9997	2807	12804	10997	3088	14085	12097	3397	15494
		Total	**201031**	**53739**	**254770**	**221135**	**59113**	**280248**	**243249**	**65025**	**308274**	**267574**	**71528**	**339102**
		GRAND TOTAL	**2834916**	**943990**	**3778906**	**3118424**	**1038401**	**4156825**	**3430281**	**1142256**	**4572537**	**3473323**	**1256499**	**5029822**

नोट : इस नामांकन में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, मेवात विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों का नामांकन सम्मिलित नहीं किया गया है।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2016/ दिनांक : 12.4.16 ● परिपत्र ● इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 27.02.2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। बोर्ड परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों से मिले पृष्ठ पोषण के आधार पर बोर्ड परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों में अनियमितता एवं बिना आवश्यकता के लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों के कारण परीक्षा अवधि में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित होने संबंधी बातें सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारु संचालन हेतु भविष्य में बोर्ड परीक्षा आयोजन के संबंध में निम्नांकित विवरणानुसार स्थाई निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है , उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए।
2. परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाए, बशर्ते कि किसी व्यक्ति विशेष को तात्कालिक कारणों (रक्त संबंधी के उक्त केन्द्र पर परीक्षार्थी होने अथवा विषयाध्यापक से संबंधित विषय की परीक्षा दिवस को अथवा अन्य किसी कारण) से वीक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
3. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए , जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके। वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनो हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थिति में वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए।
5. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।
6. **वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण:** – बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से संबंधित रजिस्टर का पृथक् से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें। इसी प्रकार समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाएँ तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति स्वरूप भी हस्ताक्षर करवाए जाएँ। केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएँगे। केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं। केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था में उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर संबंधित के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही संबंधित परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में व्यवस्था दुरूस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड प्रशासन द्वारा उड़नदस्ता प्रभारियों को प्रदत्त दिशा निर्देशों में उपर्युक्तानुसार वर्णित निर्देशों का समावेशन भविष्य में आवश्यक रूप से किया जाए।
7. **जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दायित्वबद्धता :–** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है। इसके सफलतापूर्वक संचालन हेतु शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी है। उक्त परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर से जिलास्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाता है , जिसमें जिला कलक्टर अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक सह अध्यक्ष होते हैं तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) सदस्य सचिव के रूप में सम्पूर्ण जिले में परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु प्रथमत: जिम्मेवार होते हैं। उक्तानुरूप बोर्ड परीक्षा में वीक्षक ड्यूटी के नाम पर मानवीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोके जाने तथा उक्त परीक्षा के दौरान

क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के साथ - साथ शिक्षण व्यवस्था के भी सुचारु संचालन हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम) परीक्षा आयोजन संबंधी क्रियाकलापों/गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वन हेतु बोर्ड कार्यालय के सीधे सम्पर्क में होते हैं, अत: बोर्ड परीक्षा के दौरान वीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से संबंधित कार्य के सुसंगत एवं आवश्यकतानुरूप निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं केन्द्राधीक्षकों से निम्नांकित विवरणानुसार कार्य सम्पादन अपेक्षित है :-

i. बोर्ड परीक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व सम्पूर्ण जिले के बोर्ड परीक्षा केन्द्रो से संबंधित सम्पूर्ण विवरण/सामग्री बोर्ड कार्यालय से समुचित समन्वय रखते हुए प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ii. कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को उक्त कार्य हेतु दायित्वबद्ध करते हुए समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुरूप प्रति परीक्षा दिवस हेतु वांछित वीक्षकों की संख्या का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित करें।

iii. तत्पश्चात् शाला दर्पण की सहायता से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संबंधित/समीपवर्ती राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के अनुरूप उपलब्ध वीक्षक संख्या का विवरण तैयार करावें। समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक/पेपर कॉर्डिनेटर/माइक्रो ऑब्जर्वर के नियुक्ति आदेश समय पर जारी करते हुए केन्द्राधीक्षकों एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों हेतु उचित संख्या में वीक्षकों की व्यवस्था एवं परीक्षा अवधि में समस्त विद्यालयों में समुचित समय प्रबंधन करते हुए शिक्षण व्यवस्था जारी रखे जाने बाबत् निर्देशों की क्रियान्विति हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. निजी शिक्षण संस्थाओं/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों, जहाँ सीमित स्टाफ के कारण अन्य स्थानों से वीक्षक लगाए जाने हैं, ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा यथासमय सम्पन्न कर लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति उसी ब्लॉक के समीपवर्ती राजकीय विद्यालयों, जहाँ परीक्षा केन्द्र नहीं है, से की जाए। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों की ड्यूटी सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों हेतु नियोजित करते हुए जिस दिन कम वीक्षकों की आवश्यकता हो, उक्त दिवस हेतु वीक्षक ड्यूटी से मुक्त समस्त शिक्षकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

v. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वीक्षण कार्य हेतु ड्यूटी अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा सकती है। इस प्रकार की आपात स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित नॉडल विद्यालय के संस्था प्रधान से उचित समन्वय रखते हुए समीपवर्ती प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगाई जा सकती है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जो कि पूर्व में उल्लेखित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के सदस्य होते हैं, द्वारा उक्त बाबत् समुचित निर्देश क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे।

8. **मण्डल उपनिदेशक द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन :-** मण्डल उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना एवं अक्षरश: क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन हेतु उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अधीनस्थ जिलों में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों तथा विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों द्वारा वीक्षण ड्यूटी में बरती जा रही पारदर्शिता एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्देशों/नियमों की अवहेलना/उदासीनता पाई जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करेंगे।

समस्त संबंधित उपरवर्णित निर्देशों की पालना एवं अक्षरश: क्रियान्विति की जानी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

● (बी.एल. स्वर्णकार)आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

6. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना: 2016-17

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2015-16/183 दिनांक-22.3.16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● विषय : राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना : 2016-17 ● प्रसंग : शासन का पत्रांक : प.4(6)शिक्षा-1/2014, जयपुर दिनांक 15.03.2016

1. प्रस्तावना : विगत वर्षो में प्रदेश की गाँव-ढाणियों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् भी राजकीय विद्यालयों में नामांकन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने तथा विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि व ड्रॉप आउट की दिशा में वांछित सुधार दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में विगत वर्ष माह मई एवं जून में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु दो चरणों में वृहद् अभियान चलाया गया था। उक्त

अभियान के सकारात्मक परिणामों के रूप में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सकल नामांकन में वर्ष 2014-15 की तुलना में करीब 17% की वृद्धि हुई है, परन्तु उक्त उपलब्धि के बाद भी शासन द्वारा विभाग को प्रदत्त लक्ष्य से नामांकन वृद्धि 4% कम रही है। उक्त क्रम में विगत वर्ष की लक्ष्य पूर्ति में कमी का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु इस वर्ष भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के आयोजन बाबत समसंख्यक पत्र दिनांक : 18.03.2016 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएँ यथा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, छात्र दुर्घटना बीमा, मिड-डे-मील, कक्षा-8, 10 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण, कक्षा 9 में प्रवेशित सभी बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण की सुविधा एवं अनेक प्रकार की छात्रवृतियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं की सुविधाएँ दिए जाने के पश्चात् भी अपेक्षित नामांकन में वृद्धि नहीं होने से नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना के माध्यम से नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के क्रम में प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी ।

2. **नामांकन लक्ष्य :** राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालयों एवं शेष रहीं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18 में नामांकन के कक्षावार व जिले वार लक्ष्य गत वर्ष ही निर्धारित कर दिए गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट: www.rajshiksha.gov.in मुख पृष्ठ पर 'IMPORTANT LINKS' में क्रमांक-5 (आदर्श विद्यालय योजना) पर जिला/ब्लॉक/विद्यालयवार उपलब्ध है । उक्त क्रम में प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु कक्षा-1 से 5 में 150, कक्षा-6 से 8 में 105, कक्षा-9 से 10 में 100 एवं कक्षा-11 से 12 में 100 विद्यार्थियों के न्यूनतम नामांकन की सुनिश्चितता संबंधित संस्था प्रधान एवं स्टाफ द्वारा समन्वित प्रयासों से की जायेगी।

3. **नामांकन वृद्धि हेतु प्रचार-प्रसार :** राजकीय विद्यालयों में नामांकन से वंचित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकतम लक्ष्य उपलब्धि के क्रम में प्रवेशोत्सव को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर नामांकन लक्ष्य अर्जन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्वोल्लेखित पत्र दिनांक 18.03.2016 में कार्यक्रम रूपरेखा द्वारा विस्तृत उल्लेख किया गया है। उक्त बाबत निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भी अधिकाधिक नामांकन राजकीय विद्यालयों में करवाये जाने हेतु कक्षा-8 एवं 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् किया जा जाकर दिनांक 01 अप्रेल 2016 से विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किये जाने के निर्देश पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके हैं।

4. **नामांकन लक्ष्य पूर्ति हेतु मॉनिटरिंग (प्रबोधन):**

- **संस्था प्रधान स्तर पर :** नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था प्रधान व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रवेशोत्सव के दोनों चरणों में अपनी शाला के अधिकतम नामांकन के लक्ष्यों को सुनिश्चित करेंगे तथा इसमें अपने शाला स्टाफ, शिक्षक-अभिभावक परिषद्, शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति अपने क्षेत्र के पार्षद/वार्ड पंच/सरपंच/जन प्रतिनिधियों/भामाशाहों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क कर नामांकन लक्ष्य को पूर्ण करेंगे तथा व्यक्तिगत रूप से इसका सतत् प्रबोधन करेंगे। उक्त बाबत प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से पूर्व मौजूदा वर्ष हेतु विद्यालय को आंवटित कक्षावार नामांकन के लक्ष्य अर्जन की वस्तुस्थिति की समीक्षा समस्त स्टाफ के साथ की जाकर इस वर्ष के शेष रहे नामांकन लक्ष्यों का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त कक्षावार नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर समस्त स्टाफ को नामांकन के व्यक्तिगत लक्ष्य आंवटित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। संस्थाप्रधान से अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ प्रतिदिन समीक्षा करें ताकि आवंटित लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित हो सके । नामांकन लक्ष्य पूर्ति/प्रवेशोत्सव के पश्चात् संस्था प्रधान स्टाफ के साथ मासिक समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश किये गये नामांकित बच्चे विद्यालय से ड्रॉप-आउट तो नहीं हो रहे हैं । एक बार प्रवेश के पश्चात् नियमित रूप से तीन माह तक अधिक देखरेख व प्रभावी पर्यवेक्षण से ड्रॉप - आउट की दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। ड्रॉप-आउट से संबंधित बच्चों के अभिभावकों से निरन्तर समन्वय व संपर्क से भी ठहराव में सुधार हो सकेगा।
- **जिला शिक्षा अधिकारी स्तर :** जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु नॉडल अधिकारी नियुक्ति कर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट के साथ विद्यालयवार प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे । शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करने के लिये उत्तरदायी होंगे । जिन विद्यालयों में नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर उस संबंधित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों से संपर्क कर उस क्षेत्र के नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- **उप निदेशक स्तर :** उप निदेशक (मण्डल अधिकारी) अपने अधीनस्थ जिलों का प्रभावी प्रबोधन करने हेतु अपने कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (शैक्षिक) को नॉडल अधिकारी नियुक्त कर साप्ताहिक नामांकन संबंधी लक्ष्य की जानकारी अपने अधीनस्थ जिलों से प्राप्त कर समीक्षा करेंगे । जिन जिलों में नामांकन उपलब्धि लक्ष्य से कम अर्जित हो रही है, उन जिलों का भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी से नियमित संपर्क में रह कर नामांकन अर्जन की दिशा में आ रहीं कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु निरन्तर सम्बलन प्रदान करेंगे।
- **निदेशालय स्तर :** निदेशालय स्तर पर उप निदेशक (सांख्यिकी) पाक्षिक समय अन्तराल से गत पखवाड़े के नामांकन लक्ष्य की समीक्षा हेतु जिलेवार रिपोर्ट प्राप्त कर उप निदेशक (माध्यमिक) से

समन्वय कर प्रभावी समीक्षा करेंगे । मौजूदा वर्ष के नामांकन लक्ष्यों की समीक्षा से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कक्षा 1 से 5 में नामांकन वृद्धि अपेक्षानुरूप नहीं रही हैं। इस वर्ष समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में SIQE के क्रियान्वयन से प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उक्तानुरूप उक्त कक्षाओं में नामांकन लक्ष्य अर्जन हेतु उप निदेशक (समाज शिक्षा)द्वारा उप निदेशक (सांख्यिकी) से आवश्यक समन्वय कर प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन को विशेष रूप से मॉनिटर किया जायेगा ।

- **पुरस्कार एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :** संस्था प्रधान/अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के नामांकन लक्ष्य को पूरा करने /अधिक लक्ष्य प्राप्त करने पर संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर संस्था प्रधानों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो संस्था प्रधान/अध्यापक नामांकन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य /निप्र/डी-1/2101/II/99-2000/53005, दिनांक : 07.05.2015 के प्रावधानान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

7. परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-I/21901/पप/2015-16/300, दिनांक: 18.04.16 ● परिपत्र ● विषय : परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण। ● इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी-I /2101/II/99-2000/53005 दिनांक 14.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये नवीन समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये थे। उक्त **निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण** में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12, 10 , 8 एव 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों [व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापक ग्रेड - III (लेवल- II एवं I)], के लिये शैक्षिक सत्र : **2016-17 से प्रभावी** होने वाले निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. संस्था प्रधान:-

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम : विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एव 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम : विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा उससे न्यून एवं 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोट : यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकन : विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 150, कक्षा 6 से 8 के लिए 105, कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में 100 (उच्च माध्यमिक विद्यालयों में) विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है । विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिए विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि विभागीय वेब साईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी । सत्र 2015-16 हेतु निर्धारित नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले विद्यालयों को गत सत्र के शेष नामांकन लक्ष्य के साथ ही मौजूदा सत्र : 2016-17 का नामांकन लक्ष्य भी अर्जित करना होगा ।

2. शिक्षक:-

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम : शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम : शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत अथवा न्यून एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक (लेवल - I अथवा लेवल - II, जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय के परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड

डी प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।

नोट: यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकन : विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किये गये है। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रेषित किए जाएगे, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

3. क्रियान्वयन की रूपरेखा : उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही हेतु नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जावे :-

3.1 संस्था प्रधान /शिक्षक का सत्र के दौरान (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गो का कुल परिणाम (सभी कक्षा-वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिकी-रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा), तो परिणाम के लिये दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

3.6 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

4. सक्षम अधिकारी:-

4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मण्डल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड- III (लेवल- II एवं लेवल- I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा की जाएगी।

5. समय सारिणी:-

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम एवं सामान्यत: नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है, अत: उपर्युक्त मानदण्डानुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारिणी :-

5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना- 15 नवम्बर से पूर्व ।

5.2.2 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना- 15 दिसम्बर से पूर्व ।

5.2.3 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को प्रेषित करना -15 जनवरी से पूर्व ।

5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना- 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में ।

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये

प्रेषित करेंगे।

5.4 न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

5.4.1 न्यून परीक्षा परिणाम/ नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण -30 जुलाई तक।

5.4.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना- 10 अगस्त तक।

5.4.3 कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 30 अगस्त तक।

5.4.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना-10 सितम्बर तक।

5.5.5 आरोप पत्र का जबाब प्राप्त करना-25 सितम्बर तक।

5.5.6 व्यक्तिगत सुनवाई-10 अक्टूबर तक।

5.5.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना- 15 अक्टूबर तक।

6. उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

● (बी.एल स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

8. माध्यमिक शिक्षा सैट अप के छात्रनिधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी आदेश।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/ मा-स/22434/2015-16/14 दिनांक : 20.04.2016 ● संशोधन आदेश ● इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/ मा-स/21434/2015-16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में छात्र निधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश में वर्णित अन्य निर्देशों को विलोपित करते हुए निम्नांकित सीमा तक ही निर्देशों को प्रभावी रखा जाता है:-

'माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में छात्र निधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किया जाता है।'

समस्त सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

● (बी.एल स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

9. विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु योजना।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./अ/विपूमैछा/2016-17/ दिनांक : 12-04-2016 ● विज्ञप्ति :

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु संबंधित योजना में राज्य के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से निम्नांकित योजना के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है-

क्र. स.	विवरण	शिक्षा विभागीय योजना	जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना	देवनारायण गुरुकुल योजना
1.	पात्रता	राजस्थान के अनु. जाति एवं जनजाति के मूल निवासी	राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी	राजस्थान के विशेष पिछडा वर्ग से संबंधित जातियों के मूल निवासी
2.	कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्णता प्रतिशत	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक

1. योजना से संबंधित गाईड लाईन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय के कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट **www.rajshiksha.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. शिक्षा विभागीय योजना में सत्र 2016-17 में अनुमानित अनुसूचित जाति में 89 एवं अनुसूचित जनजाति में 72 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।
3. 300 सीटें जनजाति योजना क्षेत्र के चिह्नित 5 जिलों के क्षेत्र के लिये एवं 200 सीटें शेष 28 जिलों के गैर जनजाति योजना क्षेत्र के लिए प्रवेश दिया जायेगा।
4. देवनारायण गुरुकुल योजना में 500 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा तथा गत वर्ष की रिक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है।

प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजन- 4 जून 2016 (शनिवार)को समय **प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे** तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा निर्धारित राजकीय विद्यालय में आयोजित होगी। परीक्षा में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार की राशि छात्र/छात्रा को नहीं दी जायेगी। प्रवेश पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के कार्यालय से 25 मई से 3 जून तक (शनिवार सहित) कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किये जा सकेंगे।

प्रवेश पूर्व परीक्षा के विषय- 1. हिन्दी 2. गणित 3. सामाजिक विज्ञान 4. विज्ञान 5. अंग्रेजी विषय में प्रति विषय 20 भारांक (पूर्णांक 100) एवं नेगेटिव मार्किंग नहीं।

परीक्षा माध्यम एवं स्तर- अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर आब्जेक्टिव टाईप के होंगे।

प्रवेश- विशेष पूर्व मैट्रिक परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर

राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा। वरीयता योजना अनुसार पृथक-पृथक तैयार की जायेगी। छात्र/छात्राओं के लिए एक ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

आवेदन पत्र- निदेशालय द्वारा मुद्रित व कार्यालय की मोहर से प्रमाणित आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ-

(क) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
(ख) कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकतालिका की फोटोप्रति।
(ग) संबंधित योजना अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
(घ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि- 05 मई 2016

परीक्षा परिणाम की सूचना- विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

10. अजा./अजजा छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./अ/विपूमैछा/ 2016-17/ दिनांक : 12-04-2016 ● विज्ञप्ति ● राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग-अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** निम्नानुसार पूर्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाकर प्रवेश दिए जाएँगे :-

1. योजनाओं के नाम:- (अ) शिक्षा विभागीय योजना- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति **(ब) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)-** अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना **(स) देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना-** विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (देवासी)] हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

2. छात्र/छात्रा को सुविधाएँ

1. पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा को प्रथम बार **कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा।** तत्पश्चात् कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु स्वतः ही उनका नवीनीकरण होता रहेगा। बशर्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 'C' Grade लाना आवश्यक होगा।
2. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा कक्षा 11 एवं 12 हेतु विद्यालय में संचालित ऐच्छिक विषयों में से ही चयन करना होगा।
3. छात्र/छात्रा को नियमानुसार शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री की निःशुल्क सुविधाएँ देय होगी। इसमें फीस का पुनर्भरण चयनित छात्र-छात्रा को जिस विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा उसके लिए विभाग द्वारा अधिकतम 50,000/- रुपये वार्षिक एवं विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क, जो भी कम हो, तक का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

3. छात्र/छात्रा की पात्रता

निम्नलिखित समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु पात्र हैं:-

1. छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं में संबंधित वर्ग विशेष का होना आवश्यक है।
3. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 5 में न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
4. छात्र/छात्रा के माता-पिता के अधिकतम दो पुत्र-पुत्रियाँ ही यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार है अर्थात् इस योजना के अंतर्गत माता-पिता का एक पुत्र/पुत्री पूर्व में यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है अथवा कर चुका है तो अब मात्र एक ही पुत्र/पुत्री इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। किसी भी स्थिति में तीसरा पुत्र/पुत्री हकदार नहीं होगा।

4. छात्रवृत्तियों का निर्धारण

शिक्षा विभागीय योजना

1. शिक्षा विभागीय योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत सत्र (2015-16) में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल 3500 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। इस वर्ष की होने वाली रिक्तियों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। (कक्षा-12 की रिक्तियाँ एवं कक्षा 6 में किये गये आवंटन में से प्रवेश नहीं लेने वाले छात्र-छात्राओं की रिक्तियाँ) अनुसूचित जाति कुल-89, (62 छात्र व 27 छात्रा), अनुसूचित जनजाति कुल-72 (50 छात्र व 22 छात्रा) दोनों वर्गों की कुल संख्या-161 अनुमानित

5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)

1. अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) में छात्रवृत्तियों का निर्धारण इस प्रकार से है :-

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, समस्त जिले और उदयपुर जिले की सात सम्पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 81 गाँव व तहसील गोगुन्दा के 52 गाँव, प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट तहसीलें एवं सिरोही जिले की आबू रोड़ पर पंचायत समिति सम्मिलित है। जनजाति उपयोजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।	170	130	300
गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)	120	80	200
कुल योग	**290**	**210**	**500**

6. देवनारायण गुरुकुल योजना

इस सत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग के 500 छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना है। गत वर्ष मे रही रिक्तियों को भी शामिल किया जायेगा।

नोटः उक्त तीनों योजनाओं में छात्राओं के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो निर्धारित पदों में से रिक्त रहे प्रवेशित स्थानों पर छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

7. परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।

2) उक्त तीनों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे।

9. आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण

1. छात्र/छात्रा को उपर्युक्त तीनों योजनाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर योजना का नाम मोटे अक्षरों में लिखना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3. भरे हुए आवेदन पत्र अपने क्षेत्र से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय में दिनांक **05.05.2016** को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय दिनांक **10.05.2016** को निर्धारित प्रारूप में सीडी व हार्ड कॉपी में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
5. सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र अपने क्षेत्र से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय से दिनांक **25.05.2016** तक प्राप्त करेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की **प्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करना** हैः–
   (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
   (ब) छात्र/छात्राओं द्वारा उक्त तीनों योजनाओं में से जिस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है उस योजना के जाति/वर्ग विशेष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
   (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 5 की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
   (द) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता–पिता का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति संलग्न करें)।
7. आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने से छात्र–छात्रा की पात्रता निरस्त की जा सकती है।
8. ऑप्शन फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग/सफेद स्याही/ऑवर राइटिंग नहीं की जावें। ऐसा पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ऑप्शन फार्म को एक ही तरह के पेन/स्याही तथा एक ही हैंड राइटिंग से भरा जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10. प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन :–

1. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय में ही करवाया जाएगा।
2. छात्र–छात्रा जिस जिले से आवेदन प्रस्तुत करेगा उसे उसी जिले के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
4. उक्त तीनों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।
5. प्रवेश पूर्व परीक्षा में ये विषय हैं– 1. हिन्दी, 2. गणित, 3. सामाजिक विज्ञान, 4. विज्ञान, 5. अंग्रेजी। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय का भारांक 20 एवं पूर्णांक 100 एवं समयावधि 120 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जायेगा। इन विषयों के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा।

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) एवं छात्र/छात्राओं के विद्यालयों को उपलब्ध करवा दिए जाएँगे। छात्र–छात्राएँ परीक्षा से पूर्व स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे तथा इसे पूर्व प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले जाना होगा। इसके अभाव में छात्र–छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. **परीक्षा का आयोजन 04 जून 2016 को किया जायेगा।**
8. परीक्षा का परिणाम **माह जून 2016 के अन्तिम सप्ताह तक** घोषित किया जायेगा एवं परिणाम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड भी किया जायेगा।
9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थी द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को विभाग द्वारा अनुमोदित विद्यालय में प्रवेश पत्र के साथ विद्यालय आवंटन हेतु पांच वरीयता प्रस्तुत करने की दिनांक 05.07.2016
10. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त वरीयता विभाग को प्रस्तुत करने की दिनांक 11.07.2016

11. छात्र–छात्राओं का चयन :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं का राज्य की वरीयता सूची के आधार पर पृथक–पृथक चयन किया जायेगा।
2. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का पृथक–पृथक राज्य स्तर की वरीयता सूची के आधार पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र और गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र की निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या अनुसार प्राथमिकता से चयन किया जाएगा।
3. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का वरीयता अनुसार सर्वप्रथम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजना हेतु और तत्पश्चात शेष रहे छात्र/छात्राओं का शिक्षा विभाग की योजना हेतु चयन किया जा सकेगा।
4. छात्र/छात्राओं को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश ले लेने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी पायी जाने पर उनका चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा। गलत तथ्य देकर प्रवेश हेतु प्रयास करने पर छात्र–छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

12. विद्यालय का आवंटन

1. छात्र–छात्रा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश हेतु प्रस्तुत पाँच वरीयताओं में से किसी भी अनुमोदित विद्यालय में प्रवेश निदेशालय द्वारा दिया जायेगा।
2. छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् इसकी सूचना सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को तत्काल देनी होगी एवं जिला शिक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. छात्र/छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/ प्रवेश ले लेने पर विद्यालय में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थी की शैक्षणिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश के अधिकतम एक माह की अवधि में विद्यालय परिवर्तन किया जा सकेगा।

13. चयन के परिणाम की सूचना

छात्र/छात्राओं के चयन के परिणाम की सूचना विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2016–17

नामांक.....

(रिक्त छोड़ें–कार्यालय उपयोग हेतु)

राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो

योजना का नाम:–

1. शिक्षा विभागीय योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति–छात्र/छात्राओं हेतु)।
2. जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाः–

अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा समस्त जिले और उदयपुर जिले की सात पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 81 गाँव एवं तहसील गोगुन्दा के 52 गाँव, प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूँट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबू रोड़ पंचायत समिति शामिल है।

जनजाति उपयोजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www. tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

ब) गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)।

3. देवनारायण गुरुकुल योजनाः– विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजरी, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैवासी)] हेतु।

योजना का नाम : .....

(छात्र/छात्रा उपर्युक्त योजनाओं में से उपयुक्त योजना का नाम स्वयं भरें)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जन्म तिथि (अंकों में) .....
   (शब्दों में).....
3. पिता का नाम .....
4. माता का नाम .....
5. निवासी (1) राजस्थान (2) जिले का नाम .....
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एस.बी.सी
   SC..... ST.....SBC.....

वर्ग में जाति का नाम अंकित करें।

7. माता-पिता की वार्षिक आय (वर्ष 2015-16).....
8. माता-पिता आयकरदाता है/नहीं.....
9. कक्षा 5 उत्तीर्ण के प्राप्तांक एवं प्रतिशतः

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1. हिन्दी		
2. गणित		
3. सामाजिक विज्ञान		
4. विज्ञान		
5. अंग्रेजी		
कुल योग		

प्राप्तांक प्रतिशतः-

10. कक्षा 5 में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम.....
11. कक्षा 6 में अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी..... (कोई एक अंकित करें)
12. योजनाओं में अध्ययन कर चुके एवं अध्ययनरत भाई-बहनों के नाम

क्र. सं.	भाई-बहिन का नाम	अंतिम कक्षा	योजना के विद्यालय का नाम	सत्र
1.				
2.				

13. गृह जिले का नाम .....
14. स्थायी पता

छात्र/छात्रा का नाम.....
पिता का नाम.....
गाँव.....पोस्ट..... वाया.....
जिला..... फोन नं मय STD कोड.....
मोबाइल नं. .....

माता/पिता और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :-

1. योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का मैंने भलीभाँति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त व्यय राशि विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।
2. मेरे पूर्व में एक से अधिक पुत्र-पुत्री/भाई-बहिन ने इस योजना के अन्तर्गत न तो अध्ययन किया है और न ही वर्तमान में एक से अधिक अध्ययनरत है।
3. विद्यालय शुल्क (शिक्षण शुल्क, आवासीय शुल्क, पोशाक, पाठ्य-पुस्तकें शुल्क) 50,000 रुपये से अधिक होने पर पुनर्भरण अभिभावक द्वारा दिया जायेगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात सही पाये जाने पर छात्र/छात्रा को कक्षा 6 में वर्ष 2016-17 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है।

जाँचकर्त्ता के हस्ताक्षर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

परीक्षा केन्द्र का आवंटन/जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात सही पाये जाने पर छात्र-छात्रा को कक्षा 6 की पूर्व प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र..... आवंटित किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)
मय मोहर

जाँचकर्त्ता के हस्ताक्षर

परीक्षा केन्द्र में केन्द्राधीक्षक द्वारा छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण

छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर (परीक्षा केन्द्र में)

केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर
मय मोहर

प्रपत्र-ए

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला.....

क्र. सं.	जिला	नामांक रिक्त छोड़े	नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पूरा पता	वर्ग (SC/ST/ SBC)	छात्र/छात्रा (M/F)	जन्म दिनांक	मोबाइल नम्बर	आवेदन पत्र क्रमांक

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

छात्र-छात्रा की अलग-अलग सूची बनाएँ

छात्र-छात्रा का वर्ग के SC/ST/SBC ही लिखा जाये व छात्र/छात्रा के M/F ही लिखा जाए

प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्रमांक लिखें और सूची में इन्द्राज करें

इस सूचना को ईमेल panjiyakscholar@gmail.com पर भेजें

11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012

● कार्यालय निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर ● क्रमांक : प.35(5)बाअवि./चा.रा.क्लब/शि.वि.शिविरा/2016 194 दिनांक 4.4.2016

पोक्सो कानून क्या है ?

- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेस एक्ट का संक्षिप्त रूप पोक्सो कानून है।
- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे (चाहे लड़का हो या लड़की) जिनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक शोषण हुआ हो या करने का प्रयास किया गया हो, तो वह इस कानून के दायरे में आता है।
- पोक्सो कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है।
- इस कानून के अंतर्गत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान किया गया है।
- यह कानून 14 नवम्बर, 2014 से पूरे देश में लागू है।

पोक्सो कानून की खास बातें

- पोक्सो कानून की धारा–3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (प्रवेशन लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है।
- अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट या अन्य वस्तु डालता है या बच्चे से ऐसा करने को कहता है, तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया है।
- इसके लिए धारा–4 में सजा तय की गयी है। दोषी पाए जाने पर मुजरिम को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना तय किया गया है।
- कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिस पर बच्चा को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है अथवा दो या उससे अधिक लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, तो ऐसे मामले को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है।
- दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा–6 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- धारा–7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट (लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच करता है तो धारा–8 के तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक कैद हो सकती है।
- कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिस पर बच्चों को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है अथवा दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं अथवा हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा–10 के तहत 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- बच्चों के साथ सैक्सुअल हैरेसमेंट (लैंगिक उत्पीड़न) को धारा–11 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य) दिखाता है तो धारा–12 के तहत 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- धारा–13 के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है तो यह भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले में धारा–14 के तहत 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- जो कोई व्यक्ति/संस्था/कंपनी लैंगिक अपराध के मामले को रिपोर्ट करने में विफल रहता है उसे क्रमशः धारा–21(1) एवं (2) के तहत छः माह एवं एक वर्ष के कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
- पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जितनी जल्दी संभव हो प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया जायेगा और रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकी की मुफ्त प्रति दी जाएगी। नियम 4(2)(क)
- जाँच अधिकारी बिना विलम्ब किये 24 घण्टे के भीतर पोक्सो के मामले को बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे। धारा–19(6)
- धारा 28 के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है।
- बच्चे की बात को उसके घर पर ही अथवा बच्चे की पसंद के स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जायेगा। पुलिस अधिकारी पद में सब इंस्पेक्टर (SI) से नीचे का नहीं होगा। धारा–24(1)
- पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान पब्लिक और मीडिया जाहिर होने से सुरक्षित करेगा तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जाएगी। धारा–24(5)
- मामला चलने के दौरान पूरी प्रक्रिया, जैसे– सबूत जुटाना, जाँच करना, सुनवाई करना मामले की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करना आदि के समय बच्चे के हित को देखते हुए काम किया जायेगा।
- पुलिस अधिकारी महिला होगी अथवा लड़के के मामले में पुरुष पदाधिकारी भी हो सकता है।
- पुलिस के द्वारा सबूत को 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जायेगा। धारा–35(1)
- विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ट्रायल (विचारण) को पूरा करेगा। धारा–35(2)
- किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रात को थाना में नहीं रखा जायेगा। धारा–24 (4)
- बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा। धारा–24(2)
- जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आये। धारा–24(3)

- बच्चे का बयान उसी की भाषा में दर्ज किया जायेगा। धारा-19(3)
- अगर बच्चा अलग भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषीय की सहायता ली जाएगी। धारा-19(4)
- धारा-26 (3) के तहत अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि से विकलांग हो, तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी जो बच्चे की बात समझ सके। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- बच्चे का मेडिकल जाँच माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में किया जायेगा। अगर वे उपलब्ध नहीं हो तो वैसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बच्चे का विश्वास हो। धारा-27(3)
- अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर द्वारा किया जायेगा। धारा-27(2)
- जहाँ संभव है वहाँ सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य-दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें। धारा-26(4)
- सीआरपीसी. 164 के तहत कथन का अभिलेखन माता-पिता/सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में किया जायेगा। धारा-26 (1)
- सहायक व्यक्ति नियुक्त करने के लिए जाँच अधिकारी बाल कल्याण समिति से अनुरोध करेगा और इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर विशेष न्यायालय को सूचित करेगा। 4(7)(9)
- जाँच अधिकारी बालक/माता-पिता/संरक्षक/सहायक व्यक्ति को सहायक सेवाओं की प्राप्यता एवं सम्बन्धित व्यक्ति से संपर्क की सूचना देंगे। नियम-4(2)ङ
- यदि अपराध किसी बालक द्वारा किया गया है तो मामले को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुना जायेगा न कि विशेष न्यायालय द्वारा। धारा-34(1)
- द्विभाषियों/अनुवादकों/विशेष शिक्षकों की सहायता राज्य सरकार की बाल संरक्षण इकाई से ली जाएगी। धारा-26(2) एवं नियम-3(1)
- इस कानून के अनुपालन की मोनिटरिंग धारा-44 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जायेगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई/जाँच अधिकारी द्वारा बालक और उसके माता-पिता या सहायक व्यक्ति को निम्न सूचना दी जाएगी। नियम-4(12)
  - (i) सरकारी और निजी आपात और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता
  - (ii) पीड़ित को मुआवजे से सम्बन्धित जानकारी
  - (iii) न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी जिसपर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक़ रखता है।

● हंसा सिंहदेव, आई.ए.एस., निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

- **'शिविरा पत्रिका' (मासिक) में शिक्षक दिवस के उलपक्ष में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृंद व सुधी पाठकों से रचनाएँ आमंत्रित की जाती है। अतः अपने शैक्षिक चिंतन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ दिनांक 30 जून, 2016 तक 'वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा।**
- **सभी रचनाकार अलग से एक पन्ने पर (प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग) निम्नांकित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत परिचय अवश्य संलग्न करें। यथा- नाम, पत्राचार का स्थाई पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, खाता का प्रकार, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय-समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता, जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBBJ बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग संलग्न करें।**

-वरिष्ठ संपादक

क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के साथ - साथ शिक्षण व्यवस्था के भी सुचारु संचालन हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम) परीक्षा आयोजन संबंधी क्रियाकलापों/गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वन हेतु बोर्ड कार्यालय के सीधे सम्पर्क में होते हैं, अत: बोर्ड परीक्षा के दौरान वीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से संबंधित कार्य के सुसंगत एवं आवश्यकतानुरूप निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं केन्द्राधीक्षकों से निम्नांकित विवरणानुसार कार्य सम्पादन अपेक्षित है :-

i. बोर्ड परीक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व सम्पूर्ण जिले के बोर्ड परीक्षा केन्द्रो से संबंधित सम्पूर्ण विवरण/सामग्री बोर्ड कार्यालय से समुचित समन्वय रखते हुए प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ii. कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को उक्त कार्य हेतु दायित्वबद्ध करते हुए समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुरूप प्रति परीक्षा दिवस हेतु वांछित वीक्षकों की संख्या का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित करें।

iii. तत्पश्चात् शाला दर्पण की सहायता से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संबंधित/समीपवर्ती राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के अनुरूप उपलब्ध वीक्षक संख्या का विवरण तैयार करावें। समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक/पेपर कॉर्डिनेटर/माइक्रो ऑब्जर्वर के नियुक्ति आदेश समय पर जारी करते हुए केन्द्राधीक्षकों एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों हेतु उचित संख्या में वीक्षकों की व्यवस्था एवं परीक्षा अवधि में समस्त विद्यालयों में समुचित समय प्रबंधन करते हुए शिक्षण व्यवस्था जारी रखे जाने बाबत् निर्देशों की क्रियान्विति हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. निजी शिक्षण संस्थाओं/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों, जहाँ सीमित स्टाफ के कारण अन्य स्थानों से वीक्षक लगाए जाने हैं, ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा यथासमय सम्पन्न कर लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति उसी ब्लॉक के समीपवर्ती राजकीय विद्यालयों, जहाँ परीक्षा केन्द्र नहीं है, से की जाए। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों की ड्यूटी सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों हेतु नियोजित करते हुए जिस दिन कम वीक्षकों की आवश्यकता हो, उक्त दिवस हेतु वीक्षक ड्यूटी से मुक्त समस्त शिक्षकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

v. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वीक्षण कार्य हेतु ड्यूटी अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा सकती है। इस प्रकार की आपात स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित नॉडल विद्यालय के संस्था प्रधान से उचित समन्वय रखते हुए समीपवर्ती प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगाई जा सकती है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जो कि पूर्व में उल्लेखित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के सदस्य होते हैं, द्वारा उक्त बाबत् समुचित निर्देश क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे।

8. **मण्डल उपनिदेशक द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन :-** मण्डल उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना एवं अक्षरश: क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन हेतु उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अधीनस्थ जिलों में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों तथा विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों द्वारा वीक्षण ड्यूटी में बरती जा रही पारदर्शिता एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्देशों/नियमों की अवहेलना/उदासीनता पाई जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करेंगे।

समस्त संबंधित उपरवर्णित निर्देशों की पालना एवं अक्षरश: क्रियान्विति की जानी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

● (बी.एल. स्वर्णकार)आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

6. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना: 2016-17

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2015-16/183 दिनांक-22.3.16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● विषय : राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना : 2016-17 ● प्रसंग : शासन का पत्रांक : प.4(6)शिक्षा-1/2014, जयपुर दिनांक 15.03.2016

1. प्रस्तावना : विगत वर्षो में प्रदेश की गाँव-ढाणियों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् भी राजकीय विद्यालयों में नामांकन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने तथा विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि व ड्रॉप आउट की दिशा में वांछित सुधार दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में विगत वर्ष माह मई एवं जून में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु दो चरणों में वृहद् अभियान चलाया गया था। उक्त

अभियान के सकारात्मक परिणामों के रूप में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सकल नामांकन में वर्ष 2014-15 की तुलना में करीब 17% की वृद्धि हुई है, परन्तु उक्त उपलब्धि के बाद भी शासन द्वारा विभाग को प्रदत्त लक्ष्य से नामांकन वृद्धि 4% कम रही है। उक्त क्रम में विगत वर्ष की लक्ष्य पूर्ति में कमी का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु इस वर्ष भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के आयोजन बाबत समसंख्यक पत्र दिनांक : 18.03.2016 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएँ यथा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, छात्र दुर्घटना बीमा, मिड-डे-मील, कक्षा-8, 10 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण, कक्षा 9 में प्रवेशित सभी बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण की सुविधा एवं अनेक प्रकार की छात्रवृतियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं की सुविधाएँ दिए जाने के पश्चात् भी अपेक्षित नामांकन में वृद्धि नहीं होने से नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना के माध्यम से नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के क्रम में प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी ।

2. **नामांकन लक्ष्य :** राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालयों एवं शेष रहीं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18 में नामांकन के कक्षावार व जिले वार लक्ष्य गत वर्ष ही निर्धारित कर दिए गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट: www.rajshiksha.gov.in मुख पृष्ठ पर 'IMPORTANT LINKS' में क्रमांक-5 (आदर्श विद्यालय योजना) पर जिला/ब्लॉक/विद्यालयवार उपलब्ध है । उक्त क्रम में प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु कक्षा-1 से 5 में 150, कक्षा-6 से 8 में 105, कक्षा-9 से 10 में 100 एवं कक्षा-11 से 12 में 100 विद्यार्थियों के न्यूनतम नामांकन की सुनिश्चितता संबंधित संस्था प्रधान एवं स्टाफ द्वारा समन्वित प्रयासों से की जायेगी।

3. **नामांकन वृद्धि हेतु प्रचार-प्रसार :** राजकीय विद्यालयों में नामांकन से वंचित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकतम लक्ष्य उपलब्धि के क्रम में प्रवेशोत्सव को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर नामांकन लक्ष्य अर्जन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्वोल्लेखित पत्र दिनांक 18.03.2016 में कार्यक्रम रूपरेखा द्वारा विस्तृत उल्लेख किया गया है। उक्त बाबत निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भी अधिकाधिक नामांकन राजकीय विद्यालयों में करवाये जाने हेतु कक्षा-8 एवं 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् किया जा जाकर दिनांक 01 अप्रेल 2016 से विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किये जाने के निर्देश पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके हैं।

4. **नामांकन लक्ष्य पूर्ति हेतु मॉनिटरिंग (प्रबोधन):**

- **संस्था प्रधान स्तर पर :** नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था प्रधान व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रवेशोत्सव के दोनों चरणों में अपनी शाला के अधिकतम नामांकन के लक्ष्यों को सुनिश्चित करेंगे तथा इसमें अपने शाला स्टाफ, शिक्षक-अभिभावक परिषद्, शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति अपने क्षेत्र के पार्षद/वार्ड पंच/सरपंच/जन प्रतिनिधियों/भामाशाहों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क कर नामांकन लक्ष्य को पूर्ण करेंगे तथा व्यक्तिगत रूप से इसका सतत् प्रबोधन करेंगे। उक्त बाबत प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से पूर्व मौजूदा वर्ष हेतु विद्यालय को आंवटित कक्षावार नामांकन के लक्ष्य अर्जन की वस्तुस्थिति की समीक्षा समस्त स्टाफ के साथ की जाकर इस वर्ष के शेष रहे नामांकन लक्ष्यों का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त कक्षावार नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर समस्त स्टाफ को नामांकन के व्यक्तिगत लक्ष्य आंवटित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। संस्थाप्रधान से अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ प्रतिदिन समीक्षा करें ताकि आवंटित लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित हो सके । नामांकन लक्ष्य पूर्ति/प्रवेशोत्सव के पश्चात् संस्था प्रधान स्टाफ के साथ मासिक समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश किये गये नामांकित बच्चे विद्यालय से ड्रॉप-आउट तो नहीं हो रहे हैं । एक बार प्रवेश के पश्चात् नियमित रूप से तीन माह तक अधिक देखरेख व प्रभावी पर्यवेक्षण से ड्रॉप - आउट की दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। ड्रॉप-आउट से संबंधित बच्चों के अभिभावकों से निरन्तर समन्वय व संपर्क से भी ठहराव में सुधार हो सकेगा।
- **जिला शिक्षा अधिकारी स्तर :** जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु नॉडल अधिकारी नियुक्ति कर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट के साथ विद्यालयवार प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे । शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करने के लिये उत्तरदायी होंगे । जिन विद्यालयों में नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर उस संबंधित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों से संपर्क कर उस क्षेत्र के नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- **उप निदेशक स्तर :** उप निदेशक (मण्डल अधिकारी) अपने अधीनस्थ जिलों का प्रभावी प्रबोधन करने हेतु अपने कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (शैक्षिक) को नॉडल अधिकारी नियुक्त कर साप्ताहिक नामांकन संबंधी लक्ष्य की जानकारी अपने अधीनस्थ जिलों से प्राप्त कर समीक्षा करेंगे । जिन जिलों में नामांकन उपलब्धि लक्ष्य से कम अर्जित हो रही है, उन जिलों का भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी से नियमित संपर्क में रह कर नामांकन अर्जन की दिशा में आ रहीं कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु निरन्तर सम्बलन प्रदान करेंगे।
- **निदेशालय स्तर :** निदेशालय स्तर पर उप निदेशक (सांख्यिकी) पाक्षिक समय अन्तराल से गत पखवाड़े के नामांकन लक्ष्य की समीक्षा हेतु जिलेवार रिपोर्ट प्राप्त कर उप निदेशक (माध्यमिक) से

समन्वय कर प्रभावी समीक्षा करेंगे । मौजूदा वर्ष के नामांकन लक्ष्यों की समीक्षा से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कक्षा 1 से 5 में नामांकन वृद्धि अपेक्षानुरूप नहीं रही हैं। इस वर्ष समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में SIQE के क्रियान्वयन से प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उक्तानुरूप उक्त कक्षाओं में नामांकन लक्ष्य अर्जन हेतु उप निदेशक (समाज शिक्षा)द्वारा उप निदेशक (सांख्यिकी) से आवश्यक समन्वय कर प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन को विशेष रूप से मॉनिटर किया जायेगा ।

- **पुरस्कार एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :** संस्था प्रधान/अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के नामांकन लक्ष्य को पूरा करने /अधिक लक्ष्य प्राप्त करने पर संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर संस्था प्रधानों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो संस्था प्रधान/अध्यापक नामांकन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य /निप्र/डी-1/2101/II/99-2000/53005, दिनांक : 07.05.2015 के प्रावधानान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

7. परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-I/21901/पप/2015-16/300, दिनांक: 18.04.16 ● परिपत्र ● विषय : परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारण। ● इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी-I /2101/II/99-2000/53005 दिनांक 14.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये नवीन समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये थे। उक्त **निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण** में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12, 10 , 8 एव 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों [व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापक ग्रेड - III (लेवल- II एवं I)], के लिये शैक्षिक सत्र : **2016-17 से प्रभावी** होने वाले निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. संस्था प्रधान:-

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम : विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एव 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम : विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा उससे न्यून एवं 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोट : यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकन : विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 150, कक्षा 6 से 8 के लिए 105, कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में 100 (उच्च माध्यमिक विद्यालयों में) विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है । विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिए विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि विभागीय वेब साईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी । सत्र 2015-16 हेतु निर्धारित नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले विद्यालयों को गत सत्र के शेष नामांकन लक्ष्य के साथ ही मौजूदा सत्र : 2016-17 का नामांकन लक्ष्य भी अर्जित करना होगा ।

2. शिक्षक:-

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम : शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम : शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत अथवा न्यून एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक (लेवल - I अथवा लेवल - II, जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय के परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड

डी प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।

नोट: यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

(स) नामांकन : विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किये गये है। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रेषित किए जाएगे, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

3. क्रियान्वयन की रूपरेखा : उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही हेतु नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जावे :-

3.1 संस्था प्रधान /शिक्षक का सत्र के दौरान (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गो का कुल परिणाम (सभी कक्षा-वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिकी-रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा), तो परिणाम के लिये दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

3.6 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

4. सक्षम अधिकारी:-

4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मण्डल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड- III (लेवल- II एवं लेवल- I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा की जाएगी।

5. समय सारिणी:-

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम एवं सामान्यत: नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है, अत: उपर्युक्त मानदण्डानुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारिणी :-

5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना- 15 नवम्बर से पूर्व ।

5.2.2 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना- 15 दिसम्बर से पूर्व ।

5.2.3 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को प्रेषित करना -15 जनवरी से पूर्व ।

5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना- 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में ।

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये

प्रेषित करेंगे।

5.4 न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

5.4.1 न्यून परीक्षा परिणाम/ नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण -30 जुलाई तक।

5.4.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना- 10 अगस्त तक।

5.4.3 कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 30 अगस्त तक।

5.4.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना-10 सितम्बर तक।

5.5.5 आरोप पत्र का जबाब प्राप्त करना-25 सितम्बर तक।

5.5.6 व्यक्तिगत सुनवाई-10 अक्टूबर तक।

5.5.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना- 15 अक्टूबर तक।

6. उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

● (बी.एल स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

8. माध्यमिक शिक्षा सैट अप के छात्रनिधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी आदेश।

● कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/ मा-स/22434/2015-16/14 दिनांक : 20.04.2016 ● संशोधन आदेश ● इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/ मा-स/21434/2015-16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में छात्र निधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश में वर्णित अन्य निर्देशों को विलोपित करते हुए निम्नांकित सीमा तक ही निर्देशों को प्रभावी रखा जाता है:-

'माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में छात्र निधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किया जाता है।'

समस्त सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

● (बी.एल स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

9. विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु योजना।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./अ/विपूमैछा/2016-17/ दिनांक : 12-04-2016 ● विज्ञप्ति :

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 के लिये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु संबंधित योजना में राज्य के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से निम्नांकित योजना के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है-

क्र. स.	विवरण	शिक्षा विभागीय योजना	जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना	देवनारायण गुरुकुल योजना
1.	पात्रता	राजस्थान के अनु. जाति एवं जनजाति के मूल निवासी	राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी	राजस्थान के विशेष पिछडा वर्ग से संबंधित जातियों के मूल निवासी
2.	कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्णता प्रतिशत	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक	न्यूनतम 45% अंक या C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक

1. योजना से संबंधित गाईड लाईन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय के कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट **www.rajshiksha.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. शिक्षा विभागीय योजना में सत्र 2016-17 में अनुमानित अनुसूचित जाति में 89 एवं अनुसूचित जनजाति में 72 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।
3. 300 सीटें जनजाति योजना क्षेत्र के चिह्नित 5 जिलों के क्षेत्र के लिये एवं 200 सीटें शेष 28 जिलों के गैर जनजाति योजना क्षेत्र के लिए प्रवेश दिया जायेगा।
4. देवनारायण गुरुकुल योजना में 500 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा तथा गत वर्ष की रिक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है।

प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजन- 4 जून 2016 (शनिवार)को समय **प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे** तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा निर्धारित राजकीय विद्यालय में आयोजित होगी। परीक्षा में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार की राशि छात्र/छात्रा को नहीं दी जायेगी। प्रवेश पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के कार्यालय से 25 मई से 3 जून तक (शनिवार सहित) कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किये जा सकेंगे।

प्रवेश पूर्व परीक्षा के विषय- 1. हिन्दी 2. गणित 3. सामाजिक विज्ञान 4. विज्ञान 5. अंग्रेजी विषय में प्रति विषय 20 भारांक (पूर्णांक 100) एवं नेगेटिव मार्किंग नहीं।

परीक्षा माध्यम एवं स्तर- अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर आब्जेक्टिव टाईप के होंगे।

प्रवेश- विशेष पूर्व मैट्रिक परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर

राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा। वरीयता योजना अनुसार पृथक-पृथक तैयार की जायेगी। छात्र/छात्राओं के लिए एक ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

आवेदन पत्र- निदेशालय द्वारा मुद्रित व कार्यालय की मोहर से प्रमाणित आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ-

(क) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
(ख) कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकतालिका की फोटोप्रति।
(ग) संबंधित योजना अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
(घ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि- 05 मई 2016

परीक्षा परिणाम की सूचना- विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

10. अजा./अजजा छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./अ/विपूमैछा/ 2016-17/ दिनांक : 12-04-2016 ● विज्ञप्ति ● राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग-अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2016-17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** निम्नानुसार पूर्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाकर प्रवेश दिए जाएँगे :-

1. योजनाओं के नाम:- (अ) शिक्षा विभागीय योजना- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति **(ब) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)-** अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना **(स) देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना-** विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (देवासी)] हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

2. छात्र/छात्रा को सुविधाएँ

1. पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा को प्रथम बार **कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा।** तत्पश्चात् कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु स्वतः ही उनका नवीनीकरण होता रहेगा। बशर्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 'C' Grade लाना आवश्यक होगा।
2. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा कक्षा 11 एवं 12 हेतु विद्यालय में संचालित ऐच्छिक विषयों में से ही चयन करना होगा।
3. छात्र/छात्रा को नियमानुसार शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री की निःशुल्क सुविधाएँ देय होगी। इसमें फीस का पुनर्भरण चयनित छात्र-छात्रा को जिस विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा उसके लिए विभाग द्वारा अधिकतम 50,000/- रुपये वार्षिक एवं विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क, जो भी कम हो, तक का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

3. छात्र/छात्रा की पात्रता

निम्नलिखित समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु पात्र हैं:-

1. छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं में संबंधित वर्ग विशेष का होना आवश्यक है।
3. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 5 में न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
4. छात्र/छात्रा के माता-पिता के अधिकतम दो पुत्र-पुत्रियाँ ही यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार है अर्थात् इस योजना के अंतर्गत माता-पिता का एक पुत्र/पुत्री पूर्व में यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है अथवा कर चुका है तो अब मात्र एक ही पुत्र/पुत्री इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। किसी भी स्थिति में तीसरा पुत्र/पुत्री हकदार नहीं होगा।

4. छात्रवृत्तियों का निर्धारण

शिक्षा विभागीय योजना

1. शिक्षा विभागीय योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत सत्र (2015-16) में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल 3500 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। इस वर्ष की होने वाली रिक्तियों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। (कक्षा-12 की रिक्तियाँ एवं कक्षा 6 में किये गये आवंटन में से प्रवेश नहीं लेने वाले छात्र-छात्राओं की रिक्तियाँ) अनुसूचित जाति कुल-89, (62 छात्र व 27 छात्रा), अनुसूचित जनजाति कुल-72 (50 छात्र व 22 छात्रा) दोनों वर्गों की कुल संख्या-161 अनुमानित

5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)

1. अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) में छात्रवृत्तियों का निर्धारण इस प्रकार से है :-

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, समस्त जिले और उदयपुर जिले की सात सम्पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 81 गाँव व तहसील गोगुन्दा के 52 गाँव, प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट तहसीलें एवं सिरोही जिले की आबू रोड़ पर पंचायत समिति सम्मिलित है। जनजाति उपयोजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।	170	130	300
गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)	120	80	200
कुल योग	**290**	**210**	**500**

6. देवनारायण गुरुकुल योजना

इस सत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग के 500 छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना है। गत वर्ष मे रही रिक्तियों को भी शामिल किया जायेगा।

नोटः उक्त तीनों योजनाओं में छात्राओं के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो निर्धारित पदों में से रिक्त रहे प्रवेशित स्थानों पर छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

7. परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।

2) उक्त तीनों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे।

9. आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण

1. छात्र/छात्रा को उपर्युक्त तीनों योजनाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर योजना का नाम मोटे अक्षरों में लिखना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3. भरे हुए आवेदन पत्र अपने क्षेत्र से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय में दिनांक **05.05.2016** को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय दिनांक **10.05.2016** को निर्धारित प्रारूप में सीडी व हार्ड कॉपी में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
5. सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र अपने क्षेत्र से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय से दिनांक **25.05.2016** तक प्राप्त करेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की **प्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करना** हैः–
   (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
   (ब) छात्र/छात्राओं द्वारा उक्त तीनों योजनाओं में से जिस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है उस योजना के जाति/वर्ग विशेष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
   (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 5 की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
   (द) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता–पिता का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति संलग्न करें)।
7. आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने से छात्र–छात्रा की पात्रता निरस्त की जा सकती है।
8. ऑप्शन फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग/सफेद स्याही/ऑवर राइटिंग नहीं की जावें। ऐसा पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ऑप्शन फार्म को एक ही तरह के पेन/स्याही तथा एक ही हैंड राइटिंग से भरा जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10. प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन :–

1. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय में ही करवाया जाएगा।
2. छात्र–छात्रा जिस जिले से आवेदन प्रस्तुत करेगा उसे उसी जिले के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
4. उक्त तीनों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।
5. प्रवेश पूर्व परीक्षा में ये विषय हैं– 1. हिन्दी, 2. गणित, 3. सामाजिक विज्ञान, 4. विज्ञान, 5. अंग्रेजी। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय का भारांक 20 एवं पूर्णांक 100 एवं समयावधि 120 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जायेगा। इन विषयों के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा।

6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) एवं छात्र/छात्राओं के विद्यालयों को उपलब्ध करवा दिए जाएँगे। छात्र–छात्राएँ परीक्षा से पूर्व स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे तथा इसे पूर्व प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले जाना होगा। इसके अभाव में छात्र–छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. **परीक्षा का आयोजन 04 जून 2016 को किया जायेगा।**
8. परीक्षा का परिणाम **माह जून 2016 के अन्तिम सप्ताह तक** घोषित किया जायेगा एवं परिणाम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड भी किया जायेगा।
9. परीक्षा में चयनित विद्यार्थी द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को विभाग द्वारा अनुमोदित विद्यालय में प्रवेश पत्र के साथ विद्यालय आवंटन हेतु पांच वरीयता प्रस्तुत करने की दिनांक 05.07.2016
10. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त वरीयता विभाग को प्रस्तुत करने की दिनांक 11.07.2016

11. छात्र–छात्राओं का चयन :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं का राज्य की वरीयता सूची के आधार पर पृथक–पृथक चयन किया जायेगा।
2. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का पृथक–पृथक राज्य स्तर की वरीयता सूची के आधार पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र और गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र की निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या अनुसार प्राथमिकता से चयन किया जाएगा।
3. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का वरीयता अनुसार सर्वप्रथम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजना हेतु और तत्पश्चात शेष रहे छात्र/छात्राओं का शिक्षा विभाग की योजना हेतु चयन किया जा सकेगा।
4. छात्र/छात्राओं को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश ले लेने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी पायी जाने पर उनका चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा। गलत तथ्य देकर प्रवेश हेतु प्रयास करने पर छात्र–छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

12. विद्यालय का आवंटन

1. छात्र–छात्रा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश हेतु प्रस्तुत पाँच वरीयताओं में से किसी भी अनुमोदित विद्यालय में प्रवेश निदेशालय द्वारा दिया जायेगा।
2. छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् इसकी सूचना सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को तत्काल देनी होगी एवं जिला शिक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. छात्र/छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/ प्रवेश ले लेने पर विद्यालय में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थी की शैक्षणिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश के अधिकतम एक माह की अवधि में विद्यालय परिवर्तन किया जा सकेगा।

13. चयन के परिणाम की सूचना

छात्र/छात्राओं के चयन के परिणाम की सूचना विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2016–17

नामांक.....

(रिक्त छोड़ें–कार्यालय उपयोग हेतु)

राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो

योजना का नाम:–

1. शिक्षा विभागीय योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति–छात्र/छात्राओं हेतु)।
2. जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाः–

अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा समस्त जिले और उदयपुर जिले की सात पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 81 गाँव एवं तहसील गोगुन्दा के 52 गाँव, प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूँट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबू रोड़ पंचायत समिति शामिल है।

जनजाति उपयोजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www. tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

ब) गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)।

3. देवनारायण गुरुकुल योजनाः– विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजरी, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैवासी)] हेतु।

योजना का नाम : .....

(छात्र/छात्रा उपर्युक्त योजनाओं में से उपयुक्त योजना का नाम स्वयं भरें)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जन्म तिथि (अंकों में) .....
   (शब्दों में).....
3. पिता का नाम .....
4. माता का नाम .....
5. निवासी (1) राजस्थान (2) जिले का नाम .....
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एस.बी.सी
   SC..... ST.....SBC.....

वर्ग में जाति का नाम अंकित करें।

7. माता-पिता की वार्षिक आय (वर्ष 2015-16).....
8. माता-पिता आयकरदाता है/नहीं.....
9. कक्षा 5 उत्तीर्ण के प्राप्तांक एवं प्रतिशतः

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1. हिन्दी		
2. गणित		
3. सामाजिक विज्ञान		
4. विज्ञान		
5. अंग्रेजी		
कुल योग		

प्राप्तांक प्रतिशतः-

10. कक्षा 5 में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम.....
11. कक्षा 6 में अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी..... (कोई एक अंकित करें)
12. योजनाओं में अध्ययन कर चुके एवं अध्ययनरत भाई-बहनों के नाम

क्र. सं.	भाई-बहिन का नाम	अंतिम कक्षा	योजना के विद्यालय का नाम	सत्र
1.				
2.				

13. गृह जिले का नाम .....
14. स्थायी पता

छात्र/छात्रा का नाम.....
पिता का नाम.....
गाँव.....पोस्ट..... वाया.....
जिला..... फोन नं मय STD कोड.....
मोबाइल नं. .....

माता/पिता और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :-

1. योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का मैंने भलीभाँति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त व्यय राशि विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।
2. मेरे पूर्व में एक से अधिक पुत्र-पुत्री/भाई-बहिन ने इस योजना के अन्तर्गत न तो अध्ययन किया है और न ही वर्तमान में एक से अधिक अध्ययनरत है।
3. विद्यालय शुल्क (शिक्षण शुल्क, आवासीय शुल्क, पोशाक, पाठ्य-पुस्तकें शुल्क) 50,000 रुपये से अधिक होने पर पुनर्भरण अभिभावक द्वारा दिया जायेगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात सही पाये जाने पर छात्र/छात्रा को कक्षा 6 में वर्ष 2016-17 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है।

जाँचकर्त्ता के हस्ताक्षर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

परीक्षा केन्द्र का आवंटन/जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... के आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात सही पाये जाने पर छात्र-छात्रा को कक्षा 6 की पूर्व प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र..... आवंटित किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)
मय मोहर

जाँचकर्त्ता के हस्ताक्षर

परीक्षा केन्द्र में केन्द्राधीक्षक द्वारा छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण

छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर (परीक्षा केन्द्र में)

केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर
मय मोहर

प्रपत्र-ए

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला.....

क्र. सं.	जिला	नामांक रिक्त छोड़े	नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पूरा पता	वर्ग (SC/ST/ SBC)	छात्र/छात्रा (M/F)	जन्म दिनांक	मोबाइल नम्बर	आवेदन पत्र क्रमांक

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

छात्र-छात्रा की अलग-अलग सूची बनाएँ

छात्र-छात्रा का वर्ग के SC/ST/SBC ही लिखा जाये व छात्र/छात्रा के M/F ही लिखा जाए

प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्रमांक लिखें और सूची में इन्द्राज करें

इस सूचना को ईमेल panjiyakscholar@gmail.com पर भेजें

11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012

● कार्यालय निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर ● क्रमांक : प.35(5)बाअवि./चा.रा.क्लब/शि.वि.शिविरा/2016 194 दिनांक 4.4.2016

पोक्सो कानून क्या है ?

- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेस एक्ट का संक्षिप्त रूप पोक्सो कानून है।
- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे (चाहे लड़का हो या लड़की) जिनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक शोषण हुआ हो या करने का प्रयास किया गया हो, तो वह इस कानून के दायरे में आता है।
- पोक्सो कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है।
- इस कानून के अंतर्गत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान किया गया है।
- यह कानून 14 नवम्बर, 2014 से पूरे देश में लागू है।

पोक्सो कानून की खास बातें

- पोक्सो कानून की धारा–3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (प्रवेशन लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है।
- अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट या अन्य वस्तु डालता है या बच्चे से ऐसा करने को कहता है, तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया है।
- इसके लिए धारा–4 में सजा तय की गयी है। दोषी पाए जाने पर मुजरिम को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना तय किया गया है।
- कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिस पर बच्चा को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है अथवा दो या उससे अधिक लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, तो ऐसे मामले को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है।
- दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा–6 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- धारा–7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट (लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच करता है तो धारा–8 के तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक कैद हो सकती है।
- कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिस पर बच्चों को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है अथवा दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं अथवा हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा–10 के तहत 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- बच्चों के साथ सैक्सुअल हैरेसमेंट (लैंगिक उत्पीड़न) को धारा–11 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य) दिखाता है तो धारा–12 के तहत 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- धारा–13 के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है तो यह भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले में धारा–14 के तहत 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- जो कोई व्यक्ति/संस्था/कंपनी लैंगिक अपराध के मामले को रिपोर्ट करने में विफल रहता है उसे क्रमशः धारा–21(1) एवं (2) के तहत छः माह एवं एक वर्ष के कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
- पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जितनी जल्दी संभव हो प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया जायेगा और रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकी की मुफ्त प्रति दी जाएगी। नियम 4(2)(क)
- जाँच अधिकारी बिना विलम्ब किये 24 घण्टे के भीतर पोक्सो के मामले को बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे। धारा–19(6)
- धारा 28 के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है।
- बच्चे की बात को उसके घर पर ही अथवा बच्चे की पसंद के स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जायेगा। पुलिस अधिकारी पद में सब इंस्पेक्टर (SI) से नीचे का नहीं होगा। धारा–24(1)
- पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान पब्लिक और मीडिया जाहिर होने से सुरक्षित करेगा तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जाएगी। धारा–24(5)
- मामला चलने के दौरान पूरी प्रक्रिया, जैसे– सबूत जुटाना, जाँच करना, सुनवाई करना मामले की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करना आदि के समय बच्चे के हित को देखते हुए काम किया जायेगा।
- पुलिस अधिकारी महिला होगी अथवा लड़के के मामले में पुरुष पदाधिकारी भी हो सकता है।
- पुलिस के द्वारा सबूत को 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जायेगा। धारा–35(1)
- विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ट्रायल (विचारण) को पूरा करेगा। धारा–35(2)
- किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रात को थाना में नहीं रखा जायेगा। धारा–24 (4)
- बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा। धारा–24(2)
- जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आये। धारा–24(3)

- बच्चे का बयान उसी की भाषा में दर्ज किया जायेगा। धारा-19(3)
- अगर बच्चा अलग भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषीय की सहायता ली जाएगी। धारा-19(4)
- धारा-26 (3) के तहत अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि से विकलांग हो, तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी जो बच्चे की बात समझ सके। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- बच्चे का मेडिकल जाँच माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में किया जायेगा। अगर वे उपलब्ध नहीं हो तो वैसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बच्चे का विश्वास हो। धारा-27(3)
- अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर द्वारा किया जायेगा। धारा-27(2)
- जहाँ संभव है वहाँ सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य-दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें। धारा-26(4)
- सीआरपीसी. 164 के तहत कथन का अभिलेखन माता-पिता/सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में किया जायेगा। धारा-26 (1)
- सहायक व्यक्ति नियुक्त करने के लिए जाँच अधिकारी बाल कल्याण समिति से अनुरोध करेगा और इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर विशेष न्यायालय को सूचित करेगा। 4(7)(9)
- जाँच अधिकारी बालक/माता-पिता/संरक्षक/सहायक व्यक्ति को सहायक सेवाओं की प्राप्यता एवं सम्बन्धित व्यक्ति से संपर्क की सूचना देंगे। नियम-4(2)ङ
- यदि अपराध किसी बालक द्वारा किया गया है तो मामले को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुना जायेगा न कि विशेष न्यायालय द्वारा। धारा-34(1)
- द्विभाषियों/अनुवादकों/विशेष शिक्षकों की सहायता राज्य सरकार की बाल संरक्षण इकाई से ली जाएगी। धारा-26(2) एवं नियम-3(1)
- इस कानून के अनुपालन की मोनिटरिंग धारा-44 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जायेगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई/जाँच अधिकारी द्वारा बालक और उसके माता-पिता या सहायक व्यक्ति को निम्न सूचना दी जाएगी। नियम-4(12)
  - (i) सरकारी और निजी आपात और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता
  - (ii) पीड़ित को मुआवजे से सम्बन्धित जानकारी
  - (iii) न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी जिसपर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक़ रखता है।

● हंसा सिंहदेव, आई.ए.एस., निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

- **'शिविरा पत्रिका' (मासिक) में शिक्षक दिवस के उलपक्ष में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृंद व सुधी पाठकों से रचनाएँ आमंत्रित की जाती है। अतः अपने शैक्षिक चिंतन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ दिनांक 30 जून, 2016 तक 'वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा।**
- **सभी रचनाकार अलग से एक पन्ने पर (प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग) निम्नांकित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत परिचय अवश्य संलग्न करें। यथा- नाम, पत्राचार का स्थाई पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, खाता का प्रकार, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय-समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता, जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBBJ बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग संलग्न करें।**

-वरिष्ठ संपादक

रेडक्रॉस डे 8 मई

भ्रातृत्व भावना की प्रतीक: रेडक्रॉस सोसायटी

□ जसपाल कौर

स्विट्जरलैण्ड निवासी हेनरी डयूनॉट जिन्हें रेडक्रॉस का जन्म दाता माना जाता है। उनका जन्म जिनेवा में सन् 1828 ईस्वी में हुआ। अपनी पुस्तक "अन सोवेनियर द सोल्फेरिनो" के माध्यम से उन्होंने यूरोप के सभी राष्ट्राध्यक्षों को युद्ध के समय एकजुट होकर मुकाबला करने, युद्ध में घायल लोगों को विभिन्न प्रकार से सहायता करने की अपील की। इसी का परिणाम था कि सन् 1863 में अमेरिका में सार्वजनिक कल्याण समिति की स्थापना की गई और 8 अगस्त 1864 को स्विस फेडरल सरकार ने एक कॉंफ्रेंस में यह निर्णय लिया कि भविष्य में कोई भी देश अस्पतालों, एम्बुलेंस की गाड़ियों पर आक्रमण नहीं करेगा, न ही कोई देश किसी घायल को बंदी बनायेगा बल्कि घायलों की देखभाल करने वालों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सभी देशों पर होगा। जितना संभव हो सकेगा युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया जायेगा। इन सबकी देखभाल करने वाली संस्था का निशान लाल होगा, सभी सदस्य देश समाज सेवा इकाईयों की स्थापना करेंगे जिनके माध्यम से रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना राज्य और जिला स्तर पर भी की जायेगी।

इस संस्था का ध्वज सफेद पृष्ठ भूमि पर लाल क्रॉस का चिह्न है जिसे स्विट्जरलैण्ड के राष्ट्रीय ध्वज से बिल्कुल विपरीत बनाया गया जो कि लाल पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस का निशान है। रेडक्रॉस का आदर्श वाक्य है-"युद्ध के बीच दया, पराओं के बीच अपने, युद्ध में परमात्मा, द्वारा भेजे गये शांति दूत" आदि। शांति, स्वास्थ्य, सद्भाव व मैत्री के मूल सिद्धांतों पर चलने वाली यह रेडक्रॉस सोसायटी सूचना केन्द्रों के माध्यम से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महामारी, भूकम्प या बम ब्लास्ट के समय घायलों के परिवार वालों से सम्पर्क स्थापित करती है। उन्हें ब्रेड, कम्बल, बिस्किट या अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाती है।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी समाज सेवा करने वाली वह संस्था है जो भ्रातृत्व-भावना से कार्य करते हुए एकता व अखण्डता का पाठ पढ़ाती है। यह उस आदर्श भावना से परिपूर्ण संस्था है जिसमें काम करने वाला यह भूल जाता है कि उसके लिये, जिसकी वह सेवा-शुश्रूषा कर रहा है; अपने देश का है या शत्रु देश का है, अपनी जाति या धर्म का है या अन्य का। केवल मानवता की भलाई ही उसे दिखाई देती है जिसे लक्ष्य मानकर वह अपनी ओर से यथोचित सहायता उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। भारत में रेडक्रॉस सोसायटी की स्थापना केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा पारित कानून के द्वारा सन् 1920 में की गई जबकि सन् 1927 में इस सोसायटी ने पंजाब में अनियंत्रित बाढ़ को रोकने और बाढ़ पीड़ितों के लिए आवास और राशन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद से भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में इसकी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। जयपुर में इसका मुख्य कार्यालय सांगानेरी गेट पर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष 8 मई को 'रेडक्रॉस' के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों की विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की रिपोर्ट के आधार पर संस्था संचालकों को समर्पित किया जाता है, साथ ही विभिन्न पोस्टरों, स्लोगन प्रतियोगिताओं, भाषणों आदि के माध्यम से जन-जन में सेवा, त्याग और मानवता के बीजों को रोपित किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर एकजुट होकर प्रत्येक आपदा का डटकर मुकाबला किया जा सके।

रोगी तथा अशक्त सैनिकों की देखभाल, इसके साथ ही घायल जवानों को ब्लड बैंक द्वारा रक्त उपलब्ध करवाकर नया जीवनदान देना, बाढ़, अकाल या युद्ध के समय कपड़े, खाद्य पदार्थ और दवाईयों का वितरण, एम.सी.एच. केन्द्रों के माध्यम से मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाऐं, परिवार नियोजन, दूध एवं विभिन्न विटामिन्स की खुराकों का अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों एवं अनाथालयों में वितरण की व्यवस्था इसी सोसायटी के माध्यम से की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यू.एच. ओ. के माध्यम से इन कार्यों को संचालित एवं निर्देशित किया जाता है।

वर्तमान में जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी की स्थापना की गई है। जिसके सदस्य स्कूलों, कॉलेजों में जे.आर.सी. वाउचर और मैडेलियन कोर्सेज के माध्यम से बालक-बालिकाओं को समाज सेवा के लिये प्रेरित करते हैं। इसके लिये विभिन्न पोस्टर प्रतियोगिताओं, भाषण व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्र-छात्राओं में समाज सेवा की अलख जगाई जाती है तथा इन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिये प्रेरित किया जाता है। ये विद्यार्थी अपनी कॉलेज और स्कूलों के साथ ही अपने गाँव एवं कस्बों में भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं देते हैं। विभिन्न शिविरों के माध्यम से इस सोसायटी द्वारा ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन हेतु भी प्रेरित किया जाता है। इस संस्था की गतिविधियाँ इतनी अधिक है कि इनको शब्दों में बाँधकर वर्णन करना मुश्किल है। "साँच को आँच नहीं", वास्तव में वर्तमान में जन-जन के लिये उपयोगी यह संस्था अमूल्य समाज सेवी संस्था है जो मानवता के कल्याण के लिये सदैव तत्पर है।

अध्यापिका, रा.उ.प्रा.वि., सरवोली
कमवासगढ़-303109
मो. 9413418004

जन्म दिवस विशेष

मातृभूमि के सौंदर्य का चिंतक : वीर सावरकर

❒ रमेश कुमार शर्मा

महाराष्ट्र के नासिक जिले का भगूर ग्राम, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण; उर्वरा मृदा पर लहलहाती फसलों की दृश्यावली किसी भी व्यक्ति का बरबस मन मोह लेती थी। कृषक भगवान का लाख-लाख आभार जताते नहीं थकते थे कि उनकी चिरयौवना ऋतुमती भूमि पर यथासमय वर्षा हो जाया करती और बहुत ही कम परिश्रम से भरपूर धान्य उग आता था। विक्रम संवत् 1940 की तिथि वैशाख कृष्णा षष्ठी (28 मई 1883 ईसवी) को भगूर ग्राम में श्री दामोदर सावरकर की धर्मपत्नी श्रीमती राधाबाई ने सुदर्शन व सुन्दर बालक को जन्म दिया। परिवार और ग्राम में हर्षोल्लास छा गया। बालक का नाम विनायक रखा गया। ज्येष्ठ भ्राता गणेश के मन में प्रसन्नता का पारावार हिलोरें लेने लगा। उनकी दिव्य भ्रातृत्व भावना से अभिभूत हो और दोनों भाइयों को साथ-साथ देखकर ग्रामवासी कहा करते थे, "देखो कितनी सुन्दर बलराम, कृष्ण की जोड़ी है।" विनायक के जन्म के नौ वर्ष पश्चात माता राधाबाई एक और तेजस्वी बालक, जिसका नाम नारायण रखा गया, को जन्म देने के उपरान्त धराधाम से विदा ले गईं।

गणेश और विनायक, दोनों भाइयों के लिए माता का निधन वज्राघात सा कष्टदायक था; परन्तु पिता दामोदर सावरकर जी ने उन्हें समझाया, "भारतमाता हम सभी की माता है। व्यक्ति जन्मता है शिशु के रूप में। बड़ा होकर युवक, फिर प्रौढ़, तत्पश्चात् वृद्ध होकर देह त्यागता है। यह शोक का विषय नहीं है क्योंकि सदावत्सला भूमिमाता चिरयौवना हैं। हमारी मातृभूमि पूर्ण ऋतुमती, छह ऋतुओं की धरती है। ऋषियों, मुनियों के पावन करकमलों से रोपे गये वृक्षों से लदे हुए सतपुड़ा, सह्याद्रि, चंदोर पर्वत शिखर हम नासिकवासियों, भगूर ग्रामवासियों के रक्षक हैं। मोक्षदायिनी पुण्य सलिलाएँ गोदावरी, गिरणा, दारणा हमारी सदा रक्षा करती हैं। हमारी भारतमाता ऐसे ही हिमालय, विन्ध्य, अरावली जैसे ऊँचे पर्वतों

और गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र, कावेरी जैसी वेगवती नदियों की धरती है। यह सदापयस्विनी गौओं की धरती है। महान ज्ञानी वशिष्ठ के ब्रह्मदंड, वीरव्रती परशुराम के परशु, मर्यादा पुरुषोत्तम दृढ़प्रतिज्ञ रामचन्द्र के धनुषबाण, लीलापुरुष योगीराज कृष्णचंद्र के चक्र सुदर्शन, छत्रपति शिवाजी की तलवार भवानी ने समय-समय पर माता धरती को विधर्मियों से बचाते हुए इसके पावन सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाये रखा। आज सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भारतमाता के पावन सौंदर्य को नष्ट करने को परकीय ब्रिटिश शासन तुला हुआ है। सुना है, यह ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे देश की वन-गोचर धरोहर नगरीय विकास के नाम पर आवासीय क्षेत्र में बदलती जायेगी। इस प्रकार हमारी चिरयौवना मातृभूमि के वृद्धा होने का संकट मुँह बाये खड़ा है। यही तुम्हारी चिन्ता का विषय होना चाहिये। ज्ञान की आगार, वीर प्रसूता मातृभूमि के चिरयौवन को बनाये रखने के लिए आज अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने का संकल्प धारण करने की आवश्यकता है।"

दोनों भाई गणेश और विनायक पर पिताश्री के उपदेश का गहन प्रभाव पड़ा। जीवन के नौ वसन्त देखने वाले विनायक की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गईं और दस वर्ष की आयु पूर्ण करते समय उन्होंने मराठी में चालीस देशभक्तिपूर्ण कविताएँ रच लीं। दो वर्ष पश्चात् जब उनकी बारह वर्ष की आयु थी उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। विनायक की प्रारंभिक शिक्षा भगूर ग्राम में हुई और मेट्रिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से 1894 से 1901 तक नासिक में उनका निवास रहा। नासिक में निवास करते समय विनायक के जीवन में एक क्षण वह भी आया जब उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति की महाप्रतिज्ञा धारण की। विनायक के मन पर हुतात्मा चाफेकर बन्धुओं (दामोदर-बालकृष्ण) के बलिदान का अमिट प्रभाव पड़ा और वर्ष 1898 के मई मास में एक दिन उन्होंने अपनी कुलदेवी की प्रतिमा के सम्मुख शपथ ली-

"कायं सोडुनी अपुरे पडला झुन्कत, खन्तीनको! पुढे कायं चालवुं गिरवुनि तुमच्या पराक्रमाचे अन्ही धड़े।" विनायक के नासिक-निवास की अवधि में ही महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी फैली। उनके प्रिय नासिकवासी उनकी आँखों के सामने प्लेग-ग्रस्त होकर प्राण गँवा रहे थे। ऐसे कठिन काल में विनायक ने श्मशान को ही अपना घर बना लिया ताकि वहाँ सदैव रहते हुए प्रत्येक मृत स्वजन का अंतिम संस्कार अवश्य किया जा सके। 5 सितम्बर 1899 को उनके पूज्य पिताश्री दामोदर सावरकर जी का भी प्लेग से देहान्त हो गया। इस विकट परिस्थिति में भ्राता गणेश और भाभी यशोदा बाई ने उन्हें पिता और माता जैसा ही स्नेह दिया। नासिक-निवास की अवधि में ही 1 जनवरी 1900 को उन्होंने 'मित्र मेला' संगठन की स्थापना की; आगे चलकर इस संगठन का नाम 'अभिनव भारत' हुआ। विनायक के पूज्य भ्राताश्री और भाभीश्री ने मार्च 1901 में विनायक का विवाह यमुनाबाई (सुपुत्री श्री भाऊराव चिपलूणकर) से किया और

इसी वर्ष दिसंबर मास में उन्होंने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। जनवरी 1902 में विनायक ने पूना के फर्ग्युसन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ते हुए विनायक ने देशभक्तों के पोवाड़े (यशोगान) लिखने का मन बनाया और वर्ष 1904 से 1905 के बीच उनके द्वारा रचित 'सिंहगढ़ चा पोवाड़ा', 'श्री बाजी देशपांडे चा पोवाड़ा' और 'तानाजी मालसुरे चा पोवाड़ा-' प्रकाश में आये। सिंहगढ पर उनकी प्रसिद्ध काव्यपंक्तियाँ 'धन्य शिवाजी, तोरणगाजी धन्यचि तानाजी, प्रेमे आजी सिंहगढाचा पोवाड़ा गा जी' जनता में बहुत लोकप्रिय हुई। वर्ष 1904 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले विनायक दामोदर सावरकर का नाम देशवासियों द्वारा श्रद्धा से लिया जाने लगा।

दिसंबर 1905 में फर्ग्युसन कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विनायक सावरकर ने महान क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई करने के लिए 9 जून 1906 को बम्बई बंदरगाह से 'परशिया' नामक जहाज से लंदन के लिए प्रस्थान किया। जहाज में यात्रा करते हुए उन्होंने देवी पद्मिनी के जौहर पर प्रभावी ओजपूर्ण कविता का सृजन कर उसे यात्रियों को सुनाया। 2 अथवा 3 जुलाई को वे शत्रु अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कुछ कर दिखाने के दृढ़ संकल्प के साथ पहुँच गये। सन् 1906 में ही विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्होंने मराठी में 'सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास' ग्रंथ की रचना की। इटली के क्रांतिवीर मेझिनी का जीवन-चरित्र भी लिखा। इन पुस्तकों की हस्तलिपियाँ उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर जी उपाख्य बाबाराव को भेजी जिन्होंने इन्हें नासिक से छपवाया और शीघ्र ही ये कृतियाँ जनमानस में धर्मग्रंथों की भाँति पूजी जाने लगीं। शीघ्र ही विनायक सावरकर ने लंदन में 'फ्री इंडिया सोसायटी' नामक संगठन की स्थापना की जिसमें सर्वश्री हरनाम सिंह, मदनलाल धींगरा, हरदयाल, भाई परमानन्द आदि का भरपूर सहयोग मिला। साथ ही उनके द्वारा पूर्व-स्थापित 'अभिनव भारत'(मित्र मेला का परिवर्तित नाम) भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े विद्यार्थियों के संगठन के रूप में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एवं मेनचेस्टर में तेजी से उभरा। मई 1907 में इग्लैंड में सरकारी स्तर पर 1857 के भारतीय 'विद्रोह' को कुचलकर 'विजय' प्राप्त करने की स्वर्णजयंती मनाई जा रहीं थी, तब अभिनव भारत के तत्त्वावधान में उसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुँवर सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। विनायक सावरकर ने '1857 का स्वातंत्र्य संग्राम' शीर्षक से मराठी में रचना की। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रयासों से 1910 में हालैंड में प्रकाशित हुआ। इस कृति को 'सशस्त्र क्रांति के तत्त्वज्ञान की गीता' की उपाधि-प्राप्त हुई। इसका दूसरा संस्करण मेडम कामा ने और तीसरा संस्करण सरदार भगतसिंह ने प्रकाशित करवाया। विनायक सावरकर ने अष्ट कमल और 'वन्दे मातरं' मंत्र से अंकित देश का तिरंगा ध्वज बनाया जिसे श्रीमती कामा ने जर्मनी कांग्रेस में फहराया। भारत की स्वाधीनता के पक्ष में लिखे गये सावरकर के तर्कपूर्ण आलेख रूस, फ्रांस, चीन, स्पेन, अमेरिका एवं जर्मनी के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए।

नासिक के जिलाधीश जेक्सन ने बंगभंग विरोधी आन्दोलन को दबाने के लिए लाला लाजपतराय एवं श्री अजीतसिंह को देशनिकाले का दण्ड सुनाया जबकि लोकमान्य तिलक को पहले ही माँडले जेल भेज दिया गया था। प्रतिक्रियास्वरूप क्रांतिकारियों ने उसे मार गिराया। जब विनायक सावरकर इंग्लैड में स्वतंत्रता की अलख जगा रहे थे, उस समय उनके बड़े भाई बाबाराव सावकर देश में क्रान्तिकारी साहित्य प्रकाशित किया करते थे। उन्होंने जेक्सन हत्याकांड का औचित्य सिद्ध करते हुए चर्चित लेख लिखे थे। अत: उन्हें जेक्सन हत्याकांड के अंतर्गत अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया गया और संपत्ति भी अधिगृहीत कर ली गई। इंग्लैड में विनायक सावरकर ने जब यह समाचार सुना तो मुस्कुराते हुए मित्रों से कहा, ''अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्वातंत्र्यलक्ष्मी की आराधना के लिए प्राण देना, सर्वस्व अर्पित करना शेष है।'' कुछ समय बाद उन्हें यह समाचार भी मिला कि उनके छोटे भाई नारायण सावरकर को भी क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्नता के कारण कारागार में डाल दिया गया है। परिवार को सांत्वना देने के लिए उन्होंने भाभी येसूबहिनी (यशोदा बाई) को पत्र लिखा, ''अनेक पुष्प उत्पन्न होते हैं, सूख जाते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं करता। किंतु हाथी की सूंड द्वारा भगवान के श्रीचरणों में अर्पित पुष्प अमरता पाता है। इस प्रकार हम तीनों भाई श्रीहरि (भारत माता) के चरणों में अर्पित पुष्पों के समान हैं।'' (मराठी कविता का हिन्दी भावानुवाद) .....और एक दिन वह भी आया जब लन्दन में कर्जन वायली की हत्या करने के लिए क्रान्तिवीर मदनलाल धींगरा की निन्दा का प्रस्ताव विनायक सावरकर की उपस्थिति के कारण सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। यही नहीं सावरकर ने 'टाइम्स' पत्रिका मे लेख लिखकर वायली की मृत्यु पर शोकसभा और धींगरा की निन्दा के प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देते हुए लिखा, 'जब तक श्री धींगरा के अभियोग का न्यायालय से निर्णय न हो जाये तब तक इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पारित करना अवैध है।' 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धींगरा को फांसी दे दी गई। तत्पश्चात विनायक सावरकर को ब्रिस्टन जेल में नजरबन्द किया गया जहाँ से उन्होंने पूज्या भाभी को ऐतिहासिक 'मृत्यु पत्र' लिखकर प्रेषित किया। पत्र का भाव यही है कि युद्ध में लड़ते हुए वीरगति पाना भी एक प्रकार की विजय है। विनायक सावरकर को मृत्युदंड देने के लिए 'मोरिया' नामक जहाज से भारत लाया जा रहा था, तब फ्रांस के क्षेत्र में मार्सेलिज बन्दरगाह आने पर वे समुद्र में कूद पडे, वीर तैराक की तरह समुद्र पार कर टापू की भूमि पर पहुँच गये। परिणामस्वरूप वे अंतर्राष्ट्रीय कैदी की गणना में आ गये और मुंबई पहुँचने के बाद मृत्युदंड का निर्णय बदलते हुए उन्हें दो आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। इस पर हर्षित होते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया की, ''लगता है, अंग्रेजों ने भारत के पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है।'' विनायक भी अंडमान की कालापानी कालकोठरी में भेजे गये जहाँ उनके भाई बाबाराव भी बन्दी थे। अंडमान जैल में उन्हें लिखने के लिए कागज, कलम मिलना तो दूर की बात, दिन भर घाणी में बैल के स्थान पर जुतकर तेल निकालने का काम दण्डस्वरूप करना होता था। तथापि समय निकालकर अँधेरी कोठरी की दीवारों पर कोयले, कील और यहाँ तक कि नख से कुरेदते हुए

उन्होंने 'गोमान्तक' और 'कमला' महाकाव्यों की रचना की। इतने अपार कष्ट झेलकर भी लेखन कार्य में दत्तचित्त रहने वाले, बिना कागज और कलम के दीवारों को नख से कुरेदकर और कोयला या कील से लिखने वाले वे संभवत: विश्व के एकमात्र कवि या लेखक हुए हैं।

वीर विनायक सावरकर को ब्रिटेन ने फ्रांस की धरती से बन्दी बनाया, इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद उठा और उन्हें फ्रांस को सौंपने की माँग उठी। किंतु फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रियाण्ड की ढुलमुल नीति के कारण हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 16 फरवरी 1911 को ब्रिटिश सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। विश्व भर के समाचार पत्रों ने राजनैतिक शरण के अधिकारों पर आघातकारी इस निर्णय के मूल में फ्रांस के प्रधानमंत्री की ढुलमुल नीति को ही उत्तरदायी माना। तीखी आलोचनाओं के चलते प्रधानमंत्री ब्रियाण्ड को त्यागपत्र देना पड़ा। इस घटना का इतना प्रभाव अवश्य पड़ा कि सावरकर की कारागार की अवधि घटाई गई। वर्ष 1920 एवं 1921 में सावरकर बन्धुओं को छुड़ाने के लिए किये गये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कदाचित सफलता मिली। 2 मई 1921 को दोनों भाइयों को कालापानी से छोड़ा गया और अलीपुर जेल भेजा गया। बाबाराव सावरकर 22 सितम्बर 1921 के दिन स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिये गये किंतु विनायक सावरकर रत्नागिरि जेल में बन्द कर दिये गये जहाँ से उन्हें 6 जनवरी 1924 को मुक्त किया गया। जेल से मुक्त होने के बाद सावरकर जी ने हिन्दू महासभा की स्थापना की। उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से नेताजी जर्मनी जाकर हिटलर से मिले और उन्होंने भारतीय विश्वयुद्ध बन्दियों को जेलों से छुड़वाया। फिर उनकी सहायता से 'आजाद हिन्द फौज' बनाकर देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संग्राम लड़ा। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के साथ देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र भारत में भी उन्हें विभाजन और सिंधु नदी के विछोह की पीड़ा झेलनी पड़ी। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे कठिन समय में वीर सावरकर ने धैर्य धरते हुए सामरिक तैयारी करने और देश के प्राकृतिक संसाधनों वन-गोचर भूमि की रक्षा का संदेश दिया। देश के विकास, प्रगति में जुटने वाले अभियंताओं (इंजीनीयरों) के प्रति उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से विज्ञान-तकनीकी का ताना-बाना बुनना है, परन्तु आधुनिक उद्योग की चरम रेखा भी पहचाननी है, धरती माता की प्रकृति का भी ध्यान रखना है। याद रहे भारत माता शस्य श्यामला, चिरयौवना हैं।" 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का करारा उत्तर देते हुए भारत ने विजयश्री प्राप्त की तो सावरकर जी के मन में हर्ष-उल्लास का समुद्र हिलोरित हो उठा। 1966 में ताशकन्द में जीती हुई भूमि वापस करने के सहमति पत्र पर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के हस्ताक्षर करने से उन्हें बहुत पीड़ा हुई। 26 फरवरी 1966 को दोपहर लगभग 1 बजे वीर विनायक सावरकर ने अंतिम साँस ली। उनका बलिदान राष्ट्रवैभव सँजोये रखने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्हें कोटि-कोटि नमन।

6/134, मुक्ता प्रसाद नगर,
बीकानेर (राज.)
मो. 9636291556

मासिक गीत

योग-महिमा

सभी सुखी हों सभी निरोग,
नित्य नियम से करते योग ।।ध्रुव।।

ऋषि-मुनियों की अमिमय थाती,
गई से फूले अपनी छाती।
जीवन में वारें सब लोग ।।1।।

अनथक श्रम हो चित्त प्रसन्न,
सत्य सम्पदा से सम्पन्न।
मर्यादित पावन उपभोग ।।2।।

स्वाभिमान जब जन जन में जागे,
दीन भाव हर मन से भागे।
करें तिरोहित सारे शोक ।।3।।

लाना है शुभ परिवर्तन,
पग पग पर भारत-दर्शन।
शक्ति-सम्पत्ति का हो संयोग ।।4।।

संकलन : ई. मदन पठौड़
तनसिंह सर्किल, बाड़मेर (राज.)
मो. 7727868783

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

भक्ति, शक्ति व प्रकृति की सुरम्य स्थली सवाईमाधोपुर

❑ रामावतार मित्तल

राजस्थान का कण-कण वीरता, साहस, भक्ति व ज्ञान का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ एक ओर मीरा व बाबा रामदेव की भक्ति धारा बहती है तो दूसरी ओर रणबांकुरे वीरों व सतीत्व की रक्षार्थ जौहर व्रत करने वाली वीरांगनाओं की कीर्तिमय गाथा गाई जाती है। किसी कवि ने कहा है-''त्याग और तप की गाथाएँ गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगाजल सा, निर्मल और अविराम है।''

इसी वीर भूमि का चित्तौड़ पद्मिनी के जौहर की याद दिलाता है तो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की। आइए आपको एक ऐसी ही वीर भूमि व प्रकृति की सुरम्य स्थली सवाईमाधोपुर के दर्शन कराते हैं।

राजस्थान के दक्षिण पश्चिम कोने में अरावली की उपत्यकाओं में पथरीले पत्थरों पर समुद्रतल से 1578 फुट की ऊँचाई पर स्थित है, 'दुर्ग रणथम्भौर।' दिल्ली मुम्बई रेलमार्ग पर सवाईमाधोपुर जंक्शन से 14 किमी तथा प्राचीन शहर स०मा० से पहाड़ी मार्ग से 6 किमी दूर रण व थम्भ नामक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है 'दुर्ग रणथम्भौर।' दुर्ग का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3 किमी व पूर्व से पश्चिम 6.5 किमी अर्थात् लगभग 20 वर्ग किमी है।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी तलहटी में पहुँचकर ही इसे देखा जा सकता है। इस प्रकार यह शत्रुओं के हमले से दूर से ओझल होने के कारण बचा रहा। दुर्ग चारों ओर से गहरी खाई व घाटियों से घिरा होने के कारण सदैव अजेय बना रहा। दुर्ग के अवशेषों से तत्कालीन वास्तुकला, स्थापत्य कला, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था का सहजता से ही अनुभव किया जा सकता है। इस दुर्ग की प्राचीर पर बैठा एक सैनिक सहस्त्र दुश्मनों को नाकों चने चबा सकता है। नीचे खड़े शत्रु सैनिक को इसका आभास भी नहीं हो पाता है।

इस दुर्ग के कण-कण में छिपा है हम्मीर का हठ व शौर्य तथा राजपूत वीरांगनाओं के जौहर व बलिदान का इतिहास। महाराणा हम्मीर ने 18 वर्ष शासन किया तथा 17 में से 17 युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका राज्य विस्तार सुदूर मालवा, उज्जैन, चित्तौड़, अजमेर, खण्डेला व करौली तक था। अलाउद्दीन के भगौड़े सैनिक मोहम्मदशाह को हम्मीर ने शरण दी इसलिए सन् 1300 ई० में संघर्ष छिड़ गया। तलवारें बज उठी। मुस्लिम सेना से टकराव हुआ। खिलजी सेना मैदान छोड़ भागी। पुनः आक्रमण हुआ। सेनापति भीम मारा गया। खिलजी स्वयं रणथम्भौर पहुँचा। उसने कूटनीति का सहारा लिया। संधि के बहाने सेनापति रणमल व रतिपाल को बुलाकर एवं लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। भण्डारियों द्वारा भोजन समाप्ति की सूचना पर युद्ध निर्णायक दौर में आ गया। विजय श्री हम्मीर को मिली किन्तु दुर्भाग्य से हम्मीर के सैनिक जोश में खिलजी सेना के झण्डे को छीनकर किले की ओर बढ़े। हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने इसे खिलजी सेना की विजय मानकर जौहर किया। हम्मीर का मन विषाद व वितृष्णा से भर गया। उसने अपना सिर काटकर शिवार्पण कर दिया। वह दिन 11 जुलाई 1301 का था। हम्मीर के अवसान के पश्चात उसके चाचा राव जाजा ने दो दिन तक सेना का नेतृत्व किया। अपना सिर कट जाने पर भी दोनों हाथों में तलवार लेकर खिलजी सेना को घास-फूस की तरह काटते रहे किन्तु खिलजी सेना अधिक थी व राजपूत सेना कम व हम्मीर के अवसान से भग्न हृदय होने के कारण हार गई।

स्टेशन से दुर्ग के मार्ग में पड़ने वाले स्थान:-

1. झूमर बावड़ी:- सवाई माधोसिंह जी द्वारा बनाई गई यह शिकारगाह (होदी) स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा संचालित आधुनिक साधनों से युक्त विश्रामगृह है। यहाँ आवास व भोजन की सुविधा है। वनप्रदेश में पहाड़ी पर स्थित होने से इसकी शोभा व आकर्षण सर्वविदित है। पास ही विनायक विश्राम गृह है जहाँ पर्यटक सूचना केन्द्र संचालित है।

2. अमरेश्वर:- स्टेशन से लगभग तीन किमी. दूर सघन वन के मध्य 40 फुट की ऊँचाई से एक झरना गिरता है। वर्षाऋतु में इसका दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। पर्वत गुफा के नीचे भगवान शिव की प्रतिमा पर निरन्तर जलाभिषेक होता रहता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ केशर बरसती है। यहाँ एक पक्का रसोईघर भी है।

3. मिश्रदर्रा:- यह दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। बाँयी ओर गोमुख से कुण्ड में पानी गिरता है। ऊपर सैलानियों के लिए बैठने हेतु पक्के स्थान है। यहाँ वन्य पशु अभ्यारण की एक चौकी

है। आगे चलकर आडा बालाजी का सुन्दर स्थान है।

4. जोगी महल:– वन अभयारण्य में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु आधुनिक सुविधा से युक्त किन्तु प्राकृतिक छटा के मध्य स्थित आवास है। कमल पुष्पों से आच्छादित पदम सागर के किनारे स्थित होने से इसकी रमणीयता दर्शनीय है। किवदंती के अनुसार जयपुर महाराजा माधोसिंह जी ने एक साधु के लिए उसकी इच्छानुसार तालाब के किनारे एक कुटिया बनाई। अत: इसका नाम जोगी महल पड़ गया। वन विभाग ने इसे अपने अधीन लेकर पर्यटकों की सुविधार्थ शौचालय, स्नानगृह, विश्रामगृह आदि से युक्त किया। 1979–80 में लाल पत्थर की जाली लगाई गई। अनेक सैन्य अधिकारी, नेता, अभिनेता, घुँघरुओं की आवाज व तबलों की थाप पर संगीत का आनंद यहाँ प्राप्त करते है। राजपूती काल के मुजरों की परम्परा का मूर्तरूप यहाँ देखने को मिलता है। तालाब किनारे झरोखों में बैठकर वनराज एवं वन्य पशुओं को निहारा जा सकता है। वृक्षों को ही काटकर उनके स्टूल व सोफे प्राकृतिक कलात्मकता का परिचय देते है।

दुर्ग का आन्तरिक परिवेश:– दुर्ग कें प्रवेश द्वार तक चौपहिया वाहन पहुँचते हैं। बाँयी ओर अभयारण्य का द्वार तथा दाँयी ओर दुर्ग का प्रथम द्वार नौलखा द्वार है जिसका जीर्णोद्धार महाराजा जगतसिंह जी द्वारा संवत् 1867 (सन 1810 ई) करवाया गया। इस आशय का ताम्र पत्र किवाडों पर लगा है। दुर्ग अब रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य की परिधि में आ गया है। श्रद्धालु जन अभयारण्य में होकर गणेशजी परिक्रमा प्रत्येक माह की चतुर्थी को लगाते है। मार्ग में एक छोटा शीतल जल कुण्ड है। इसमें पैर धोने व स्नान करने पर समस्त थकान दूर हो जाती हैं।

दूसरें परकोटे पर स्थित है हाथी पोल (द्वार)। यहाँ शत्रु के प्रवेश अवरोधक के रूप में द्वार के सामनें विशाल चट्टान पर एक हाथी व एक महावत की विशाल प्रतिमा थी जो कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दी गयी।

आगे चट्टान के सहारे गणेश पोल (द्वार) है जहाँ छतरी में गणेश प्रतिमा स्थित है। इसके पास से एक सुरंग दुर्ग के भीतरी भाग में (एक मंदिर तक) जाती है। इसे जयपुर राज्य के शासकों ने बन्द करवा दिया। यहाँ से सम्पूर्ण वन अभ्यारण्य का मनोहर दृश्य दिखाई देता है।

तीसरे परकोटे पर तोरण द्वार है जिसे जयपुर रियासत काल में त्रिपोलिया द्वार कहा जाता था। भीतर स्थित स्तम्भों पर भव्य देव प्रतिमाएँ, देवालय, प्रासाद, मंदिरों में झूलते घण्टे, मंगल कलश आदि निर्माण तत्कालीन दुर्ग निर्माताओं की कलाप्रियता व शिल्प विशेषज्ञता के प्रमाण है। यह चतुर्कोणी द्वार सैन्य दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का है। दक्षिणी दिशा का मार्ग वृक्षाच्छादित है जो राजभवन को जाता है। पूर्वी द्वार बन्द है। पश्चिमी द्वार तिरछा सात गुम्बदों से मिल कर बना सुरंगनुमा व संकरा है जिससे शत्रु को रोका जा सके। अंधेरे के कारण इसका नाम अंधेरी द्वार भी है। बाँयी ओर एक गुप्त सुरंग है जो महल में जाती है। दाँयी ओर परकोटे पर एक बुर्ज है। यह जलती हुई मशालों द्वारा संदेशों की प्राप्ति व प्रेषण के लिए काम आता था। यहाँ निर्मित सुपारी महल में सैनिक तथा सुरक्षा अधिकारीगण रहते थे। बुर्ज से दुर्ग के नीचे के सभी परकोटों, दरवाजों, चौकियों व घाटियों की देखरेख की जाती थी।

1. बत्तीस खम्भों की छतरी:– पहाड़ की चोटी पर निर्मित 36 फुट ऊँची यह छतरी चारों ओर हवाखोरी, दरबार व सभा, विचार–विमर्श व आमोद–प्रमोद का स्थान है। इसका निर्माण महाराजा हम्मीर ने 1285 ई. में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके 32 वर्षो के यशस्वी शासन की स्मृति में करवाया। छतरी के नीचे सीढियों के बाँयी ओर गर्भगृह में मूल्यवान काले सलेटी पत्थर से निर्मित एक विशाल शिवलिंग शांत व अंधेरे स्थान पर है। यहाँ यदा–कदा वनराज के भी दर्शन हो जाते है।

2. हम्मीर महल:– छतरी से दक्षिण–पूर्व में स्थित सप्त खण्डीय (चारभूमिगत व तीन ऊपर) महल भी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। खाद्यान भण्डार, रनिवास, दरबार, संग्रहालय, मंदिर, चौबारे, बारादरी, विशाल छतें, चौक व सुरंगें विलक्षण है। महल के पीछे पूर्व दिशा में आयुध निर्माण कारखाना है। यहाँ तोपों के गोलों का निर्माण होता था। पुराना बारूद अक्टूबर, नवम्बर 2015 में सेना की देख रेख में दुर्ग से बाहर लाकर स0मा0 फायरिंग रेज में नष्ट किया गया।

3. पदमला:– महल के पीछे स्थित जलाशय है। किवदंती है कि हम्मीर की पुत्री पारस पत्थर लेकर इसमें कूद गयी थी । वह आज भी जीवित है। इसका पानी दुर्ग की आवश्यकता को पूरा करता है। सरोवर के ऊपर हवाखोरी के लिए वातायन (झरोखे) बने है। यहाँ स्थित पुष्पवाटिका में चम्पा,केतकी आदि पुष्प खिलते है।

4. रघुनाथ जी का मंदिर:– मुख्य मार्ग के बाँयी ओर एक प्राचीन कलात्मक मंदिर है। इसकी अनेक मूर्तियाँ चोरी हो जाने के बाद भी यह अपनी शेष प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।

5. जैन मंदिर:– यह कलात्मक मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी को मेला भरता है। इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने इस पर स्वर्ण कलश चढ़ाये थे।

6. काली मंदिर:– यह एक अतिप्राचीन मातृ शक्तिपीठ व तंत्र साधना स्थल है। यहाँ काली माँ का चार फुट ऊँचा दिव्य त्रिनेत्र विग्रह है। चैत्र व शारदीय नवरात्र में यहाँ अनुष्ठान होते हैं।

7. गुप्त गंगा:– यह गणेश मंदिर से बाँयी ओर है। इसमें अंधेरे में प्रवेश करना पड़ता है। यह 200 फुट ऊँची चोटी पर जलापूर्ति का अक्षय भण्डार है। इसका स्रोत ज्ञात नहीं है। यहाँ गंगा माँ का मंदिर है। गुप्त गंगा से दाँयी ओर के मार्ग पर ब्रह्मा मंदिर है।

8. छत्तीस खम्भों की छतरी:– दुर्ग के पूर्वी भाग में किसी राजा की समाधि पर बनी छतरी में शिवलिंग है। कुछ शिलालेखों (हम्मीर महाकाव्य) के अनुसार इसका निर्माण हम्मीर द्वारा दिग्विजय के पश्चात कोटि यज्ञ स्थल पर कराया गया। यहाँ से दुर्ग की सुरक्षा निगरानी के साथ–साथ दूर–दूर घाटियों से परकोटे एवं वनाच्छादित सुन्दर पहाड़ी दृश्यों का अवलोकन किया जा सकता हैं। यह शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। दुर्ग में सीताफल बहुतायत मे पाये जाते है।

9. शिव मंदिर:– गणेश मंदिर के पीछे परकोटे के नीचे प्राचीन एवं रमणीय मंदिर है। इसमें वर्ष पर्यन्त प्रवाहित होने वाला एक अज्ञात जलस्रोत रुद्राभिषेक करता रहता है। हम्मीर ने

जौहर की राख को देखकर यहीं पर भगवान शंकर के समक्ष अपना मस्तक काटकर अर्पण कर दिया। उसकी स्मृति में एक पत्थर का नरमुंड यहाँ रखा हुआ है। इसके समीप स्थित द्वार को शिवपोल कहते है। यह दक्षिणी प्रवेश मार्ग की सुरक्षा चौकी है। सन 1647 में चैत्र सुदी तीज को जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय इस पर किवाड़ों की जोड़ी चढ़ाई गई। ऐसा यहाँ ताम्रपत्र लेख से प्रमाणित होता है।

10. सरदारों की हवेलियाँ:– गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर मार्ग पर 3 भव्य व विशाल द्वारों वाले द्विखण्डीय औसारें, भव्य कलात्मक खम्भे एवं अट्टालिकायें दुर्ग के पुरातन वैभव की स्मृति ताजा कर देते है। इनमें बादल जी की मेड़ी अधिक प्रसिद्ध है।

11. हम्मीर दरबार:– दुर्ग की पश्चिमी दिशा में चौहान शासकों द्वारा निर्मित हम्मीर कचहरी है। यहाँ हम्मीर दरबार लगाकर सरदारों,सामन्तों,विद्वानों की उपस्थिति में समस्याओं पर विचार कर प्रजा को न्याय देते थे। यह एक भव्य, सृजनात्मक, सुदृढ, आकर्षक भवन है।

12. दिल्ली द्वार:–दुर्ग के पश्चिमी परकोटे पर स्थित इस द्वार का मुख दिल्ली की ओर होने से इसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। इसके पास अनेक मंदिरों,भवनों व छतरियों के अवशेष विद्यमान है। इसके पास चक्रव्यूह की भाँति एक भूल-भूलैया है। उसमें प्रवेश हो जानें के बाद बाहर आनें का मार्ग बड़ी कठिनाई से मिलता है। यहाँ परकोटे पर स्थान-स्थान पर सैनिकों की सुरक्षा चौकियाँ बनी है। पास ही तोपें दागनें के स्थान है जहाँ तोपें पड़ी है। दुर्ग के पश्चिमी व उत्तरी भाग की सुरक्षा यहीं से की जाती थी। यहीं से दुर्गम घाटियों में से होकर बूँदी तक का राजमार्ग भी दिखता है।

13. जौरा-भौरा:–12वीं शताब्दी में निर्मित तीन विशाल खण्डों वाला यह भवन गुप्त गंगा से आगे है। युद्धकाल में यह भोजन सामग्री का भण्डार था। समीप ही चौहान राजा वीरनारायण की दिल्ली में हुई हत्या के बाद सती हुई रानियों के स्थल पर छतरी व चबूतरा हैं।

14. प्राचीन हवेली:– हम्मीर महल के पास दक्षिण में अति प्राचीन दो मंजिली इमारत है जिसकी सीढ़ियाँ चढ़ना खतरनाक है। यह तत्कालीन निर्माण कला का भव्य स्वरूप है। यह निश्चित ही किसी उच्च सेनानायक का आवास रही होगी।

15. मूर्तिविहीन मंदिर:– दुर्ग में एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। यह मेवाड़ के एकलिंगजी मंदिर का लघुरूप है। इसकी कला दर्शनीय है।

16. हम्मीर घोटा:– इसके पास तालाब किनारे एक मस्जिद है जो हिन्दू राजाओं की सर्वपंथ समभाव की दृष्टि को उजागर करती है। घोटे को हम्मीर अंगुली में पहनकर घुमाता था। यह अष्टधातु का बना हुआ था। तालाब में केवड़ा, खस आदि के वृक्ष थे जिनकी खुशबू मीलों तक जाती थी। इसके जल का उपयोग राजपरिवार करता था।

नगरीय बस्ती:–

दुर्ग के नीचे की ओर अनेक ध्वस्त मकानों के खण्डहर है। इस बस्ती की रचना को देखकर पता लगता हैं तत्कालीन अभियंताओं की सूझ-बूझ, वास्तुकला, शिल्पकला व निर्माण कला का जिसे देखकर दाँतों तलें अंगुली दबानी पड़ती है।

सुव्यवस्थित बाजार:–

दुर्ग में सभी प्रकार के सम्पन्न व समृद्ध व्यापारी रहते थे। सोने-चाँदी व अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। विजयदत्त नामक व्यक्ति हम्मीर का कोषाध्यक्ष रहता था। वह विजयवर्गीय वैश्य था। यहाँ से दूर-दूर तक व्यापार होता था।

रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य:–

स0मा0 रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान व बाघ परियोजना के कारण न केवल देश अपितु संसार के मानचित्र पर उभरकर आया है। अरावली की उपत्यकाओं में प्राकृतिक सम्पदाओं से अनेक जल प्रवाहों की ध्वनि व विशाल जल प्रपातों के कलरव से युक्त यह प्रदेश वन्य पशुओं का शान्त विचरण स्थल है। इस अभयारण्य में हिरण, नील गाय, बाघ, चीते, सांभर, चीतल, गीदड, चिंकारा, लोमड़ी, लंगूर, सूअर, घड़ियाल व खरगोश आदि पशु विचरण करते है। कभी यहाँ 200 बाघ थे जो घटकर अब 26 रह गये है। वन विभाग ने कुछ बाघों को यहाँ से सरिस्का (अलवर) में भी स्थानान्तरित किया है।

यह उद्यान 385 वर्ग किमी. में फैला हुआ है। भ्रमण हेतु वन विभाग के व निजी वाहन उपलब्ध होते है। आवास हेतु जोगी महल , झूमर बावड़ी, फोरेस्ट रेस्ट हाउस, अनेक तीन सितारा व पाँच सितारा होटल तथा धर्मशालाएँ है। देश की एवं विदेश की अनेक महान हस्तियाँ (अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिटंन सहित) इसका भ्रमण कर चुकी है। देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या यहाँ प्रतिदिन बढ़ रही है। राष्ट्रीय उद्यान जुलाई से सितम्बर तीन माह बन्द रहता है।

त्रिनेत्र गणेश का मुख्य मंदिर:–

गणेश प्रतिमा स्वयं अद्भुत व अत्यन्त चमत्कारी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश आदि प्रांतों के लोग दूर-दूर से दर्शनार्थ आते है। बद्रीनाथ, तीन धाम, चार धाम आदि यात्राओं का प्रारम्भ व समापन गणेश दर्शन से किया जाता है। प्रति बुधवार व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भीड़ अधिक रहती है। चतुर्थी को लोग हजारों की संख्या में पैदल परिक्रमा करते है। कनक दण्डवत करते हैं। समाजसेवी व धर्मार्थी लोग निशु:ल्क भण्डारा लगाते है। स्टेशन से द्वार तक जीपें व कारें उपलब्ध होती हैं तथापि श्रद्धालु पैदल व कनक दण्डवत करतें हुए भी आते है। नौबत पर डंके की चोट से घंटे, घड़ियाल सहित पूजा के समय वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दूर-दूर से मांगलिक कार्यों विशेषकर विवाह संस्कार से पूर्व श्रद्धालु व्यक्तिश: आकर अथवा डाक से निमंत्रण भेजकर आयोजन की सफलता की कामना करते है। पुजारियों द्वारा निमंत्रण पढ़कर गणेशजी को सुनाया जाता है। मान्यता है कि इसके बाद आयोजन में कोई बाधा नहीं आती है। मंदिर के बाहर से 5 कंकर ले जाकर भण्डार में विनायक पाट पर रख देने से भण्डार में कभी कमी नहीं आती है। गणेशजी के अगल बगल में रिद्धि व सिद्धि है। ये सभी प्रतिमायें दुर्ग निर्माण से पहले की है।

भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लक्खी मेला भरता है जिसमें अनेक भण्डारे लगते है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम बुधवार को कृषक यहाँ आकर अपनें खेतों में प्रथम बार हल चलाने से पूर्व पूजा करते है तथा अच्छी फसल की कामना करते हैं।

वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)
रा.उ.मा.वि., साहूनगर (सवाई माधोपुर)
मो. 9413023662

पुस्तक समीक्षा

भक्तवर नागरीदास

डॉ. फैयाज अली खाँ प्रकाशक : अभिनव प्रकाशन, कचहरी रोड, अजमेर प्रथम संस्करण : 2015 पृष्ठ संख्या : 440 मूल्य : ₹ 995

''भक्तवर नागरीदास पर शोध प्रबंध डॉ. फैयाज अली खाँ लिखित पढ़ने को मिला। सम्यक अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञान हुआ कि अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, अरबी-फारसी, पंजाबी एवं राजस्थानी के उद्भट विद्वान डॉ. फैयाज अली खां ने शोध ग्रंथ लिखने में कठोर श्रम-साधना, अनथक अन्वेषण एवं गवेषणात्मक तथ्यों के साथ 12 वर्ष की निरन्तर लगनशील साधना के साथ 'भक्तवर नागरी दास; पर अद्वितीय पुस्तक लिखी है, जो अपने आप में शोध प्रबंधों में बेजोड़ साबित होती है। डॉ. साहब मुसलमान होते हुए भी स्वधर्मनिष्ठ एवं पर धर्मों के प्रति सादर श्रद्धावान रहे है तथा वैष्णव धर्म का गहन अध्ययन करते हुए भक्तवर नागरीदास के राज्य विकास से संबंधित प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हुए पुस्तक लेखन का श्रमसाध्य एवं पूज्यभाव से श्री कृष्ण-राधिका मय जीवन को पूर्ण स्नेह, श्रद्धा एवं पूज्य भाव के आदर्शों की महत्ता बतलायी। वैष्णव धर्म में 'दोय सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' एवं 'चौरासी वैष्णवों की बानी' का भी महत्व बतलाते हुए 'नवधा भक्ति' सहित नागरीदास की रचनाओं को अपने दृष्टिकोण से अवलोकन किया। गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने डॉ. फैयाज अली साहब की पुष्टिमार्गीय परम्परा पर वैदुष्यपूर्ण भाषण कला की प्रशंसा करते हुए बतलाया कि तत्समय के राजवंश भी उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। शोध ग्रंथ में कृष्णगढ़ यानी किशनगढ़ में हुए शासकों में वैष्णव धर्म के प्रति अनुराग, भक्ति एवं मंदिरों के निर्माण संबंधी तथ्यों का उल्लेख मिलता है जो सटीक एवं प्रामाणिक माने गये हैं। कृष्णगढ़ के राजाओं की वंशतालिका से स्पष्ट लगता है कि किशन सिंह जी, सहसमल जी, जगमाल जी, हरीसिंह जी, रूपसिंह जी, मानसिंह जी, राजसिंह जी तथा आठवें राजा सावंतसिंह जी (हरि संबंध नाम नागरीदास हुए) महाराजा राजसिंह जी की प्रथम पत्नी 'कामा' कामवन की थी। इनमें नागरीदास का जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 को हुआ- ऐसा कृष्णगढ़ की 'इतलाक' में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्री सावंतसिंह जी (नागरीदास) परम शूरवीर, परमवीर एवं भक्ति परायण थे। उपनामों में नागरीदास, नागर, नागरि, दास नागरि, दास नागर आदि लिखा करते थे। शोध ग्रंथों के अनुसार राजा श्री रूपसिंह जी पुष्टिमार्ग में गोस्वामी बिट्ठल नाथ जी के प्रपौत्र श्री गोपीनाथ जी द्वारा पुष्टिमार्ग में दीक्षित हुए डॉ. फैयाज अली ने मूल हस्तप्रतों के आधार पर जो गवेषणा की है, जिससे ज्ञान होता है कि वल्लभ सम्प्रदाय के होने पर भी सभी सम्प्रदायों के प्रति श्री नागरी दास जी स्नेहादर भाव होगा- ऐसी डॉक्टर साहब की धारणा भी मुझे उचित ही लगी- ऐसा गोस्वामी श्याम मनोहर जी मानते हैं। डॉ. फैयाज अली के मुताबिक नागरीदास (सावंतसिंह जी) का गृहक्लेश एवं विमाता के व्यवहार से असंतुष्ट रहते हुए उन्होंने राजपाट त्यागकर वृन्दावन में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त कवि के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने लगभग 70 ग्रंथों की रचना की। भक्ति को समर्पित उनके पद किशनगढ़ वैष्णव मन्दिरों में तथा जनसमूह में भक्ति के आधार पर गाए जाते हैं। हिन्दी अंग्रेजी और संस्कृत के उद्भट विद्वान डॉ. फैयाज अली पुष्टिमार्ग से अत्यधिक प्रभावित हुए, जिसका प्रमाण यह शोध ग्रंथ अपने आप में साक्षी देता है। वल्लभ सम्प्रदाय में अष्टछाप कवियों की अत्यधिक महत्ता रही है तदापि यह कहा जाता है- अष्ट सखा पहले भये नवम् नागरीदास। शोध प्रबंध के लिए गहन निष्ठा एवं सच्ची लगन एवं श्रम-साध्य शोध हेतु डॉक्टर साहब पुष्ट प्रमाण जुटाने में संलग्न हुए। सन् 1952 में राजपूताना यूनिवर्सिटी से आपने पीएच.डी. डिग्री हासिल की- यह ग्रंथ मील का पत्थर माना गया है- ऐसा प्रो. रतनलाल भास्कर, पूर्व प्राचार्य कॉलेज शिक्षा, किशनगढ़, राजस्थान मानते हैं। डॉ. फैयाज अली स्वयं नागरीदास की जन्मभूमि के जाये-जन्मे रहे हैं तथा अपने गुरुवर श्रीरामकृष्ण शुक्ल, हिन्दी विभागाध्यक्ष, महाराजा कॉलेज जयपुर से शोध सम्बन्धी आज्ञा ली तथा श्री कोनी साहब से भी शोध प्रबंध हेतु विचार-विमर्श किया तथा श्री रामकृष्ण शुक्ल जी के पथ प्रदर्शन हेतु कृपा पाई। डॉक्टर साहब के शोध प्रबंध में तात्कालिक सामयिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों को भी प्रमुख स्थान दिया है। नागरी दास जी के जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुईं, जिनमें माता का स्वर्गवास, राज्यकार्य की जिम्मेदारियों एवं राजसी ठाट-बाट का प्राचुर्य, तात्कालिक सामाजिक दुर्दशा, रीतिकालीन प्रवृतियों की अधिकता, मुगल बादशाहों के आदेशानुसार राज्य कार्य में व्यस्तता, गृह-कलह एवं भाई का विश्वासघात आदि-आदि। डॉक्टर साहब ने नागरीदास के ग्रंथ पर पुष्ट एवं प्रामाणिक लेखनी चलाने से पूर्व उनकी रचनाओं के बारे में जगह-जगह घूमना पड़ा। सामग्री कृष्णगढ़ महाराजा के प्रीवीपर्स विभागान्तर्गत तीन दफ्तरों में मिली यथा सरस्वती भण्डार, तवारीख, कपड़ भण्डार एवं अन्य स्थान भी। अनेक स्थानों पर जीर्ण-शीर्ण मुद्रित, लिखित रूप में प्राप्त ग्रंथ 'इश्क चमन' और रैनरूपा रस के फोटुओं की है- जो मौलिक एवं अनूठे ढंग की प्रतीति होती है। इसी प्रकार कृष्णगढ़ स्थित श्रीनाथ जी के मन्दिर के कीर्तनियां, बाबा रणछोड़दास के पास से प्राप्त हुए एक प्राचीन चित्र का फोटो है, वह चित्र कपड़े पर बना हुआ है। नागरीदास से संबंधित, कपड़े पर बना हुआ यही एक मात्र चित्र है, वह नागरीदास के एक दम के आधार पर बना हुआ है। अपने इष्ट, श्री राधिका, का दर्शन अपने पद में वर्णित भावना के अनुकूल कर रहे हैं। उन्हें इसमें सखीभाव में चित्रित किया गया है। डॉक्टर साहब में अपनी शोध परक पुस्तक में इतलाक (चौपान्यों) खोखा (महाराजाओं के ऐतिहासिक मसविदे) शिक्षा-यानी पिता द्वारा भेजी गई "शिक्षा" जोकि महाराजा राजसिंह जी ने संवत् 1789 में इन्हें किशनगढ़ भेजी थी, उस समय नागरीदास जी 33 वर्ष के थे। उस समयावधि में

उत्तम कविता करने लगे। कृष्णगढ़ (किशनगढ़) के राजा-महाराजाओं ने साहित्य, संगीत एवं कला के प्रति गहरा रुझान रहा है। नागरीदास जी का विभिन्न राग-रागनियों में रचे पद पुष्ट प्रमाण देते हैं। नागरीदास जी के ग्रंथों में मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहार चन्द्रिका, कलि वैराग्य वल्लि, भक्ति सार, परायण विधि प्रकाश, ब्रजसार, गोपी प्रेम प्रकाश, ब्रज वैकुण्ठ तुला, पद प्रबोध माला, भक्ति मय दीपिका, राम चरित्रमाला, फागविहार, जुगल भक्ति विनोद, वन-विनोद, बाल-विनोद, तीरथानन्द, सुजनानन्द, निकुंज विलास तथा वनजल प्रसंस ग्रंथ आदि के संवत भी दर्शनीय है। अत्यधिक विस्तार से देखा जाय तो डॉक्टर साहब ने ग्रंथों की सम्यक अवलोकन करते समय उन्हें 'क' और 'उ' में विभक्त किए हैं, जो गहन अध्ययन की पहचान देता है, यथा-भक्ति मय दीपिका, देह दशा, वैराग्य वही, रसिक रत्नावली, कृति वैराग्य वल्ली, अरिल्ल पच्चीसी छूटक पद, भक्ति सार, भागवत परामण विधि प्रकाशा, ब्रजलीला, ब्रजसार, भोरलीला, प्रातः रस मंजरी, फूल विलास, गोधनआगम, लग्नाष्टक, फाग विलास, पावस पच्चीसी, ग्रीष्मविहारी, सदा की सांझा, होली की.... , चाँदनी के कवित, दीवाली के कक्ति, गोरधन धारण के कक्ति, होरी के कवित, हिण्डोरा के कवित, वर्षा के कवित, सिखनख, नखसिख और छूटक कवित, चर्चरी, रेखता तथा वेणुगीत आदि की उल्लिखित है। भक्तवर नागरीदास रचित पदों में राग-रागनियां शब्द-संयोजन, शृंगार एवं वात्सल्य वर्णन के साथ-साथ भाषायी अलंकरण, अलंकार विधार एवं छंदविधान के बारे में भी डॉक्टर साहब ने गहरे अध्ययन के साथ उनकी विशिष्टताओं को वर्णित किया है। गोस्वामी श्याम मनोहर के आधार पर वल्लभ सम्प्रदाय में श्री कृष्ण सेवा-भक्ति, वात्सल्यवान, किशोर भाव, दस्यिभाव, सख्यभाव और आत्मसमर्पण के भावों से अर्थात् ब्रज भक्तों के भावों की भावानुकारिणी मानी गयी है। इसी तरह कथा भक्ति श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित दर्शावध लीलाओं के श्रवण-कीर्तन स्मरणरूपों में भी स्वीकार की गई है। नागरीदास जी की पद रचनाओं को, दूहों, छूटक छन्छों में श्री कृष्ण राधिका की छवि वस्तुतः विद्यमान है, जोकि एक भक्त कवि की आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास का प्रतीक है। डॉ. साहब के पदों एवं दोहों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है जिनके उदाहरण दिए जा रहे है- कलह से घृणा उत्पन्न होने से संवत् 1805 से 1809 तक की समयावधि में दोहा लिखा-

जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल।
सबै कलह इक राज में, राज कलह को मूल।।

संवत् 1809 के आषाढ़ में जब दिल्ली से पधारे तब स्वप्न हुआ जिसमें आज्ञा हुई कि तुम्हारा निज काम अर्थात हरि-स्मरण ब्रजवास करो। 'सरदार सुजस' में इस बात वर्णन है-

यहाँ भक्ति हरिनाम हियदास नागरी नाम।
हरि आज्ञा ऐसे भई रहिये वृन्दा धाम।।

डॉ. फैयाज अली खां ने कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी किया, जो उल्लेखनीय है-

को रहीम का करि सके, ज्वारी चोर लवार।
जो पन-राखन हरि है, माखन चाखन हरि।।

-रहीम

कहि कैसे-कैसे कहै, जैसे किये बिहरि।
छिन वाही विसरण नहीं दूज माखन चाखन हरि।।

-नागरीदास

काग के भाग कहा कहिये,
हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी

-रसखान

धन-धन वृंदावन के काग,
माखन चोर कै करतै,
रोटी लै भागै बड़ भाग

-नागरीदास

पुष्टिमार्ग में चित्रकला को विशिष्ट स्थान दिया गया। श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी स्वयं चित्रकला में प्रवीण रहे हैं। कृष्णगढ़ स्कूल ऑफ पेन्टिंग से नागरीदास जी का घनिष्ठ संबंध रहा है। वहाँ पर चित्रोंः मुखकों का भंडार है- ऐसा ज्ञान करके मि.ई.सी. डिकिन्स, एम.ए. ऑक्सन कार्यवश अजमेर आये। डॉ. साहब ने अपने शोध प्रबंध में उनका भी उल्लेख किया है। चित्रकला कृष्णगढ़ शैली की अनूठी रही है।

श्रीमद् भागवत पारायण विधि प्रकाश, संवत् 1799 में नवधा भक्ति के साथ-साथ दसधाः प्रेम भक्ति के प्राप्त करने का साधन भी ये साधु-समागम समझते थे- उन्होंने लिखा है-

मन में विचारि के हमारो कहयो कीजिए
दसधा को साधन समागम है साधनि को
कृष्णकथा अमृत को भाग आय लीजिये

नागरीदास के विचारों में सच्चा वैष्णव वही है जो सच्चा साधु हो और साधु भी ऐसा जिसकी रुचि भगवनलीला में हो। फारसी शायरी भी नागरीदास जी आशिक-मासूक पद्धति का अनुसरण करते हुए भी अपने इष्ट देव 'कृष्ण' को ही मध्यनजर रखते थे। डॉ. साहब के अनुसार 'इश्क चमन' की पंक्तियों में-

उसही की सुनि सिफ्त कौं किसी जुबा में होय।
कादर नादर हुस्न का कृष्ण कहाया सोय।।

इस प्रकार नागरीदास जी की काव्य रचनाओं में ब्रज, राजस्थानी एवं अरबी-फारसी की शब्दावलियों का सुन्दर प्रयोग हुआ है- ऐसा शोधकर्ता का मन्तव्य रहा है। डॉ. फैयाज अली खां ने नागरीदास और बनीठनी के संबंध को अपनी शोध में पुष्ट प्रमाणों से वर्णित किया है। वे मानते हैं कि नागरीदास की प्रतिभा के विकास में बनीठनी का प्रमुख स्थान रहा है। कृष्णगढ़ राजघराने में 'गायणो' का क्रम होता था और उनकी नियुक्ति भी। राजाओं की वे 'पासवान' उप पत्नी के रूप में मानी जाती थी।

इतलाक खोज से मालूम हुआ कि 'बनीठनी' को नागरीदास के पिताश्री ने संवत् 1784 में खरीदा था, तब नागरीदास 10 वर्ष के थे। नागरीदास जी की विमाता महारानी बांकावत जी की सरकार में नियुक्ति की गई थी। बनीठनी के प्रति नागरीदास का आकर्षण कविता-प्रेम से था। नागरीदास के पिता की मृत्यु के उपरांत संवत् 1805 के लगभग बनीठनी उनकी पासवान हो गयी थी।

डॉ. साहब के अनुसार वे अवस्थाएं इस बात की दलील है कि दोनों ने पारस्परिक संबंध भोग विलास के लिए न जोड़कर किन्हीं अन्य कारणों से जोड़ा। नागरीदास जी काव्य रचयिता थे, जबकि बनीठनी गान-तान में प्रवृत हुई थी। इनमें पारस्परिक प्रभाव संबंध सूत्र जुड़ जाने के पश्चात हुआ। सौन्दर्य, माधुर्य और अनिवार्यता के फलस्वरूप नागरीदास और बनीठनी के भावों का आदान-प्रदान संभव रहा होगा- इसे

तुलनात्मक दृष्टि से भी परखा गया है।

नागरीदास के जीवन में बनीठनी के आने पर उन्हें सहज सुख, आनन्द भाव-साम्य के आधार पर भक्ति के पद भी उल्लेखनीय हैं-

अब तो स्याम सोचन दें, होत है यह पियरी
यह सुगंध मंद पवन लागत है सियरी।

-नागरीदास

जी नैणां नींद घुळे छै, आय रही छै थोड़ी रात
कांई कैइं लाग्यो छो नंदलाल,
अति अलसायो म्हारो गात।

-बनीठनी

डॉ. फैयाज अली खां ने भक्त नागरी दास संबंधी शोध पुस्तक में ग़ज़लें, मनसे, रेख़ना, रदीफ-काफिया तथा अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा नौ रसों में शृंगार और विभाग के पद, दोहे तथा छंद भी लिखे हैं, जिनको अनेक पुस्तक भण्डारों गढ़ों और मंदिरों से प्रिय शैली आदि का संकलन करके श्रम साध्य एवं उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा है, जिनकी विद्वानों और भक्तगणों ने सराहनीय माना है। शोध ग्रंथ सभी परिस्थितियों एवं परिवेश में समीचीन एवं सटीक है।

श्रमसाध्यपूर्ण शोध ग्रंथ के क्रमवार एवं तथ्यात्मक समर्थक देते हुए उन्हें प्रकाशित करने का भार उनके सुपुत्र शहजाद अली ने प्रफुल्लता के साथ स्वीकार करते हुए शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं पाठकों के नागरीदास हेतु सम्यक् ज्ञान कराने का उत्तरदायित्व निभाया। भूमिका गोस्वामी श्याम मनोहर जी और प्रशोचना प्रो. रतन लाल भास्कर पू. आचार्य कॉलेज शिक्षा, किशनगढ़ द्वारा डॉ. फैयाज अली खां जी का विद्वतापूर्ण शोध कार्य को उजागर करने हेतु उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। ममतामयी माता स्व. श्रीमती निसार बानो को समर्पित की गई है।

वस्तुतः यह शोध कार्य अतुलनीय, अद्वितीय एवं डॉ. फैयाज अली खां जी की वैष्णव धर्म के प्रति आदर सत्कार व्यक्त करती है। पुस्तक की छपाई आकर्षक गेटअप, सुन्दर एवं मय चित्रावली के साथ आनन्दमयी है तथा तथ्य परक भी है।

-शिवराज छंगाणी
नत्थूसर गेट के अन्दर, बीकानेर

प्लेटोनिक लव

डॉ. मनमोहन सिंह यादव, प्रकाशक : कलासन प्रकाशन, माल गोदाम रोड, अलख सागर, बीकानेर (राजस्थान) प्रथम संस्करण : 2015
पृष्ठ संख्या : 96 मूल्य : ₹150

'प्लेटोनिक लव' डॉ. मनमोहनसिंह यादव का दूसरा कथा संग्रह है। इससे पूर्व 'पूजा के प्रसून' तथा राजस्थानी में 'कीड़ीनगरो' नामक उनके कहानी संग्रह चर्चित रहे है। जमीन से जुड़े डॉ. यादव की कहानियों में दार्शनिक चिंतन के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का उपस्थापन भी हुआ है। दया, क्षमा और परदुःख-कातरता के उदात्त भावों से भरपूर डॉ. यादव के कथा-पात्रों में एक अद्भुत जीवट के दर्शन होते हैं। निबंध और काव्य के क्षेत्र में भी उनका सृजन सराहनीय रहा है, लेकिन मूलतः आप उपन्यासकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। आपके उपन्यासों पर विश्वविद्यालय स्तर पर शोधकार्य भी हुए हैं। समीक्ष्य कथा-संग्रह में कुल तेरह कहानियाँ हैं, जिनमें अध्यात्म, आस्था और प्रेम की प्रतिष्ठा हुई है। जीवन के प्रति भरपूर मोह और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण इन कहानियों के पात्र हमारे इर्द-गिर्द के परिवेशगत यथार्थ को पुनर्प्रतिष्ठित करते-से जान पड़ते हैं।

'गुलाब का फूल', 'नीलकमल', और 'प्लेटोनिक लव' में युवावस्था के कोमल भावों के अनुगुंफन के सांसारिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक प्रेमोद्रेक का प्रस्फुटन किसी भी किशोर पाठक के हृदय को आह्लादित करने में सक्षम है। 'गुलाब का फूल' कथा की नायिका से राजेश प्रेम करता है और हरफूल की गंदी हरकत को वह भ्रमवश राजेश की हरकत मानते हुए उसे 'इडियट' कह देती है, लेकिन फिर राजेश के मित्र चंदू से हकीकत जानने के बाद कथा-नायिका अर्चना राजेश से क्षमा मांगती है और उनमें अंतरंगता अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। 'नीलकमल' की नायिका पेंटिंग में एम.ए. करते समय कॉलेज के सहपाठी श्यामाप्रसाद के प्रेम में आकंठ डूब जाती है, जो अपने मित्र हरिप्रसाद के साथ संगीत में एम.ए. कर रहा होता है और हरिप्रसाद के माध्यम से ही नीलकमल के घर पहुँचता है। फिर एकांत में प्रेम-संभाषण होता है और 'प्लेटोनिक लव' की, जिसमें ट्रेन से यात्रा करते कथा-नायक विक्रम अपनी सहयात्री अनामिका से वार्तालाप करते हुए बताता है कि 'प्लेटोनिक लव' एवं सांसारिक प्रेम का उद्गम तो सौंदर्य ही है, पर सांसारिक प्रेम राह भटक जाता है, जबकि प्लेटोनिक लव आत्मा के धरातल पर पहुँचकर आत्मा से प्रेम से लगता है। मांसल-प्रेम शाश्वत नहीं होता, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य चिरकाल तक स्थिर नहीं रहता पर आत्मा की सुन्दरता सदैव अक्षुण्ण रहती है, अतः प्लेटोनिक लव आध्यात्मिक होता है। अनामिका ट्रेन से उतरते हुए कहती है कि देखें, दोनों में कौन-सा प्रेम होता है। विक्रम उसे सप्रेम विदा करता है।

'लालटेन' कहानी व्यंजना विस्तार की दृष्टि से ग्रामीण जनता-जनार्दन के दुःख-सुख की कहानी है। यहाँ गरीब माँ-बाप का बेटा रमेश गाँव से दूर शहर कमाने जाता है और आते वक्त ढेर सारा सामान लाता है। उसकी माँ जकोली का सपना था कि घर में लालटेन आए, सो रमेश ने लालटेन लाकर उसका सपना पूरा कर दिया था, अब उन्हें दीपक या चिमनी की जगह लालटेन की रोशनी मिलने वाली थी, पर उनके पड़ोसी मातादीन के पास चिमनी का पेंदा फूट जाने के कारण दीवाली के दिन अंधेरे में रह जाने का दर्द था। वह मातादीन से चिमनी उधार लेने आता है, पर रमेश के बाबा उसे चिमनी देते हुए कहते हैं कि अब से यह चिमनी तुम्हारी, तुम्हारा बेटा भी बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो तुम्हारे लिए भी लालटेन ला देगा। दूसरी ओर 'भीखा' कहानी में स्वार्थी-तत्वों को बेनकाब किया गया है। भीखा गाँव के मरे जानवरों की खालें उतारता है, उसकी पत्नी अमिया और उसके दो बच्चे हँसी-खुशी गाँव में रहते हैं, पर उसका सुख फकीरा को अखरता है। वह उसे शराब में जहर मिलाकर एक दिन ठिकाने लगा देता है और अमिया पर बुरी नजर रखता है, लोगों को अमिया के चरित्रहीन होने की बातें कहकर उसके हिस्से का काम स्वयं हथिया लेता है। अमिया व उसके बच्चे गीगा और पन्ना भूख से बिलबिलाते हैं, तभी लेखक की नजरें पोलिथीन की थैली

चूसते अमिया के बेटे पर पड़ती है और वह उनके बारे में रुचि लेकर गाँव में पंचायत करवाता है, फकीरा को पंचायत के सामने माफी माँगनी पड़ती है। अमिया का भाई भी पंचायत में उपस्थित है। वह अमिया के पास ही गाँव में रहने लगता है और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा उसे पुनः प्राप्त हो जाती है।

'विजयी वीर' कहानी में एक लेखक की हताशा प्रकट हुई है, क्योंकि उसके लेखन का समाज पर कोई प्रभाव नजर नहीं आता, अतः वह लिखना छोड़ देता है, लेकिन कहानीकार से बातें करने पर उसका नकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और विजयी वीर की भाँति वह पुनः सृजन का संकल्प करता है। 'आस्था' कहानी में बलारि का माँ चुकिया का एक हाथ कट जाता है, फिर भी वह ईश्वर के प्रति आस्थावान है। उसका बड़ा बेटा रमजू घर से भाग गया, बलारि बेरोजगार था, पर एक दिन बलारि को नौकरी मिल गई, बलारि ने माँ के कृत्रिम हाथ लगवा दिया। रमजू भी एक दिन लौट आया। दोनों के विवाह हुए, बहुएँ आई और घर-आँगन पोते-पोती की किलकारियों से गूँज उठा। 'देर है अँधेर नहीं' में अवसरवादी स्वर हैं। मालती को बेटा राकेश एक धनी सेठ की लड़की से शादी करके माँ को भुला देता है और शहर में घर जंवाई बनकर रहने लगता है, मालती की देखभाल उसका भतीजा सुरेश करता है। मालती की मृत्यु के समय राकेश अपने ससुर व पत्नी के साथ घर आता है, मरते समय मालती के चेहरे पर असीम शांति थी। उसकी अधमुंदी आँखों से लग रहा था, जैसे परलोक जाते-जाते बहू को घर में देख, उसे अपनी आँखों में समा लिया हो।

'खाली हाथ' कहानी में लोक व्यवहार की रीति-नीति मुखर हुई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु, मित्र, मंदिर या रिश्ते-नातेदार के यहाँ जाने पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कहानी में मोहन अपनी मौसी से मिलने दिल्ली जाता है। पत्र में प्यारी बातें लिखने वाली मौसी मोहन के हाथ में खाली थैला देख, खिन्न होती है। वहाँ मोहन दो दिन रुकता है। मौसी-मौसाजी का रवैया उसे अखरता है। आते वक्त जब वह मौसी को चमचमाती हुई स्वर्ण-मुद्रिका सौंपता है, तो मौसी उसके रुक जाने को कहती है, उसे सिनेमा दिखाई जाती है, रात्रि को केसर मिला दूध पिलाया जाता है और खूब लाड़-प्यार मिलता है। ये सब बातें जब वह घर आने पर अपनी माँ को बताता है, तो माँ कहती है कि घूमने-फिरने से ही व्यावहारिक ज्ञान आता है। 'रूपांतरण', 'बलदेव', 'करवट' और 'मंगतूराम उर्फ मिस्टर एम.आर.' भी पठनीय कहानियाँ हैं। यथार्थ और आदर्श के ताने बाने में बुनी ये कहानियाँ। पाठकों के स्मृतिपटल में अनेक बिंबों का अंकन करती है, जहाँ दार्शनिक शब्दावली में किशोर मनोविज्ञान व जीवनानुभवों का निदर्शन पुराकालीन संदर्भों के आलोक में हुआ है।

-डॉ. मदन सैनी
अनाथालय के पीछे, विवेक नगर,
बीकानेर-334001

यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है किन्तु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो क्या लाभ? सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। अर्थात् मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं।

रपट

आर.टी.ई.

निःशुल्क सीटों पर वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा- प्रो. वासुदेव देवनानी

शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने 28 अप्रैल गुरुवार को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक भवन स्थित सभागार में गैर-सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2016-17 में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारण हेतु ऑनलाइन लॉटरी निकाली।

प्रो. देवनानी ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत राज्य सरकार का प्रयास है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क सीटों पर वास्तविक अभ्यर्थियों को फायदा मिले। उन्होंने कहा कि असुविधा वाले दुर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकाधिक फायदा मिले, इसके लिए एक्ट में संशोधन कर खासतौर से बीपीएल., एस.सी., एस.टी. एवं एसबीसी. वर्ग को जोड़ा गया है। बीपीएल. में भी सामान्य एवं ओबीसी. एवं एसबीसी. को जोड़ा गया है। इसके अलावा अनाथ, एचआईवी. व केंसरग्रस्त अभिभावकों के बालक-बालिकाओं, युद्ध विधवाओं के बालक-बालिकाओं एवं निःशक्तजन बालक-बालिकाओं को भी अब विशेष रूप से इससे फायदा होगा।

प्रो. देवनानी ने बताया कि ऑनलाइन लॉटरी में कुल 18 हजार 286 गैर-सरकारी विद्यालय शामिल हुए। इन विद्यालयों में कुल 1 लाख 59 हजार 063 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 59 हजार 262 आवेदन ऑनलाइन व 99 हजार 801 आवेदन ऑफलाइन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 86 हजार 991 आवेदन पत्र बालकों के, 72 हजार 069 आवेदन पत्र बालिकाओं के व 3 आवेदन ट्रान्सजेन्डर बालकों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 37 हजार 867 आवेदन बीपीएल बालक-बालिकाओं, 97 हजार 084 आवेदन एससी बालक-बालिकाओं, 21 हजार 236 एसटी बालक-बालिकाओं, 620 आवेदन अनाथ बालक-बालिकाओं, 659 आवेदन एचआईवी. व केंसरग्रस्त अभिभावकों के बालक-बालिकाओं, 528 आवेदन युद्ध विधवाओं के बालक-बालिकाओं एवं 1 हजार 69 आवेदन निःशक्त जन बालक-बालिकाओं के प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन लॉटरी के दौरान शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी, विद्यालयों के प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि व मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची को अभिभावक विद्यालयवार आरटीई. वेबपोर्टल www.rte.raj.nic.in के होम पेज पर वरीयता सूची निर्धारण पर क्लिक करके देख सकते हैं। जिन अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, वे अपने आईडी नम्बर व मोबाइल नम्बर से लॉगिन करके अपने बालक-बालिकाओं का वरीयता क्रमांक सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देख सकते हैं।

-मुकेश व्यास
सहसंपादक

शाला प्रांगण से

'शाला प्रांगण' स्तम्भ में प्रकाशनार्थ सभी संस्था प्रधान अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली शैक्षिक, सह शैक्षिक रचनात्मक गतिविधियों के अच्छे अपने यौग्य चित्रों के साथ आवश्यक ब्यौरा भी भेजें।

–वरिष्ठ संपादक

1. विश्व स्वास्थ्य दिवस को उल्लासपूर्वक मनाया : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौलिसर बड़ा में विश्व स्वास्थ्य दिवस का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं वन्दना के साथ शुभारम्भ किया। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य श्री प्रताप सिंह सारण ने स्वास्थ्य को धन से बड़ी पूंजी बताया। उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सुबह भ्रमण (घूमना/पैदल चलना), प्राणायाम व योग तथा व्यायाम करना चाहिए।

इस अवसर पर 'आपकी बेटी योजना' के अन्तर्गत सीता सुथार, पंकज कँवर एवं सुमित्रा प्रजापत को 'बालिका शिक्षा फाउण्डेशन' की ओर से 1500–1500 रुपये का चैक प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। शाला की ही छात्रा मदालसा शर्मा को 'गार्गी अवार्ड' प्राप्त करने पर शाला परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। नेमीचंद सुड़िया ने अपने वक्तव्य में कहा कि– अनियमित व अनियंत्रित खान–पान और पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है।

इस अवसर पर रामनिवास पूनियाँ, सोहनलाल, चुनाराम, पूर्णमल महर्षि, विक्रमसिंह, किशनलाल पूनियाँ, बजरंगलाल, गोपीचंद, पूर्णमल सिहाग, सुरेन्द्र मील एवं ओमप्रकाश बारपाल ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम में उत्साहवर्द्धन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष ने अपने धन्यवाद में कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी के कारण ही आये दिन ग्राम पंचायत, जिला–तहसील, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक वातावरण व जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। कार्यक्रम पूर्णतः शान्तिपूर्ण व जागरूकतायुक्त रहा।

2. शाला हेतु ग्राम पंचायत ने दिया जमीन का पट्टा : दिनांक 9/4/16 को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारायण खेड़ा को नये विद्यालय भवन हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा के सरपंच श्री बजरंग लाल मेहर द्वारा 100×100= 10,000 वर्गफुट जमीन का पट्टा जारी कर श्री मनमोहन शर्मा के माध्यम से शाला के प्रधानाचार्य श्री दिनेश कुमार शर्मा को सुपुर्द किया। जिसके पश्चात संस्था प्रधान ने SDMC की बैठक रखी। इस बैठक में प्राप्त जमीन मय पट्टे पर ग्राम पंचायत का आभार जताते हुए उक्त भूमि की चारदिवारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत को आगामी कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा गया।

विद्यालय के भामाशाह डॉ. मनमोहन शर्मा एवं सुरेश कुमार द्वारा एक कम्प्यूटर प्रिंटर मय स्केनर जरोक्स मशीन व UPS विद्यालय को दान दिया गया। इसी क्रम में दिनेश शर्मा द्वारा 2 नग सोफा व बजरंग सिसोदिया द्वारा 5 कुर्सियां व स्टाफ के सदस्य संतोष शर्मा, उमाशंकर शर्मा, अशोक जोशी, मनोज मीणा, रेखा चौहान, रश्मि वर्मा, अशोक नागर द्वारा 1–1 पंखा सभी सदस्यों द्वारा विद्यालय को भेंट किया गया।

इस अवसर पर प्रधान रमेशचंद्र मेघवाल, सरपंच बजरंग लाल मेहर, वार्ड SDMC सदस्य विद्यालय में मौजूद रहे। सभी भामाशाहों व आगन्तुकों का संस्था प्रधान द्वारा हार्दिक आभार व्यक्त किया।

3. भामाशाह ने किया विद्यालय का अवलोकन : रतनगढ़–स्थानीय सेठ नागरमल बाजोरिया रा.मा.वि. के भामाशाह श्री लूनकरण सुरेका ने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया। संस्था प्रधान अम्बिका प्रसाद पुरोहित ने भामाशाह श्री सुरेका का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय में संचालित गतिविधियों से परिचय करवाया व बोर्ड कक्षाओं में लगातार पिछले चार वर्षों में शत–प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने की जानकारी दी। इससे प्रभावित होकर भामाशाह श्री लूनकरण सुरेका ने विद्यालय को 30 सिलिंग फैन देने की घोषणा की। इस अवसर पर भगवती प्रसाद चौधरी, एडवोकेट रजनीकांत सोनी एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित था।

4. विद्यालय को अलमारी, स्वेटर व पाठ्यसामग्री वितरित : रतनगढ़ तहसील के ग्राम बण्डवा में स्थित बालाजी मंदिर परिसर में नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खोबा को स्व. झूमरमल चालान परिवार राजलदेसर की ओर से एक बड़ी आलमारी, विद्यालय के विद्यार्थियों को स्वेटर एवं पाठ्यसामग्री वितरित की गई। वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिप्रकाश इन्दौरिया ने बताया कि भामाशाह परिवार ने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। इसके लिए साधुवाद के पात्र है। उपस्थित जनों से आह्वान किया कि इस स्कूल व मंदिर परिसर को प्राचीन विद्या आश्रम की तरह विकसित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चंपालाल भाटी व अन्य सभी वक्ताओं ने चालान परिवार की भूरी–भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद व आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि मोहनलाल माकर, रामचंद्र यांबू व अन्य लोगों ने भी स्कूल को सहायता प्रदान की। इस अवसर पर ग्राम बण्डवा, मीना देसर, लाछड़सर व अन्य ग्राम के प्रभुसिंह, सहीराम, करणीसिंह, शिवसिंह, गोपालराम, मदनप्रकाश, नानूराम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूराराम गाँधी ने किया तथा दानदाताओं व उपस्थित गणमान्यजनों को धन्यवाद दिया।

5. एन.सी.सी. कैडेट्स ने निकाली रैली : चुरू। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एन.सी.सी. को द्वितीय राज बटालियन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल राजकीय विद्यालयों एवं लोहिया महाविद्यालयों के कैडेट्स को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस.के. सहारण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए कर्नल सहारण ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर ही हम भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।

संकलन–नारायणदास जीनगर

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाते है। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

जैविक कीटनाशक छिड़कने से कपास बच गया

टाइम्स ऑफ इण्डिया 8 अक्टूबर 15 के अनुसार पंजाब में किसानों ने बीटी कपास बोया। कपास पर कीड़ों का हमला होता ही है। जिसके बचाव में कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं। ये रासायनिक कीट-नाशक सरकार सस्ते दामों पर किसानों को देती है। इन किसानों ने इसका उपयोग किया पर बेअसर रहा। परन्तु यादवेन्द्र सिंह ने गोमूत्र से बना जैविक कीटनाशक फसल पर छिड़का था इसलिए उनकी फसल बच गयी, जबकि अन्य किसानों की पूरे क्षेत्र में विनाशक मक्खियाँ चार हजार करोड़ से अधिक कीमत का कपास चट कर गई। सिंधों गाँव के यादवेन्द्र सिंह ने इस जैविक कीटनाशक से अपनी फसल बचाकर नया रास्ता दिखाया।

केरल में जटायु का स्मारक बना

केरल के कोल्लम स्थित चढ़यामंगलम गाँव की पहाड़ी पर सीताजी का हरण कर ले जाते समय रावण से लड़ते हुये पक्षिराज जटायु आहत हो कर गिये थे। जटायु के इस कार्य का स्मरण देशी-विदेशी सैलानियों को हो इसके उद्देश्य से यहाँ 'जटायु नेचर पार्क' तैयार किया गया है। सौ करोड़ की लागत एवं 65 एकड़ जमीन पर तैयार इस पार्क में जटायु का बड़ा स्मारक बनाया गया है।

गत 19 दिसम्बर को 'नई दुनिया' दैनिक के अनुसार पक्षिराज जटायु की यह प्रतिमा 200 फीट लम्बी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊँची है। इसे बनाने में कलाकारों को 7 साल का समय लगा है। नेचर पार्क में स्मारक के अलावा एक संग्रहालय और थियेटर भी बनाये गये हैं। थियेटर में रामायण के सभी पात्रों की जीवनी एवं राम-कथा को प्रदर्शित किया जायेगा।

ईरानवासियों को योग सिखा रहे हैं श्री फरशाद

ईरान के शिराज शहर निवासी श्री फरशाद नजरघई अपने देशवासियों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्री फरशाद पिछले सात साल से यह काम कर रहे हैं। वे ईरान में भारतीय योग पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला भी कर चुके हैं।

योग के प्रति श्री फरशाद की बचपन से ही गहरी आस्था थी। इसी आस्था के चलते फरशाद भारत आये। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से इस विद्या का प्रशिक्षण लेने का विचार बनाया। वर्ष 2007 में हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। अध्ययनकाल में वे शाकाहारी रहे। विश्वविद्यालय द्वारा तय पोशाक 'पाजामा-कुर्ता' भी पहना। दो सालों में वे यौगिक विज्ञान विषय से स्नातकात्तर की उपाधि प्राप्त कर अपने देश ईरान लौट गये। तभी से फरशाद ईरान के कई शहरों में योग की कक्षाएँ लगा रहे हैं। इन कक्षाओं में 'वीडियो एनिमेशन' के माध्यम से भी इस भारतीय विद्या के महत्व को बताया जाता है।

श्री फरशाद बताते हैं कि प्रारम्भ में योग सीखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। अब तो संख्या दिनो-दिन बढ़ती जा रही है।

श्री फरशाद की मान्यता है कि केवल भारतीय संस्कृति ही विश्व को शांति एवं सम्पन्नता दे सकती है। इसलिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इसका सबसे अच्छा माध्यम भारतीय योग और ध्यान है, जिसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दुनिया में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इससे न केवल उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि मानसिक शांति भी संभव है। ईरानियों को उत्तम स्वास्थ्य व मानसिक शांति मिले इसी उद्देश्य से वे अपने देश में इस प्रकार की कक्षाएँ लगा रहे हैं।

91 वर्ष की आयु में भी रोगियों की सेवा

वे एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हैं, स्त्री-रोग विशेषज्ञ हैं और गत लगभग सत्तर सालों से महिलाओं की सेवा कर रही हैं। किसी काम को लगातार सत्तर सालों तक करना बहुत बड़ी बात है। इस समय उनकी आयु भी कम नहीं है, इकरानवें वर्ष है लेकिन सेवा का उनका भाव कम नहीं हुआ है। इस उम्र में हाथ काँपने लगते हैं शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, दिमाग काम नहीं करता, लेकिन इन सब चुनौतियों को पार कर वे प्रतिदिन अपने क्लीनिक में बैठ कर गरीब महिलाओं की सेवा नि:शुल्क करती हैं। ये जीवट वाली बुजुर्ग डॉ. भक्ति यादव हैं और इन्दौर में रहती है।

डॉ. भक्ति का जन्म उज्जैन के पास महिदपुर में हुआ। वे छोटी थी तभी उनके पिता विनायक कवीश्वर का निधन हो गया। बड़ी कठिनाई से पढ़ाई करते हुए उन्होंने 1946 में इन्दौर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय भक्ति कवीश्वर कॉलेज में भर्ती होने वाली पहली लड़की थी। अध्ययन पूरा करने के बाद डॉ. चन्द्र सिंह यादव से विवाह कर वे डॉ. भक्ति यादव हो गई। चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने कुछ समय पश्चात् अपनी क्लीनिक खोल ली। तब से वही उनका सब कुछ हो गई।

स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण गर्भवती माताएँ उनसे परामर्श लेने आती है। ऑपरेशन के बिना स्वाभाविक रूप से प्रसव कराना उनकी विशेषता है। बीते 36 वर्षों में उन्होंने लगभग एक लाख बालकों को जन्म कराया है। इन्दौर की क्लर्क कॉलोनी में उनकी क्लीनिक है और वहाँ निर्धन महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। वे सबकी नि:शुल्क चिकित्सा भी करती है और अपने क्लीनिक में प्रसव भी कराती हैं।

आर्यभट्ट पर फिल्म बना रहे हैं मनोज कुमार

हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक श्री मनोज कुमार अब आर्यभट्ट पर फिल्म बना रहे हैं। शहीदे-आजम भगत सिंह पर उन्होंने पैंतालीस साल पहले 'शहीद' फिल्म बनाई थी। यह फिल्म अत्यंत सफल रही तथा नौजवानों में राष्ट्र-भक्ति जगाने का उद्देश्य पूरा कर सकी। इसके बाद उन्होंने देश-प्रेम और भारतीय संस्कृति पर 'उपकार' और 'पूरब-पश्चिम' बनाई। ये दोनों फिल्में भी उत्कृष्ट मानी गईं। अब वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल-शास्त्री आर्यभट्ट के जीवन पर फिल्म बना रहे हैं।

संकलन-**गोमाराम जीनगर**

टोंक

रा.उ.मा.वि. डारडा हिन्द में ग्रामवासियों ने जनसहयोग से 03 कमरे मय बरामदा का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 15,00,000 रुपये तथा छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर 50 टेबल एवं 50 स्टूल लागत-60,000 रुपये , रा.मा.वि., सोरण को श्री मो. सलीम खान से 11,000 रुपये नकद, सर्व श्री अजय सक्सेना, खालिद एहतेश्याम, युसुफ ऐजाजी, प्रदीप शर्मा, राजेश शर्मा प्रत्येक से 2,100-2,100 रुपये नकद, सर्व श्री जावेद खान, शाहिद खान, प्रदीप मधुकर, कुलदीप शर्मा, राजेश सिंगोदिया, खुर्शीद खान, नितिन शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, ओमप्रकाश (प्रधाना.) ओमप्रकाश शर्मा (व्याख्याता), अनवर अली, नरेन्द्र सेन, महबूब अली, खुर्शीद बानो, पूरणमल वर्मा, रामस्वरूप सांखला से प्रत्येक से 1,100-1,100 रुपये नकद, सर्व श्री गोविन्द नारायण विजय, राधेश्याम विजय से प्रत्येक से 500-500 रुपये नकद प्राप्त हुए।

दौसा

रा.उ.मा.वि. सूरजपुरा को श्री रामेश्वर प्रसाद मौर्य (मुख्य शाखा प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम दौसा) द्वारा विद्यालय छात्र-छात्राओं की पेयजल व्यवस्था के लिए 500 लीटर पानी की टंकी सप्रेम भेंट। रा.बा.उ.मा.वि. लालसोट को अध्यक्ष लकड़ी चिराई व्यापार संघ तालेड़ा जमात लालसोट के द्वारा 35 सैट स्टूल-टेबल लोहे के सैट लागत-24,486 रुपये, श्री जगदीश जाँगिड़ जस्टाना से 15 सैट फर्नीचर लागत 10,600 रुपये एवं अभिभावक कक्षा-12 द्वारा एक ऑफिस टेबल लागत 4,500 रुपये।

डूंगरपुर

आदर्श रा.उ.मा.वि. रणौली को श्री कमलेश पाटीदार से फर्नीचर तथा 30,000 रुपये, श्री हेमंत देवजी पाटीदार से फर्नीचर लागत-22,000 रुपये, अनिल नानजी पाटीदार से अलमारी लागत 5,700 रुपये, श्री रमेश जैन से F.D. हेतु 5,000 रुपये, श्री गटुलाल कोदर पाटीदार से फर्नीचर लागत-5,000 रुपये, श्री दिनेश वलभजी यादव से फर्नीचर लागत-7,250 रुपये, सर्व श्री कुरीयाजी कचरूजी पाटीदार, कचरूजी केवजी पाटीदार, छबिलाल धुला पाटीदार, गटुदेवजी पाटीदार, कुरीय लवजी पाटीदार, वासु कुरीया खराड़ी, गौतम हुकाड पाटीदार से प्रत्येक से फर्नीचर लागत 3500-3500 रुपये, श्री रमेश रूपजी, मगन धुलजी पाटीदार से फर्नीचर लागत 2,100 रुपये, गंगा देवी थोबजी पाटीदार, खेमजी कमलजी पाटीदार से एक-एक पंखा तथा प्रत्येक की लागत 1,300 रुपये, श्री भूरा धुला पाटीदार, श्री गजेन्द्र हकरजी पाटीदार से एक-एक पंखा तथा

विद्यालयों में उदारमना दानदाताओं के द्वारा लाखों रूपयों का सहयोग कर निर्माण एवं संसाधन जुटाने के महान कार्य किये जाते रहते हैं। भामाशाह जयन्ती के अवसर पर विभाग भी इन विभूतियों को सम्मानित करता है। इस कॉलम में प्रति माह आदरजोग भामाशाहों के अवदान का वर्णन कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें।

-वरिष्ठ संपादक

प्रत्येक की लागत-1,400 रुपये, श्री भाणजी नगजी पाटीदार से फर्नीचर लागत 1,400 रुपये, श्री कालु नाथूजी पाटीदार से फर्नीचर लागत 1,300 रुपये, श्री हेमेन्द्र नगजी पाटीदार से फर्नीचर लागत 2,000 रुपये, श्री नगजी बादर पाटीदार से फर्नीचर लागत 1,000 रुपये, श्री लक्ष्मी कृषि बीज भंडार सागवाड़ा से एक पानी टंकी लागत 6,000 रुपये, श्री कचरूजी पाटीदार से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 4,000 रुपये, श्री गौतम वेलजी पाटीदार से फर्नीचर लागत 5,000 रुपये, आदर्श रा.उ.मा.वि, डोलवर को श्री हरीश चन्द्र रोत एवं युवक मंडल डोलवर से माइक सेट आहुजा लागत 15,000

हमारे भामाशाह

रुपये, श्री जगदीश चन्द्र रोत (शा.शि.) से 2 पंखा लागत 5,000 रुपये, श्रीमती दुर्गा देवी रोत से 25 सैट टेबल-स्टूल लागत 30,000 रुपये, समस्त अभिभावक एवं ग्रामवासी से प्रधानाचार्य टेबल एक, प्रधानाचार्य कुर्सी एक, अन्य कुर्सीयाँ दस, अलमारी एक लागत 28,000 रुपये, रा.उ.मा.वि. चितरी को श्री रामजी पाटीदार द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला के कक्ष में लेब स्टेण्ड बनवाया लागत 25,000 रुपये, श्री धूलाभाई डेण्डोर से लोहे के स्टूल टेबल हेतु 22,000 रुपये,वागड़ काले बडगी से लोहे के टेबल-स्टूल, हेतु 11,000 रुपये नकद, मानस कॉलेज चितरी से लोहे टेबल-स्टूल हेतु 10,000 रुपये नकद, श्री जीवराज डेण्डोर से लोहे के टेबल-स्टूल हेतु 11,000 रुपये नकद, श्रीमती कमला बाई (सरपंच) से लोहे के टेबल-स्टूल हेतु 5,000 रुपये नकद, श्री भरतलाल जैन से लोहे के टेबल-स्टूल हेतु 5,100 रुपये नकद, श्रीराम शंकर दर्जी से लोहे के टेबल-स्टूल हेतु 5,100 रुपये नकद, श्री सर्वश्री महेश पाटीदार, श्री कमल शंकर पाटीदार, भंवरलाल जैन से लोहे के टेबल-स्टूल हेतु प्रत्येक से 5,000-5,000 रुपये नकद, श्रीरामसन मईड़ा से जल मन्दिर में टाईल्स लगाने हेतु 5,000 रुपये नकद, श्री नटवर लाल दर्जी से जोरेक्स मशीन विद्यालय को भेंट लागत-9,000 रुपये। आदर्श रा. सहशिक्षा उ.मा.वि. छापी में श्री विनित व्यास द्वारा 60,000 रुपये की लागत से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री सुमन छापिया से 10 सैलो कुर्सी लागत 3,500 रुपये, श्री लाला भाई पटेल से 5,000 रुपये नकद, सर्व श्री वीरेन्द्र पटेल, हसमुख वीरेन्द्र पटेल, विनोद जोशी, बंशीलाल, मदन लाल पटेल, दमण लाल, शंकरलाल पटेल, सुरजमल जैन, मुकेश रावल प्रत्येक से एक-एक छत पंखे तथा प्रत्येक की लागत 1250 रुपये प्राप्त हुए।

नागौर

रा.आदर्श. उ.मा.वि. बरेव में सर्वश्री सुगनाराम, छोटूराम, जोराराम, दयालराम ढाका (PTI) के द्वारा एक प्याऊ का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत- 1,50,000 रुपये, श्री नूरमोहम्मद दरेश से 25 स्टूल टेबल लागत-30,000 रुपये, श्रीमती पुष्पा टोपन दास (ANM) से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 6,100 रुपये, श्रीमती मनीषा बाजिया (सरपंच) से 21 विद्यार्थियों के लिए स्वेटर लागत 4200 तथा चार ऑफिस चेयर लागत 9,500 रुपये, सर्वश्री शिवकरण बाजिया, रामनिवास बाजिया,मदनलाल बाजिया, मधुराम मुंडेल, रतनाराम लेधा व पूर्णाराम फुलवारिया से 6 कमरों में लाईट फिटिंग लागत 4,100 रुपये, विद्यालय परिवार से 17 स्टूल टेबल सैट लागत 20,400 रुपये, सर्वश्री कालुराम मुंडेल, हरदीन मुंडेल, राधेश्याम वैष्णव, हरजीराम मुंडेल, देवकरण मेघवाल, बंशी सिंह दरोगा, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, भूराराम थारोल, भंवरलाल लेधा से 16 स्टूल टेबल सैट लागत-20,000 रुपये, श्री किशनलाल जाँगिड़ से 2200 रुपये नकद व 2 स्टील आलमारियाँ लागत 20,000 रुपये, सर्वश्री मूलसिंह दरोगा, तेजाराम मुंडेल, रूपाराम मेघवाल, रामरखा मुंडेल, हनुमान प्रसाद शर्मा, जयसिंह जोधा, हनुमानसिंह जोधा, नानूराम गिटाला, सादुलराम मुंडेल व डालूराम मुंडेल के सहयोग से एक कूलर लागत 4,000 रुपये। सर्वश्री भगवान सिंह जोधा, श्रवण मेघवाल, अजय सिंह राठौड़ से पानी चढ़ाने की मोटर लागत 2,650 रुपये, सर्वश्री बंशीलाल मेघवाल, नारायण लेधा, हनुमान प्रसाद सैन, विनोद कुमार जाँगिड़, जोधाराम फुलवारिया, सादुलराम मुंडेल, कमरुद्दीन लुहार, भवानी सिंह जोधा, हजारीराम मेघवाल, रूपाराम मेघवाल व शक्तिसिंह जोधा से 11 पंखें तथा प्रत्येक लागत 1,250 रुपये प्राप्त हुए। तथा अन्य भामाशाहों से 13,500 रुपये नकद प्राप्त हुए।

संकलन-रमेश कुमार व्यास

शिविरा पत्रिका (मासिक) : मई-जून 2016 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : प्रकाश चन्द जाटोलिया, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

चित्र वीथिका - मई-जून, 2016

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी ने गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2016–17 में आर.टी.ई. के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारण हेतु दिनांक 28 अप्रैल 2016 को

बाएँ : उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चूरू द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II एवं तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में 2008–09 से 2013–14 तक की रिक्त डीपीसी एवं 2014–15 व 2015–16 की नियमित डीपीसी में चयनित कार्मिकों की काउंसलिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हुए श्री बी.एल. स्वर्णकार आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, पास में खड़े हैं सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर श्री जनूशेखर हर्ष। **बाएँ :** राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटवा (हनुमानगढ़) को छत पंखे भेंट करते मामाशाह, अतिथिगण एवं शाला परिवार।

प्रवेशोत्सव 2016–17

बाएँ : प्रवेशोत्सव के तहत रैली निकालते हुए आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेटा (जालोर) के विद्यार्थी एवं शिक्षकगण। **बाएँ :** आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोमलसर, नोखा (बीकानेर) में वित्तीय जीवन कौशल एवं प्रवेशोत्सव के तहत आयोजित कार्यशाला में स्वयं के हुनर से निर्मित कलाकृतियों के साथ शाला की छात्र–छात्राएँ।

डाक पंजीयन संख्या Jaipurcity408/2014-16 शिविरा पत्रिका (मासिक) • मई-जून, 2016 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2016 पृष्ठ 52 • प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

त्रिनेत्र गणेश : रणथम्भौर

अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर किले में स्थित प्रथम पूज्य भगवान गणेश का त्रिनेत्र स्वरूप अनुपम छटा लिये हुए है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध एवं अति प्राचीन है। सवाई माधोपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सन् 1299 ई. में राजा हम्मीर और अल्लाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ है। युद्ध के दौरान असुविधा से बचने के लिए खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ रणथम्भौर किले के गोदामों में संग्रह की गई। राजा हम्मीर भगवान गणेश के परम् भक्त थे।

खजाना खाली होने को था कि एक रात भगवान गणेश ने उन्हें सपने में कहा कि सभी प्रकार की कमी और समस्याओं का कल प्रातः समाधान हो जायेगा। अगले दिन सुबह किले की दीवारों में से तीन आंखें (मोहर) लगी गणेश की मूर्ति प्रकट हुई और गोदाम भर गये तथा युद्ध समाप्त हो गया। तत्पश्चात् राजा हम्मीर ने इस मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी में करवाया। गणेश जी के अगल बगल में रिद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ की मूर्ति सहित वाहन मूषक की भी मूर्ति है। यहाँ दूर-दूर से दर्शनार्थी आकर, परिक्रमा कर, कनक दण्डवत कर, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मांगलिक कार्यों विशेष कर विवाह संस्कार से पूर्व श्रद्धालु व्यक्तिशः आकर अथवा डाक द्वारा निमंत्रण देते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष लक्खी मेला भरता है।

• गोमाराम जीनगर, सहायक निदेशक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। मो. 9413658894